C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol.XV, Seventh Session, 2011/1932 (Saka)
No.5, Friday, February 25, 2011/ Phalguna 6, 1932(Saka)

SUBJECT		PAGES
SUBMISSIONS BY MEMBERS		
(i)	Re : Reported Police atrocities on BJP demonstrators in Delhi	3-4
(ii)	Re : Danger to the existence of the holy river Ganges	650-654
(iii)	Re : Problems being faced by the family of National Poet Ramdhari Singh 'Dinkar'	654-658
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
	*Starred Question Nos.61 to 63	6-31
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
	Starred Question Nos.64 to 80	32-95
	Unstarred Question Nos.691 to 920	96-579

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **580-583**

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT **584**

(i) 229th, 234th and 235th Reports **584**

(ii) Evidence **584**

BUSINESS OF THE HOUSE **585**

RAILWAY BUDGET (2011-12)- GENERAL DISCUSSION **589-648**

MOTION RE: THIRTEENTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS **668**

PRIVATE MEMBERS BILLS- INTRODUCED **669-691**

(i) Banking Laws (Amendment) Bill, 2010 **669**

By Shri Asaduddin Owaisi

(ii) High Court at Allahabad (Establishment of a permanent Branch at Gorakhpur) Bill, 2010 **671-677**

By Shri Yogi Adityanath

(iii) Commissions of Inquiry(Amendment) Bill (Amendment of Section 3) **679**

By Dr. Kirit Premjibhai Solanki

(iv) Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Bill, 2010 (Amendment of Section 2) **679**

By Shri L. Rajagopal

(v) Commission of Sati (Prevention) Amendment Bill, 2010 (Amendment of Section 2 etc.) **680**

By Shri L. Rajagopal

(vi)	**Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of Section 14)**	**680**
	By Adv. P.T. Thomas	
(vii)	**Cow (Protection) Bill, 2010**	**681**
	By Shri Chandrakant Khaire	
(viii)	**Agricultural Workers Welfare Bill, 2010**	**681**
	By Shri A.T. Nana Patil	
(ix)	**Railways (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of new Chapter XIIIA)**	**682**
	By Shri A.T. Nana Patil	
(x)	**Commission for Fixation of Prices of Essential Commodities Bill, 2010**	**682**
	By Dr. Raghuvansh Prasad Singh	
(xi)	**Technical Educational Institutions, Medical Educational Institutions and Universities (Regulation of fee) Bill, 2010**	**683**
	By Adv. P.T. Thomas	
(xii)	**Post-Polio Syndrome (Education, Training and Awareness) Bill, 2010**	**683**
	By Shri Balkrishna Khanderao Shukla	
(xiii)	**Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of the Schedule)**	**684**
	By Adv. P.T. Thomas	
(xiv)	**Representation of the People (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of New Section 29AA)**	**684**
	By Shri J.P. Agarwal	
(xv)	**Provision of Social Security to Senior Citizen, Bill, 2010**	**685**
	By Shri J.P. Agarwal	

(xvi)	**Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of Article 19)**	**685**
	By Shri J.P. Agarwal	
(xvii)	**Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of Section 304A, etc)**	**686**
	By Shri Adhir Ranjan Chowdhary	
(xviii)	**Treatment of Attempt to Suicide as a Non-Punishable Offence Bill, 2010**	**686**
	By Shri Adhir Ranjan Chowdhary	
(xix)	**Closed Textile Mills Workers (Welfare and Rehabilitation) Bill, 2010**	**687**
	By Dr. Kirit Premjibhai Solanki	
(xx)	**Banana Growers (Protection and Welfare) Bill, 2010**	**687**
	By Shri A.T. Nana Patil	
(xxi)	**National Flood Control and Rehabilitation Authority Bill, 2010**	**688**
	By Shri A.T. Nana Patil	
(xxi)	**Coffee Growers Welfare Bill, 2010**	**688**
	By Shri Adhir Ranjan Chowdhary	
(xxiii)	**Eradication of Unemployment Amongst the Youth Belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Bill,2010**	**689**
	By Dr. Kirit Premjibhai Solanki	
(xxiv)	**Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of New Part IIIA etc.)**	**690**
	By Shri Manish Tewari	

(xxv)	**Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2011 (Insertion of new Section 19A)**	**690**
	By Shri Haribhau Jawale	
(xxvi)	**Prohibition on Religious Conversion Bill, 2011**	**691**
	By Smt. Bijoya Chakravarty	
(xxvii)	**Public Employment (Recruitment) Bill, 2011**	**691**
	By Smt. Bijoya Chakravarty	
(xxviii)	**Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of new article 30A)**	**726**
	By Shri P.L. Punia	
(xxix)	**Renewable Energy Resources Commission Bill, 2010**	**726**
	By Shri P.L. Punia	
(xxx)	**Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2010 (Amendment of Section 3, etc.)**	**727**
	By Shri P.L. Punia	
(xxxi)	**Micro Finance Institutions (Regulation of Money Lending) Bill, 2010**	**727**
	By Shri P.L. Punia	
CHILD WELFARE BILL, 2009- WITHDRAWN		**692-722**
Motion to Consider		692
Shri S. Semmalai		692-693
Shri Arjun Ram Meghwal		694-697
Shri Jagdambika Pal		698-702
Shri Ramashankar Rajbhar		703-705
Shri Mahendrasinh P. Chauhan		706-707
Shrimati Krishna Tirath		708-718
Shri Adhir Chowdhury		719-722

ILLEGAL IMMIGRANTS AND OVERSTAYING FOREIGN NATIONALS (IDENTIFICATION AND DEPORTATION) BILL, 2009 **723-725**

Motion to Consider **723**

Shri Baijayant Panda **723-725**

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 731

Member-wise Index to Unstarred Questions 732-737

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 738

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 739

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February 25, 2011/ Phalguna 6, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 61 - श्री राजू शेट्टी।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदय, कल दिल्ली के अंदर भाजपा कार्यकर्त्ताओं पर इतनी बड़ी ज्यादती हुई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शान्त हो जाइए। यह क्या उठा रखा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This is not the way.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया :आप लोग बैठ जाइए। आपको समय दे देते हैं। आपको क्या कहना है?

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आप लोग एक-एक करके बोलिए। उनको बोलने नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. You must first sit down. Please take your seats.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज आप लोग बैठिए। क्या कागज दिखा रहे हैं, इसको मत दिखाइए। इसको नीचे करिए।

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Please take your seats. You must first sit down.

... (*Interruptions*)

11.01 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re : Reported Police atrocities on BJP demonstrators in Delhi

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, कल दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर-मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। लोकतंत्र में आवाज उठाना हमारा काम है। कल अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए भाजपा कार्यकर्त्ताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर दिल्ली में बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्यकर्त्ताओं को इतना मारा पीटा गया है, 40 से ज्यादा कार्यकर्त्ता घायल हैं और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कागज मत दिखाइए। कागज नीचे कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, पुलिस लोगों पर पत्थर फेंक रही है, चोट लगने से कार्यकत्ताओं की आंखें निकल गयीं, महिलाओं को मारा गया। कई लोगों की कॉलर बोन टूट गयी, रीढ़ की हड्डी टूट गयी। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please conclude. Let us take up the Question Hour.

... (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : दिल्ली में केन्द्र सरकार की दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की हरकत की है, उस पर सरकार को रिस्पांड करना चाहिए, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्त्ताओं पर जुल्म की इंतिहा की गयी है। कल विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी एवं हमारी पार्लियामेंटरी पार्टी के चेयरमैन माननीय आडवाणी जी एवं पार्टी के अन्य नेता देखकर

* Not recorded.

आए हैं। यह ज्यादती और बर्बरतापूर्ण कार्य इमरजेंसी की याद दिलाता है। क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करना जुर्म है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इस पर रिस्पांड करना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, मैं तो अपेक्षा करता था कि कल दिल्ली में जो घटना हुई, उसके बाद गृह मंत्री स्वयं आकर सदन में कोई बयान देंगे, कोई जानकारी देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे शाम को जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, मैं घर जा रहा था, तब इस घटना की सूचना मिली। उसके बाद मैं फौरन अस्पताल गया। वहां का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। मैं दिल्ली की व्यवस्था से 1957 से परिचित हूं। सन् 1957 में पहली बार मैं दिल्ली आया, तब से मेरा केन्द्र दिल्ली रहा। सन् 1957 के बाद 1958 में पहली बार दिल्ली में कार्पोरेशन का चुनाव हुआ था। मैं मानता हूं कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार अगर उसे प्रमुख विरोधी दल का स्थान मिला तो दिल्ली में मिला। यहां कार्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 27 और हमारे 25 सदस्य इलेक्ट हुए। सन् 1957 से लेकर आज तक मुझे स्मरण नहीं कि कभी पुलिस ने इस प्रकार का बर्बर अत्याचार किया हो, जैसा कल उन्होंने किया। बिना कारण के, केवल प्रदर्शन हो रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके खिलाफ पुलिस द्वारा बर्बर अत्याचार हमारे कार्यकर्ताओं पर किया गया। मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस बारे में विस्तार से बयान दे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इतने लोगों की हड्डियां टूट जाएं, किसी की आंख फूट जाए, ऐसा बर्बर अत्याचार पहले कभी नहीं हुआ था। मैं कल यह देखकर दंग रह गया। नार्मली मैं जब कहीं ऐसी जगह पर जाता हूं तो वहां का कोई डाक्टर भी आकर बताता है कि क्या स्थिति है, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी को इसकी चिंता नहीं थी। लगता था जैसे ये कोई टैररिस्ट्स हैं, जिन्हें मारा गया है, ऐसा भयानक मंजर था।

मेरा निवेदन है सदन के नेता से कि इस मामले में सरकार बयान दे कि क्या हुआ, क्यों हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना क्या अपराध है, जिसके कारण इस प्रकार बर्बरता से मारा जाए। जिसने भी इस प्रकार की सूचना दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना किसी सूचना के इस प्रकार का अत्याचार करने की हिमाकत पुलिस कर सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस पर सरकार की ओर से बयान आना चाहिए।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I take note of what Shri Advani and Shri Shahnawaz Hussain have said with all the seriousness their words demand and I

assure the House that I will just get in touch with the hon. Home Minister and convey this to him immediately.

अध्यक्ष महोदया: अब आप क्यों खड़े हो गए हैं, गणेश सिंह जी बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: यह कोई तरीका नहीं है। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें और प्रश्न काल चलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

---

* Not recorded.

(Q. No.61)

श्री राजू शेट्टी : अध्यक्ष महोदया, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति बनाई गई है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि पिछले तीन सालों में देश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन जो पर्यटन नीति बनाई गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता है, उस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कितनी पूंजी पर्यटन को विकसित करने के लिए इन्वैस्ट की जाएगी। महाराष्ट्र में और खासकर कोंकण और वैस्टर्न घाट के बीच जो पहाड़ी इलाका है, वह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

वहां छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के किले हैं तीर्थ क्षेत्र हैं तथा रिजर्व फॉरेस्ट हैं। यहां पर्यटन को आकर्षित करने के लिए कितनी पूंजी आज तक इंवैस्ट हो चुकी है और आगे सरकार का क्या और करने का इरादा है? यह मेरा पहला प्रश्न है?

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्य ने कोंकण इलाके के बारे में बात कही है। सामान्यतः तरीका है कि जब प्राइरिटाइजेशन स्टेट द्वारा होता है तो उसकी यहां बैठक होती है। स्टेट से जो प्रपोजल आते हैं, उन पर हमारे मंत्रालय के पदाधिकारी और वे दोनों बैठकर उसकी प्रीओरिटी तय करते हैं। उसी के आधार पर स्कीम्स लागू की जाती हैं और हमारे यहां से फाइनेंशियल मदद की जाती है। कोंकण का इलाका बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, शिवाजी के जीवन से जुड़ा हुआ इलाका है, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए - यह मेरा मानना है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा अगर यह प्रपोजल आयेगा या आया है तो हम उसे प्राथमिकता देंगे, यह मेरा माननीय सदस्य से कहना है।

श्री राजू शेट्टी : अध्यक्ष महोदया जी, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वैस्टर्न घाट पर कुछ इकोसेंसिटिव जोन प्रस्तावित किये हैं और यहां श्रावस्ती के पहाड़ में रहने वाले, बकरी पालन करने वाले लोग रहते हैं, उन्हें इस पर्यटन नीति में अपनाने की नितांत आवश्यकता है क्योंकि वहां न तो कोई उद्योग है और न कोई कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां के बेरोजगार लोगों के लिए, इस पर्यटन नीति में क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? जो लोग जंगल और पहाड़ में रहते हैं, उन लोगों के घरों तक जाने के लिए सड़क भी नहीं है। इनके विकास के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्य ने दो चीजें कही हैं - पहला तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है कि वहां के जो मूल निवासी हैं, उनके लिए पर्यटन की क्या नीति बनाई जाए? हमारे मंत्रालय का रूरल टूरिज्म प्रोग्राम है और रुरल टूरिज्म के पीछे यह भावना है कि जो हमारा एथनिक कल्चर

है उससे लोगों को कैसे रूबरू कर सकते हैं। अगर वहां से कोई रूरल टूरिज्म का प्रपोजल आता है तो मंत्रालय उसे प्राथमिकता देगा।

श्री पन्ना लाल पुनिया : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बहुत विस्तृत जवाब दिया है। आपकी पॉलिसी के अंतर्गत यह कहा गया है कि इंटिगरेटिड सर्किट के आधार पर स्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और वे भी विश्व-स्तरीय सुविधाएं होंगी। उसके लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी और ये स्थापना सुविधाएं सभी डेस्टिनेशन्स पर उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सर्किट बुद्धिस्ट सर्किट है जहां पर चीन, जापान, कोरिया से चार्टर्ड फ्लाइट से लोग आते हैं लेकिन जब वे यहां पहुंचकर वहां जाना चाहते हैं तो वहां के लिए उन्हें सुविधा नहीं है। पहले जापानी सहायता से सड़क बहुत अच्छी बनी थी लेकिन आज मरम्मत न होने की वजह से वह सड़क उत्तर प्रदेश की सबसे खराब सड़कों में से एक है। रेलवे लाइन के लिए भी मांग उठाई गयी थी कि कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कौशाम्बी और सारनाथ को बहराइच होते हुए रेलवे लाइन का एक सर्किट बनाया जाए। यह बहुत पुरानी मांग है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस रेलवे लाइन को बिछाने का और इस सड़क को बहुत अच्छी सड़क बनाने का, संबंधित मंत्रालयों से समन्वय करके, क्या इसमें अपनी पहल करेंगे?

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने सही कहा है कि उत्तर प्रदेश का बुद्धिस्ट सर्किट दुनिया के सैलानियों के लिए महत्वपूर्ण है। हम पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। यूपी बुद्धिस्ट सर्किट में जापान की एड से रोड का निर्माण किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है और यह काम अंडर प्रोसेस है।

जहां तक विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित मामला है, मैं रेलवे मंत्रालय से भी इस दिशा में बात करूंगा। रोड़ से जुड़ा जो सवाल उठाया है, बुद्धिस्ट सर्किट को प्राथमिकता देकर रोड़ दी जा रही है। मैं समझता हूं कि अगले वित्त वर्ष में इसका काम शुरू हो सकता है।

श्री निशिकांत दुबे : महोदया, दिसम्बर 2010 में वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, तब चिंता जताई गई थी। यह बात ठीक है कि उस समय राष्ट्र मंडल खेल हुए थे। आप टूरिस्ट्स का फ्लो दिखा रहे हैं कि वह 8.1 परसेंट था, लेकिन कहीं न कहीं यह भी चिंता है कि टूरिस्ट्स का फ्लो कम हुआ है। आपकी मिनिस्टरी का 21 जून 2010 का लेटर है, जिसके बारे में पुनिया जी पूछ रहे थे कि आपने कहा है कि सिविल एविएशन में, रेलवे में, ट्रांसपोर्ट में, हाई वे में, फूड प्रोसेसिंग में कन्वर्जेन्स होगा। मेरा कहना है कि 46 मेगा डेस्टीनेशन के बारे में आपके मंत्रालय ने कहा है। आप और हम जिस राज्य से आते हैं, उसमें

देवघर भी शामिल है। उन 46 जगहों के लिए क्या कन्वर्जेन्स की मीटिंग हो पाई है? क्या राज्यों के साथ या अन्य मंत्रालयों के साथ 21 जून के लेटर के बाद बैठक हुई है? यदि हां तो कितनी बैठकें हुई हैं और क्या-क्या प्रोग्रेस हुआ है, इसके बारे में आप सदन को बताएं?

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने शुरू में कहा है कि हर राज्य से संबंधित 46 डेस्टीनेशन्स हैं, वे विभिन्न राज्यों में बंटे हुए हैं और उसके द्वारा प्रायरिटाइजेशन की जो मीटिंग होती है, उसमें राज्य सरकार प्रस्ताव ले कर आती है। मंत्रालय में उस पर कामन मीटिंग प्वायंट बनाया जाता है। इसकी मीटिंग चल रही है। अप्रैल से वर्ष 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में राज्य की प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को लिया जाता है। हमारा यह प्रोसेस बना हुआ है, जिसके आधार पर हम अपनी योजना के विकास में उसका इनपुट डालते हैं।

श्री रेवती रमण सिंह : महोदया, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और इससे हमारे देश का रेवेन्यु भी बढ़ा है। इसमें एक बात साफ नहीं है कि हमारे यहां जो परम्परागत पर्यटक स्थान हैं, उनके अलावा कोई अन्य पर्यटक स्थान का आपने चयन किया है या नहीं किया है? प्रश्न-ग के उत्तर में आपने कहा है कि जब प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आएगा, तब हम विचार करेंगे।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इलाहाबाद, जो कि पूरे देश में तीर्थों का राजा नाम से विख्यात है, वहां लाखों लोग अर्धकुम्भ मेले में और करोड़ों लोग कुम्भ मेले में आते हैं। माघ मेले में भी लाखों की संख्या में तीर्थयात्री देश और विदेश से आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार अपनी तरफ से आपको प्रस्ताव भेजे कि इलाहाबाद को अगली योजना में पर्यटक स्थान के रूप में चुन लिया जाए।

श्री सुबोध कांत सहाय : जैसा माननीय सदस्य का प्रस्ताव है, इलाहाबाद अपने आप में बहस का सवाल नहीं है। वह एक ऐसा डैस्टीनेशन है कि सब लोग वहां जाते हैं। माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार से यह प्रस्ताव नहीं आता है तो मंत्रालय राज्य सरकार को पत्र भेजेगा कि इसकी क्या संभावना है, इसे आप देखकर हमें भेजिए क्योंकि प्रक्रिया वही है कि राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आता है, उसे हम प्रायोरिटी पर लेते हैं लेकिन मंत्रालय इसमें इनीशिएटिव लेगा।

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में पर्यटन के दो ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसमें एक काको में बीबी कमाल का मजार है जो दुनिया की सबसे पहली महिला सूफी संत हुई, एक तो उनकी जगह है और दूसरी जगह वानारन पहाड़ जो हिन्दू, बौद्ध और जैन तीन धर्मों की देश की प्राचीनतम संगमस्थली है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र

सरकार जहानाबाद जिले में बीबी कमाल का जो मजार है, उसे और जो वानारन पहाड़ है, उन दोनों को प्राथमिकता सूची में तय करके, दोनों को पर्यटन स्थल की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है?

श्री सुबोध कांत सहाय : महोदया, मैं माननीय सदस्यों को दुबारा बताना चाहता हूं कि जो प्राथमिकता तय करने का तरीका होता है,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनको पहले उत्तर देने दीजिए। आप पहले सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : जैसा मैंने कहा कि बिहार अपने आप में तीन-चार धर्मों की जननी है और बिहार में अगर हमारे कुछ मंत्रालय से हो सकता है तो वह प्रयास हम जरूर करेंगे, इतना एश्योरेंस मैं आपको देता हूं। नॉर्मली कोई मंत्री यह बात नहीं कहता है। जो सिखायी जाती है, वह दूसरी भाषा सिखाई जाती है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देवघर, देवघर का सर्किट, वाराणसी और सारनाथ का सर्किट ये सब हमारी प्राथमिकता के आधार पर है और इसको हम लोग निश्चित रूप से करेंगे।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam Speaker, West Bengal has a very broad prospect to develop tourism areas because in Bengal, there are places like Digha and entry for North-Eastern region. There are sea beaches like Digha and areas like Sunderbans where Royal Bengal Tigers are available. Recently, we had been to Sunderbans to see the Royal Bengal Tigers but by the grace of the Left Front Government वहां भी बाघ नहीं दिखाया जाता, छाक नहीं दिखाया जाता।

So, I propose one thing. There are lion safaris in South Africa which mobilise the whole tourists in South Africa who walk with the lions. Three weeks back, I was in Mauritius and I saw the way they walk with the lions in the garden and the way they were walking like friends. In Sunderbans where Royal Bengal Tigers are most famous, why not tiger safari is proposed to be arranged there? If lion safaris can mobilise the tourists from the whole of the world to earn foreign exchange, why not tiger safari here, Darjeeling hills followed by Sandakphu and North-Eastern region on one side and Sunderbans on the other side? Why can it not be given a proper attention and proper outlook?

With more Central investment, it can be made a much more attractive tourist spot. Of course, Jammu and Kashmir is beautiful. But Darjeeling is no less beautiful. It is known as Queen of Hills. Why not include Darjeeling in the world tourist map so that tourists from all over the world can come and West Bengal can emerge as the tourist centre of the country?

SHRI SUBODH KANT SAHAY: I must appreciate the hon. Member for rightly pointing out the potential of West Bengal because West Bengal is one of the highest attraction for the domestic tourists as well as the foreign tourists. So, these three destinations are the ultimate ones from the tourist point of view. We will take up the case with the State Government either before or after election, as per your convenience. But we will take up this issue.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have a very long list and I do not think I will be able to make all of them speak. Let us have a Half-an-hour discussion on this. I think we can have a Half-an-hour discussion, if you give a notice. This is a fit case for having a Half-an-hour discussion. There are so many Members who want to speak on this.

(Q.No. 62)

SHRI JOSE K. MANI : While recognizing the need for essential and life-saving medicines in public health, there is an urgent need to recognize the health implications of their irrational use. There are many irrational and potentially hazardous drugs available in the market which have a questionable benefit-risk ratio, that is the risk is much higher than the benefit when much safer, cheaper and effective alternative medicines are available. What we have now is the pharmaceutical policy. But what we need is a health-oriented rational drug policy.

My question to the Minister, through you, is whether the Government will take steps to formulate a rational drug policy.

SHRI DINESH TRIVEDI: I am very happy to reiterate that the policy of the Government is rational and is benefiting the people at large. But to make sure that the continuity continues, we have checks and balances. One of such checks and balances is the new Programme, National Pharmacovigilance Programme.

SHRI JOSE K. MANI : I am not satisfied with the answer of the hon. Minister. Actually if you look at the production of drugs in relation to disease burden, it is not only the production of drugs but also the distribution and storage of drugs which are irrational. They are not at the rational drug policy level.

My second supplementary question is this: What steps the Government has taken to ensure that the post-marketing surveillance is undertaken by the manufacturers, especially for drugs which involve a higher risk?

SHRI DINESH TRIVEDI: We have this Drug Technical Advisory Board. Post-marketing surveillance is an on-going process. That is why the National Pharmacovigilance Programme aims to enhance the post-market surveillance. Whenever a drug is introduced in the market, it cannot be introduced without a proper clinical trial. But the clinical trial is always done in an atmosphere which is conditioned.

In other words, we do not have too many people and too many data base. To ensure that the drug, which is coming in the market, has more benefit than risk, it is only after the clinical trial that the drug is allowed to be manufactured or used. This is a world-wide phenomenon and after the drug is introduced, this Pharmacovigilance Programme will ensure continuity of the benefit. Suddenly, you find that when it is introduced in a larger section of society, there are some side-effects. That is why this programme has been reintroduced in India to ensure to take care of all these side effects as and when it comes.

डॉ. ज्योति मिर्धा : मैडम, मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि फॉर्मेको विजिलेंस का एक नया प्रोग्राम हम लोगों ने सितम्बर, 2010 में शुरू किया। मैं मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि 2004 से 2008 तक वर्ल्ड बैंक की एड से हम लोग एक फॉर्मेको विजिलेंस प्रोग्राम चला रहे थे, जिसका नैट रिजल्ट जीरो था। क्योंकि जब आप ड्रग रीएक्शन की बात करते हैं तो जो उसका लिटमस टैस्ट होता है और जब आप उसको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो उपासला, स्वीडन में होती है, उसके पास आप रजिस्टर कराते हो, उसके बाद आपकी कम्पलेन्ट्स को वे मैरिट के बेसिस पर जज करते हैं, अपनी ड्यू डिलिजैन्स करते हैं और अगर उसके अंदर मैरिट होता है तो वे इंटरनेशनली एक एडवाइजरी जारी करते हैं, जिसमें वे यह कहते हैं कि इस ड्रग का एक हिदरटू अननोन साइड इफैक्ट हमें अभी पता चला है, जिसे हम मोनोग्राफ के अंदर चेंज करने के लिए एडवाइजरी देते हैं। परंतु हिंदुस्तान की तरफ से आज तक एक भी ऐसा एडवर्स ड्रग रीएक्शन नहीं बताया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां फॉर्मेको विजिलेन्स के नाम पर फार्स हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो ड्रग्स हिंदुस्तान में चलन में हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहती हूं कि लेट्रोजोल एक दवाई है, जो ब्रैस्ट कैंसर के लिए दुनिया भर में काम में लाई जाती है। यह नोवार्टिस की बनाई हुई एक दवाई है। लेकिन हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है, जहां उसे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमैन्ट में काम में लाया जाता है। 192 देशों में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है, जहां उसे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमैन्ट में काम में लेते हैं। नोवार्टिस ने एक एडवाइजरी जारी करके गॉयनोकोलोजिस्ट्स को वर्ल्ड ओवर चिठ्टी लिख-लिख कर यह बोला है कि इसे इनफर्टिलिटी के काम में न लिया जाए और हिंदुस्तान में भी कम से कम पांच सौ गॉयनोकोलोजिस्ट्स के पास नोवार्टिस की ऐसी चिठ्ठियां आई हैं।

महोदया, इसे लेट्रोजोल के बारे में पहला रेगुलेटरी लैप्स कहना चाहिए और दूसरा लैप्स अभी हाल ही में डीटीएपी की बात साहब कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदया : आप सवाल पूछिये।

डॉ. ज्योति मिर्धा : मैडम, बगैर बैकग्राउंड के सवाल पूछना मुश्किल है, क्योंकि यह लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है।

अध्यक्ष महोदया : आप सवाल को बहुत लम्बा मत करिये। मैं आपकी बात को समझ रही हूं।

डॉ. ज्योति मिर्धा : मैडम, लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। दो साल तक लेट्रोजोल की लांग टर्म ट्रायल्स कंडक्ट की जायेंगी। अगर उनके एडवर्स रीएक्शन मिलते हैं तो उसके बाद लेट्रोजोल को इनफर्टिलिटी के लिए हिंदुस्तान में बैन किया जायेगा, ऐसा एक कमेटी ने हाल ही में बोला है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसी डेंजरस ड्रग्स, जो दुनिया भर में कहीं और काम में नहीं ली जाती हैं, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए क्या हम फॉर्मेको विजिलेंस की आड़ में ऐसे नये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं?

SHRI DINESH TRIVEDI: The answer is absolutely no. The Pharmacovigilance Programme is a very positive programme. The hon. Member herself is a Medical Doctor and also an expert in this field. We, the hon. Ministers in the Ministry of Health, would always welcome suggestions by such expert hon. Members and people at large. Having said that there are two questions asked.

First question is about the programme of Pharmacovigilance which was aided by the World Bank from 2004 to 2008. The hon. Member is perfectly right. That programme did not achieve its basic objective and that programme was not the programme of the country in the sense that we were not financing it. There were a lot of lacunae. A country like India, which we are very proud of, has the best of brains, the best of experts and the best of doctors in the world. That is why we have so many doctors of Indian origin all over the world. Having said that as far as Letrozole is concerned, it is a generic drug and in the beginning also, we have said, every drug is based on risk and benefit. I can assure the hon. Member that no drug in India will ever continue if it is found that the risk is more than benefit, does not matter even if it continues elsewhere in the world.

Now I come to the basic point. I have a long history of Letrozole. If you permit me, I can give you a lengthy answer on that but the short answer would be that technical experts have gone into the details and the depth of it. This drug is basically used for breast cancer. That is what Novartis had ventured into. But, in the literature, it says the other uses also could be this. We have a lot of unfortunate couple who would want to have babies but because of various medical problems and otherwise, they do not have it. So, it was found that this particular drug also can induce whatever is required to have babies in women. The use of this drug has gone through a proper clinical trial. In the Experts Committee, it has been deliberated for a very long time from 1998. But still I can tell you that if the hon. Member can give certain details which can be proved that if the risk is more, then, we are always open to suggestions and have this looked into again. But I can assure you at the moment that the experts have gone into it and they have cleared this drug.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except Dr. Kirit Solanki's question.

(Interruptions) …[*]

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Madam, I thank you for allowing me to speak on this important issue.

The Adverse Drug Reaction is a very serious issue as far as medical fraternity is concerned. The National Pharmacovigilance Programme is there. Under this Programme, some 11,633 cases have been registered so far. What I say is that so many unregistered cases are there. This figure is the tip of the iceberg. I would like to highlight a recent case in Rajasthan which took place a few days back. There was a side-effect of the intravenous glucose. Some 13 pregnant women died. I think this is a very serious matter. The known-drugs which are causing drug reaction are all right. We can monitor aspect. But the drugs which are inert should not have reaction after their administration. This issue is a very

[*] Not recorded.

important issue. I would like to ask the hon. Minister to make necessary inquiry and monitor that for this intravenous fluid, why there should be the fatal drug reaction. I would also like to say that known-drug reaction should be labeled in a different manner so that even the layman, an illiterate patient who is consuming it can read because of different colour code. Will the Government consider it?

SHRI DINESH TRIVEDI: Anything which benefits the patient is always accepted and it is always implemented. In regard to this particular, specific question, I can assure you that if the hon. Member can give me the specifics of this particular drug, this drug can be given to the Pharmacovigilence Committee. It is done under the auspices of the All-India Institute of Medical Science. Today, AIIMS is one of the best Institutions in the world. We are very happy that in India we have such an Institution. I can assure you that if you give the details, I will have them examined by the people in AIIMS. This can always go before the Committee.… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों जोधपुर में 13 गर्भवती महिलाओं की इनफैक्टेड इंट्राविनयस डैक्सटरोज़ एंड रिंगर लैक्टोस फ्लयूड की वजह से मौत हो गई है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन ।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं उन डैंजरस ड्रग्स और मैडिसिन्स की बात करना चाहती हूं जो देश के कोन-कोने में फैल चुकी हैं। उनका असर यूथ पर हो रहा है, इससे यूथ खत्म हो रहा है। मां-बाप तड़प रहे हैं, पति-पत्नी के रिश्ते इस मैडिसन के कारण टूट रहे हैं। जैसे ऑयोडैक्स है और भी बहुत सी दवाईयां हैं, जो ड्रग एडिक्शन का काम करती हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि देश के कोने-कोने में इन दवाईयों का विस्तार हो रहा है। इसे रोकने के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं, वे इसके लिए क्या उपाय यूज कर रहे हैं? मैं यह जानना चाहती हूं।

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, drugs always have some specific use. If some people use a drug which is prescribed for something and use for something else, then, I think, they are not following the prescription and advice of the medical

practitioners. Drugs are also prescribed under certain restrictions and again the hon. Member can give some specific example because it was generalised. We are always open to look into it. As you understand, Health is a State Subject and many a time it is the Centre which can give advisories to the States. I would suggest to the hon. Member that if he has some specific case, he can kindly give it to me and I assure him that I will have it looked into.

(Q. No.63)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदया, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह संतोषजनक नहीं है। आज पूरे देश में स्विस बैंकों में गुप्त रूप से जमा काले धन की चर्चा हो रही है और उसे देश में वापस लाने की मांग भी उठी है। पूरा देश उन भ्रष्ट गद्दारों का नाम भी जानना चाहता है, जिन्होंने देश को लूटा है और साथ में उन देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यह भी चाहते हैं। महोदया, पहले कहा जाता था कि स्विस बैंकों में जमा धन गोपनीय होता है और उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती, किन्तु अब व्यवस्था बदली है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि देशों ने दबाव डालकर स्विस बैंकों में जमा धन की घोषित लोगों की जानकारी प्राप्त कर ली है। मेरा कहना है कि हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम स्विस बैंकों से यह जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। सरकार बार-बार कहती है कि इस काले धन को वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यह प्रतिबद्धता कार्यशैली में दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि यह केवल सरकार का दिखावा है।

अध्यक्ष महोदया : अब आप प्रश्न पूछिये।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदया, सरकार इसके लिए गंभीर नहीं दिखती है। इसलिए मेरा आदरणीय वित्त मंत्री जी से सवाल है कि क्या अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस इत्यादि देशों की तर्ज पर भारत अपने दवाब से स्विस बैंकों में काला धन जमा करने वालों के नाम एवं काला धन देश हित में जाहिर करके देश में वापस लाने का काम करेगा। अगर हां तो कब तक? ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, the hon. Member is correct that the whole country is interested about it and agitation is going on in several fora, including the media and even certain Public Interest Litigation cases are also filed. This is, no doubt, a serious issue. But the question was limited to Switzerland, but I can expand it a little bit and there is no harm.

Actually the Member is correct that the Swiss authorities have stubbornly refused to disclose the identity of the depositors in the Swiss Banks and till recent developments, in only one case they disclosed the names and that was in 1946 when the Nuremberg Trials were taking place. The money which was deposited by the Nazi leaders for the consideration of the judges of Nuremberg Trials was disclosed and that was the first and last instance. But there has been a development

since Pittsburg Summit. In Pittsburg Summit, on 24th September, 2009, the world leaders suggested to all the countries to cooperate with each other to locate the funds kept in their jurisdiction and even those which are not sovereign countries, but are considered for tax purposes as tax havens or independent jurisdictions, they were also brought in.

Taking advantage of that, we have been able to enter into an agreement amending the relevant clause in the Double Taxation Avoidance Agreement with Switzerland recently. We have signed the agreement. The agreement has been signed by me as the representative of the Swiss Government in last August in Delhi. But it is not yet ratified as far as the laws of the Switzerland are concerned.

They will give us information, but that information will be prospective from the 1st of April 2011 and thereafter we shall be able to trace back. It would be our job and once we get a clue then it would be possible for us. With your permission, Madam, I can also share that we are having the wide-pronged strategy to unearth the black money.

First is that India has become a member of the global crusade and the international organisation, FATS. India has become the 34th member of that group because of efforts continuing for several months, particularly, since these developments in the G-20.

Second is that we are entering into the legislative arrangement by avoidance of double taxation agreement with those countries which are sovereign, with which we have Double Taxation Avoidance Agreement. There are as many as 79 countries with which we have DTAA. We have initiated and 23 negotiations are complete; some of them have been signed, some of them are waiting to be signed. In addition to that we have also entered into negotiations for entering into Tax Information Exchange Agreement and up to now 10 such negotiations have been

completed; some of them have been signed and others are waiting to be signed. Therefore, these are the legal measures which we have taken.

Another mechanism through which money is being transferred to other countries is the transfer pricing, when export-imports or external transactions take place. Now-a-days, economy has become expanding. People are investing there and from there also money is coming as dividend, as part of profit in different forms. Transfer pricing is also an instrument through which money is being stored abroad. We are trying to make our people expert and we have deployed about 30 senior officers at different levels belonging to the Ministry who are dealing with this transfer pricing operation. They have been trained and we are constantly in touch with different countries and different agencies.

In this effort, I can assure the hon. Member that we will be able to get the information, but at the same time, even wherever we have got the information, particularly, in AGT Bank – I mentioned it in my Press Conference earlier and I mentioned it in the court, I have given the list of the names in the sealed cover to the court and even if the courts were to decide in their wisdom, they can do whatever they like -- but as per the terms of agreement, I cannot disclose unless these persons are prosecuted. As and when these persons will be prosecuted in the open court then it would be in the domain of the public knowledge. Thank you.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: माननीय अध्यक्ष महोदया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कनवैंशन पारित किया है जिसे यूएन कनवैंशन अगेन्स्ट करप्शन के नाम से जाना जाता है। दुनिया के 140 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत भी इसमें से एक है। इस कनवैंशन को लागू करने के लिए उसे अपने देश में अनुमोदन रैक्टिफाइ करना ज़रूरी होता है। कुछ देशों में यह अनुमोदन संसद के रास्ते किया जाता है। हमारे देश में मंत्रिमंडल भी अनुमोदित कर सकता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक 14 देश बचे हैं, जिन्होंने उसको अनुमोदित नहीं किया है। दुर्भाग्यवश इसमें भारत भी शामिल है। मेरा आदरणीय वित्त मंत्री जी से सवाल है कि भारत कब तक इस कनवेंशन का अनुमोदन रैटीफाइ करेगा, एवं अभी तक अनुमोदित नहीं करने का क्या कारण है?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We are ratifying and definitely when we will ratify, and if there is a separate question, I will answer that as to what are the reasons. It is not that. In all international conventions which are entered into, every country wants to look into its own national interests. There are certain areas on which we wanted to have clarifications. We have received the clarifications. That is why we had to wait. Otherwise, once we sign, we bind ourselves. That is why, it took some time. But we are going to do it. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : कृपा करके आप शांत रहिए।

…(व्यवधान)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदया, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि जिस किसी का भी काला धन विदेशों में जमा है, वह देश छोड़ कर भाग न जाए। जबकि हसन अली खां, जिसके पास बेशुमार दौलत काले धन के रूप में जमा है, वह देश छोड़कर भागने में सफल हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार की विफलता का क्या कारण है?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Directions of the Supreme Court will be observed.

MADAM SPEAKER: Shri Sanjay Nirupam.

… (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है...(व्यवधान)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदया, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न हो गया है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The hon. Minister is giving his reply.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Then why are you shouting? Tell me, what you want to know. The hon. Member asked me that the Supreme Court has given directions in respect of Hasan Ali Khan so that he cannot leave this country. In response to that, I have said that directions of the Supreme Court will be observed.

They will be observed means he will not be allowed to go.… (*Interruptions*) Please do not interrupt me. … (*Interruptions*) What is this? … (*Interruptions*) I am answering the question. It is not fair, Madam. … (*Interruptions*)

Are you not ashamed that one of your comrades was raided by the Income Tax Department? You are talking of black money!… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Let him reply.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Hasan Ali Khan has not left the country. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: It is a very serious matter. Please sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : सदन के नेता को सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए। सदन के नेता बोल रहे हैं, गंभीर विषय है।

…(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am informing that direction has been observed means Hasan Ali Khan has not been allowed to leave the country. Income Tax Assessments have been made; the Department is prosecuting. But there is a law of the land. My Department has raided one of the leaders of the CPM but I cannot hang her. It will go as per the law of the land. Law of the land is there. You should be ashamed of your own conduct..… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Sanjay Nirupam.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) ...[*]

[*] Not recorded.

MADAM SPEAKER: Shri Sanjay Nirupam.

… (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम : मैडम, मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं,...(व्यवधान) प्रश्न-काल को जीरो-ऑवर नहीं बनने देना चाहिए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go to your seats.

11.54 ¾ hrs

At this stage, Sk. Saidul Haque and some other hon. Members came and stood near the Table.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

11.55 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

MADAM SPEAKER: Shri Pranab Mukherjee.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, just before the House was adjourned, unfortunately I lost my temper; and I am extremely sorry for that. But the only point, which I was trying to drive at, was that the country is to go as per the law of the land. Whatever be our emotions about one individual, simply because he has been accused, the due process of law cannot be avoided. When the question was put: "What about the directions of the Supreme Court?", I said: "The directions of the Supreme Court will be observed." It has been observed; he has not been allowed to leave the country. The Income Tax Department has completed the assessment. They are contemplating the prosecutions. And, I did not understand very frankly as to what were the reasons of the provocation of the hon. Members. If my voice is the reason, I cannot help it! Sometime, I speak in louder voice. But I did not mean anything. What were their laws, you were talking. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right. The matter is over.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Again you are shouting, Dr. Dome. There was no need of shouting.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please, cooperate. The matter is over.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I know each and every one of you. I have best relationship with you. But that does not mean that 20 people will suddenly get up and disturb the Question Hour! Please do not do it. Thank you very much.

MADAM SPEAKER: Thank you.

12.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to lay on the Table a copy of the Economic Survey 2010-11 (Hindi and English versions)

(Placed in Library, See No. LT 3902/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Textile Committee, Mumbai, for the year 2009-2010 alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Textile Committee, Mumbai, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3903/15/11)

(3) A copy of Notification No. 2094 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th August, 2010 mandating 100% packaging of Food grains and Sugar in Jute Packaging material issued under sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 3904/15/11)

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the British India Corporation Limited, Kanpur, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the British India Corporation Limited, Kanpur, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 3905/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/19/26456 in Gazette of India dated 12th November, 2010 issued under section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(Placed in Library, See No. LT 3906/15/11)

(2) A copy of the Canara Bank (Employees) Pension (Amendment) Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. PW:IRS:3513:2010 in weekly Gazette of India dated 26th November, 2010 under sub-section (4) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 3907/15/11)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2009-2010 along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 3908/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): Madam, on behalf of my colleague Shri S. Gandhiselvan, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2009-2010.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2009-2010 together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3909/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2009-2010 along with Audited Accounts.

(Placed in Library, See No. LT 3910/15/11)

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2009-2010.

(4) A copy of the Drugs and Cosmetics (7th Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.683(E) in Gazette of India dated 19th August, 2010 under section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 3911/15/11)

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(i) 229th, 234th and 235th Reports

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of Standing Committee on Human Resource Development:--

(1) Two Hundred Twenty-ninth Report on the Architects (Amendment) Bill, 2010.

(2) Two Hundred Thirty-fourth Report on the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010.

(3) Two Hundred Thirty-fifth Report on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010.

(ii)Evidence

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): I beg to lay on the Table copies of the Evidences tendered before the Committee on Human Resource Development on:--

(1) The Architects (Amendment) Bill, 2010

(2) The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010.

(3) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010.

12.04 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission, Madam, I rise to announce that the Government Business during the week commencing Monday, the 28th February, 2011, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Presentation of Budget (General) for 2011-12 at 11.00 a.m. on 28.02.2011.
3. Consideration and passing of:-
   (a) The Repatriation of Prisoners (Amendment) Bill, 2010; and
   (b) The Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2010
4. General Discussion on Budget (Railways) for 2011-12.
5. Discussion and Voting on:-
   (a) Demands for Grant on Account (Railways) 2011-12; and
   (b) Supplementary Demands for Grants (General) 2010-11.
6. Introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bills.

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यवाही में कृपया निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. अतिवृष्टि, बाढ़ तथा बेमौसम बरसात से घरों के गिर जाने से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत न मिलने की वजह से भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह देखते हुए उन्हें तत्काल सहायता उपलबध कराने के लिए सरकार को आपदा प्रबंधन विधेयक में नियम बनाने की आवश्यकता।
2. किसानों का खेतों से संपर्क बना रहे, इसलिए एनडीए सरकार ने सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चलाया था। लेकिन यह योजना बंद होने से हो रही असुविधा को देखते हुए इसे पुनः शुरू करने की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची मे निम्निलिखित विषयों का समावेश किया जाए -

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 76 जो कि झांसी से छतरपुर बमीठा फोर लेन एक्सप्रेस हाइवे में परिवर्तित होना था जिसका सर्वे हो चुका था, योजना को रोक दिया गया है, इसे पुनः प्रारंभ होना चाहिए।
2. प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के नौगांव अथवा टीकमगढ़ में ही प्रारंभ किया जाना चाहिए।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Respected Madam, I request you to include the below mentioned subjects in the agenda for the next week's business of Lok Sabha.

1. Inclusion of Yoga in school syllabus in the country.
2. Reviving the closed and abandoned Tea Gardens in the country.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को जोड़ा जाए -

1. पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर मंडल में ईस्लामपुर में गुडशेड टर्मिनल बनाए जाने की आवश्यकता।

2. पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत दानापुर मंडल में बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-तिलैया रेलखंड के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं सहित पेयजल देने की सुविधा देने की आवश्यकता।

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Madam, kindly include the following subject in the Government's Business for the next week:-

This is regarding the recognition of the Government Medical Colleges by the Medical Council of India in Gujarat namely (i) Sola Medical College (Ahmedabad) (ii) Gotri Medical College (Vadodara), (iii) Gandhinagar Medical College (iv) Patan Medical College and (v) Valsad Medical College.

MADAM SPEAKER: That is all.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सबमिशन के रूप में आपके सामने उपस्थापित करना चाहता हूं -

1. बिहार को विकसित करने के लिए विशिष्ट राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए।
2. बिहार में 38 चीनी मिलों, जिसमें नवादा की वारसलीगंज चीनी मिल भी है, को चालू करने के लिए इथनौल की अनुज्ञप्ति देने के लिए केन्द्र सरकार कदम उठाए।

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): अध्यक्ष महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. मुख्य सड़क से खेतों तक पहुंच सड़क न होने से किसानों के कृषि उपज की एवं कृषिपूरक वस्तुओं की यातायात की गंभीर समस्या है। मुख्य सड़क से खेतों तक पहुंच सड़क बनाने की संभावनाएं तलाशने की आवश्यकता।
2. सौर ऊर्जा के माध्यम से 20,000 मेगावॉट विद्युत शक्ति लक्ष्य वर्ष 2022 तक पूरा करने की संभावनाएं तलाशने की आवश्यकता।

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित विषयों को एजेंडा में शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें -

1. उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों मे रहने वाले कौल, मुंडा एवं हौ जाति द्वारा बोली जाने वाली हॉ भाषा को शासकीय मान्यता दिए जाने एवं वरणचिटी लिपि का कार्य।
2. दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच नई राजधानी रेल सेवा वाया क्योंझर एवं टाटानगर होकर चलाने का कार्य।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण समस्या को जोड़ने की कृपा करें।

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में हाल में हुई ओला वृष्टि से जान-माल के भारी नुकसान के संबंध में।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के संदर्भ में।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कारगर योजना बनाए जाने से संबंधित विषय।
2. सरकारी मंत्रालयों/विभागों व उपक्रमों में अस्थायी कर्मचारियों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर स्थायी किए जाने से संबंधित विषय।

12.11 hrs

RAILWAY BUDGET (2011-12) – GENERAL DISCUSSION

MADAM SPEAKER: Now presentation of Railway Budget. Kumari Mamata Banerjee.

THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE): Madam Speaker, I rise to present before this august House the Revised Estimates for 2010-11 and the estimated receipts and expenditure for 2011-12. I deem it an honour to present the third Railway Budget under the kind guidance of the hon. Prime Minister. I profusely thank the Finance Minster for his continued support and encouragement to the railways.

As the hon. members are aware, the wheels of the railways continue to move 24 hours, all 365 days. Railway's services are comparable to emergency services, required all the time. I am proud of the 14 lakh members of my railway family, who toil day and night with unparalleled dedication. I am also grateful to all passengers without whose cooperation and consideration, we could not have run this vast system. I have also received unstinted support from our two recognised federations and staff and officers' associations.

Madam, rail transportation is vitally interlinked with the economic development of the country. With the economy slated to grow at a rate of 8-9%, it is imperative that the railways grow at an even faster pace. I see the railways as an artery of this pulsating nation. Our lines touch the lives of humble people in tiny villages, as they touch the lives of those in the bustling metropolises.

We are taking a two-pronged approach, scripted on the one hand, by a sustainable, efficient and rapidly growing Indian Railways, and on the other, by an acute sense of social responsibility towards the common people of this nation. In this budget, we have attempted to combine a strong economic focus with an equal emphasis on social inclusion with a human face.

Madam Speaker, with your kind permission, to save the time of the august House, may I submit that since Railway is a vast subject and touches all people, the Speech lists out a large number of names of places, projects, stations, performance of the organization and others. I will cut short my speech in some places, but the entire printed speech may kindly be taken as read. Thank you.

मैडम, हमने देखा कि रेल कर्मचारी बहुत मेहनत से रेल चलाते हैं। हमारे देश के यात्री दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। कभी कोई छोटा सा इंसीडैंट होने से भी सिर्फ बदनामी होती है, लेकिन वे जो काम करते हैं, उसकी प्रशंसा कभी नहीं होती। कभी-कभी मुझे रेलवे परिवार कहता है--

हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम
वे कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती।

हम लोगों को बड़े दिल से काम लेना चाहिए। हम रेल के विशाल विजन के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहली बार बहुत सारी बिजनेस आरियेन्टेड पालिसीज भी बनाया जिसमें :-

The first one is Railways' Infrastructure for Industry Initiative (R3i). The House will be happy to know that we are giving the economic share to all industrialists to invest their money for the Railways. All the policy initiatives are listed below:-

i. Railways' Infrastructure for Industry Initiative (R3i)
ii. Private Freight Terminal (PFT)
iii. Special Freight Train Operators (SFTO)
iv. Automobile Freight Train Operators (AFTO)
v. Automobile and Ancillary Hubs
vi. Kisan Vision (Cold Chains)
vii. New Catering Policy
viii. Rail Connectivity to Coal and Iron ore mines (R2CI)

Madam, this year we even met so many industrialists and the Chambers of Industry also. I am happy to announce that with the consultation of the industrial houses also, through this PPP and JV, this is for the first time that Indian Railways have received 85 proposals.

The response to the policies has been encouraging and 85 proposals have already been received. We have set up a Single Window System under Secretary, Railway Board to take these forward.

As the hon. Members would agree, expansion of rail infrastructure requires meticulous planning. Rising demand for coaches, locos and wagons cannot be met immediately because their manufacture requires components whose production has to be planned well in advance. Even some key materials and components for rolling stock are not readily available in the country and we often have to depend on imports. अगर कोई लोको चाहते हैं, रैक्स चाहते हैं, तो हमें देने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जैसे बाजार से साड़ी खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, लेकिन रेल कुछ नही खरीद सकते जब तक हम अपना कुछ न करें। इसलिए हमने डिसाइड किया है – planning and Vision 2020. As a result, supply of rolling stock has been falling short of our requirements. Even now it is not available according to our requirement. To meet the demand of passengers for more coaches, MEMUs, DEMUs etc., we have decided to set up rail-based industries.

I appreciate that the demands of every hon. Member and citizens are genuine. It is their right and I fully understand. I would like to help them as much as I could but for constraints of coaches, locomotives and line capacity. Thus, it is difficult to meet every individual demand. We have tried to meet some of the demands collectively within the limited resources. I would like to assure the hon. Members that if we are positive, if we go according to Vision 2020, we can meet the demand within a short period. I believe in positive approach and action. As Swami Vivekananda said :

"Strength is life and weakness is death."

Madam, in the last two budgets, to meet the growing demand and to create employment opportunities for the unemployed youth, I had announced setting up of a large number of rail-based factories/manufacturing projects because the coaches are needed and wagon factory is also needed. Work on all these projects

are at different stages of progress and implementation. The works at New Jalpaiguri, Adra, Jellingham and Kulti have been taken up in collaboration with different PSUs. I thank SAIL, NTPC and RINL for their cooperation and support. Other PSUs are also welcome to come forward for such joint ventures.

Madam, I am happy to report that work on the new coach factory at Rae Bareli is progressing rapidly now. I had announced last time that we would take only one year. Now I am happy to announce that the first coach is expected to be turned out from the new plant within the next three months. We have kept our promise.

Railways have also been working on a number of projects involving long-term supply contracts for locomotives, coaches and critical loco components at Madhepura, Marhowra, Kanchrapara and Dankuni. All projects are in progress. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए। कृपया करके आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE: First, you listen. … (*Interruptions*) This is too much. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

KUMARI MAMATA BANERJEE: Since these project models are being attempted for the first time in the railways, it is necessary to carry out due diligence. All these projects are progressing and a Core Group of officers is working on these PPP/JV industries to take them forward.

Railways are already executing works either departmentally or through PPP/JV at Budge Budge, Dankuni, Naopara, Anara, Tindharia, New Cooch Behar, Kharagpur, Haldia, Guwahati and Kazipet. Work on the wagon factory in Orissa will also be taken up once the site is finalized.

---

[*] Not recorded.

Work on ICF, Perambur's second unit will start soon. We have decided that whatever problems are there will be sorted out and we will set up the Palakkad coach factory. Of course, there are some problems, but they will be sorted out. We have to do it because we love Kerala. Please realize this. Railways are interested to partner with Autocast and SILK at Cherthala, for which business plan is being revised to bring it in line with the current needs of the railways. We are going to set up one component factory also there.

Madam, I am happy to inform that Burn Standard Company Limited and Braithwaite Company Limited have been brought under the administrative control of Ministry of Railways this year. We will get more wagons from them.

Madam, to further expand rail-based industries, I would now like to mention some new initiatives.

The prestigious Jammu-Kashmir Rail Link project involves a large number of bridges. I propose to dedicate an industry for our brothers and sisters of Jammu and Kashmir, who are close to our heart. Therefore, railways will set up a Bridge Factory in J&K, which is our heaven on earth. This industry will help in developing ancillary industries leading to employment generation in the area. I also propose to set up a state-of-the-art Institute for Tunnel and Bridge Engineering at Jammu.

As per my announcement to set up a coach factory at Singur, land has not been made available by the state government. Kolkata Metro is the only metro rail in India which is under the Ministry of Railways and no other. We need coaches also. That is why, we will set up one metro coach factory in Kolkata at Singur/adjacet Polba. The State Government had requested us for a coach factory, but land is not available till now. That is why, the willing sellers of Singur/adjacent Polba will be happy to give their land and we will set up a metro coach factory there. However, several landowners have volunteered to sell their land directly to the railways. In order to fulfill this commitment, I propose to set

up a metro coach factory on the land purchased from willing sellers at Singur/adjacent Polba.

Northeast is our priority area and receives government's full support. Imphal, the capital of Manipur will soon be connected to the railway network. I have planned in advance. Therefore, I propose to set up a diesel locomotive centre in Manipur. I think that this is for the first time that we are doing it in the North-Eastern region also.

Centre for Railway Information Systems (CRIS) is the professional IT arm of Indian Railways. It is a nursery for development of software specialists in the country. I propose to open a Centre of Excellence in software at Darjeeling under the aegis of CRIS. The hilly areas are always cool and calm. So, the software industry is the best industry for hilly areas. That is why, CRIS will set up this industry in Darjeeling.

I propose to set up two more wagon units under JV/PPP mode, one each at Kolar and Alappuzha, Kerala, and one more at Buniadpur. … (*Interruptions*)

A large number of small and medium size track machines have been developed indigenously and are also being manufactured in India. I propose to pursue a joint venture between railways and a partner to set up a manufacturing industry for the indigenous production of large on-track machines at Uluberia. Since there is no track machine industry in India, it is not available sometimes. That is why, we are going to set up a track machine industry at Uluberia. I also propose to set up a new track machine POH facility at the same place.

Madam, I am happy to announce setting up of a Rail Industrial Park at Jellingham, Nandigram and also at Bongaigaon in Assam. I think, this is the first time that the North-Eastern region will be very happy. This Park will be a cluster of diverse industrial units whose output will be consumed by the railways. The Park will initially focus on high volume safety and vital components. With this, we shall make a beginning towards creating a global hub in India for the railway industry. A unit to manufacture car steel bogies and couplers through a joint

venture between Burn Standard Co. Ltd. and SAIL has already been initiated in this Park. I also propose to set up a Rail Industrial Park at New Bongaigaon.

The electrical energy requirement of railways is growing rapidly with the expansion of the rail infrastructure and traffic. A captive thermal power plant of 1,000 MW at Nabinagar is at an advance stage of construction. A second thermal power plant of 1,320 MW capacity at Adra is in the process of being set up. Depending upon the fuel being made available at economic cost, I propose to set up a 700 MW gas-based power plant at Thakurli in Maharashtra.

I propose to set up more mechanized laundries for improving the quality of linen in trains, because it is a big industry, at Nagpur, Chandigarh and Bhopal, in addition to Wadibunder, Tikiyapara, Kamakhya, Secunderabad, Kacheguda, Indore, Lucknow, Banaras, Samastipur, Sealdah, Tatanagar, Danapur, Bikaner, Bilaspur, Durg, Hatia, Chennai, Mumbai and Ahmedabad, where they are commissioned or are being set up. Proposals for laundries at Vishakhapatnam, Bhubaneshwar, Puri, Gwalior, Manduadih, Gorakhpur, Lucknow, New Jalpaiguri, Jammu, Delhi, Jaipur, Jodhpur, Tirupati, Ernakulam, Thiruvananthapuram, Hubli, Bengaluru, Yashwantpur, Jabalpur, Allahabad, Mau, Amethi and Kota are also under examination.

For the first time ever, railways have framed Vision 2020, providing a definite roadmap, both short-term and long-term, for the future. We intend to go forward to achieve our goals with careful planning.

Madam, after having discussed the policy initiatives and rail-based industries, I would now come to expansion of rail infrastructure. हमारे देश में अभी इन एवरेज सिर्फ 180 किलोमीटर की माफिक न्यू रेल लाइन बनती थी।

लेकिन हम लोगों ने देखा कि अन्य देश आगे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए हैं। इसीलिए लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम विजन के मुताबिक 1000 किलोमीटर शुरू करेंगे। हमने टारगेट हाइएस्ट ही रखा था जिससे अगर टारगेट ठीक रहेगा, तो थोड़ा कम होने से भी कुछ नहीं होगा, इसे अच्छे से करेंगे। यह इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है। एवरेज में जो 180

किलोमीटर था, उसको इस दफे हम 700 किलोमीटर करेंगे, फिर भी जो 300 किलोमीटर रह जाएगा, उसे नेक्स्ट ईयर में हम करेंगे। उसके लिए फण्ड रहेगा। ...(व्यवधान) वह सब हो जाएगा, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ...(व्यवधान)

रेल देश के गरीब लोगों पर ध्यान देती है। Madam, the Indian Railway started the Izzat Scheme. गरीब लोगों के लिए, जिनके पास दिल है, लेकिन पैसा नहीं है, वे लोग सफर नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारी यूपीए-2 गवर्नमेंट आने के बाद मैंने जो पहले रेल बजट पेश किया था, उसमें एक इज्जत टिकट, इज्जत से जाने के लिए हमारे गरीब लोगों के लिए बनाया था। जिसमें केवल 25 रुपये में वे 100 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। They can travel 100 kms. with only Rs. 25. This House will be happy to know that चार लाख से ज्यादा लोग बीपीएल में हैं, जो गरीब हैं, उनको रेल में 25 रुपये में मास भर में 100 किलोमीटर सफर करने के लिए मदद करते हैं। हमारी रेल लाइन के ऊपर मुंबई में सबसे ज्यादा प्राब्लम होती है। They are really poor, but we love them. रेल लाइन के ऊपर में जो गरीब लोग रहते हैं, उनको जिन्दगी और मौत एक साथ मिलने की बात रहती है। उन लोगों के पास कोई शेल्टर नहीं है, वे मेहनत करते हैं, लेकिन कभी रेल में नहीं जा पाते हैं और कभी-कभी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है। The Indian Railways, for the first time, have decided a scheme called Sukhi Griha Scheme with the help of Urban Department and the local municipal bodies under the State Government. This time we have decided to start some pilot project. सबअर्बन रेलवे में मुंबई, चेन्नई, सियालदह, हावड़ा, सिलिगुड़ी में हम इसे लागू करेंगे, इसमें we are going to give 10,000 shelters without any money to the shelter-less people. गरीब लोगों को देंगे। इससे उनकी जिन्दगी भी अच्छी होगी और उसके साथ ही रेल भी अच्छे से चलेगी।

Madam, now I will come to our Annual Plan. The Annual Plan for the year 2011-2012 has been proposed at Rs. 57,630 crore, which is the highest-ever investment by the Railways in one year. The Plan includes GBS of Rs. 20,000 crore; diesel cess of Rs. 1,041 crore; internal resources of Rs. 14,219 crore; PPP & WIS of Rs. 1,776 crore; market borrowings of Rs. 20,594 by IRFC, which has excellent track record in the financial market. Normally, IRFC borrows between Rs. 9,000 crore and Rs. 10,000 crore annually. In 2011-2012, an additional amount

of Rs. 10,000 crore will be raised through tax-free bonds. The Railways will ensure servicing this debt of tax-free bonds. Further, external source of financing through PPP, WIS etc., is expected to yield Rs.1776 cr.

Greater thrust is being given on new lines next year with allocation of Rs. 9,583 crore; Rs. 5,406 crore has been kept for doubling; Rs. 2,470 crore has been kept for gauge conversion; and Rs. 13,820 crore has been kept for acquisition of rolling stock.

इंडियन रेलवेज के 157 वर्ष होने के बाद भी देश में बहुत सी जगहें हैं जहां के लोगों ने आज तक ट्रेन नहीं देखी है। वे लोग ट्रेन देखते हैं, तो सोचते हैं कि हमारे यहां ट्रेन कब आएगी। हमारा ट्रेन से कनेक्शन कब होगा। मैंने लास्ट बजट में 114 डिजायरेबल प्रोजेक्ट्स का हाउस में जिक्र किया था। इसमें बहुत सारे काम हो गए हैं, उनका सर्वे हो गया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपडेटिंग सर्वे हो रहा है। हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है जिसमें प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और सोनिया जी की बहुत मदद मिली है। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग एक सोशल रिवोल्यूशन क्यों न करें। कभी किसानों के लिए इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी। रेल में क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमारे प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री रेलवे विकास योजना के नाम से। It is because this is the last year of the Eleventh Plan. 12th प्लान हमारा आ रहा है, and we will include all the socially-desirable projects and important projects to this. इसमें क्या होगा कि पिछला वाला जो ज्यादा है, जो फायदा हो गया है, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत रहिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

कुमारी ममता बनर्जी: जो पहले कंप्लीट नहीं हुआ है, all the projects will be included under the Twelfth Plan. Our dream is to bring about a social revolution through rail connectivity. If rail connectivity is there, then every sort of connectivity will increase in this country. Hence, we have proposed to create a fund to implement the socially-desirable projects during the Twelfth Plan ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। आप बैठ जाइए। आप लोग शांति रखिए।

...(व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE: Indian Railways are a true symbol of inclusive growth and it is the lifeline of the nation and contributes to national integration. It is an irony that despite the presence of railways in India for 157 years, large parts of our population have never seen a railway line. In the coming decade, Indian Railways will continue to keep its service focus on the underprivileged and the poor, even as it expands its services for the more fortunate. I quote Gurudev Rabindranath Tagore:

"Give me the strength never to disown the poor or
bend my knees before insolent might."

In the last budget I had announced updation of surveys for 114 socially desirable new lines. Out of this 94 will be completed by March, 2011 and the remaining by December, 2011. I propose to take up construction of these lines in the 12th five year plan since this budget year is the terminal year of the 11th plan. Our dream is to bring about a social revolution through rail connectivity. We need political freedom along with economic freedom that will usher in prosperity for our millions of countrymen, more especially to the common man.

Madam, we have proposed to create a fund to implement the socially desirable projects during the 12th Plan. Under the umbrella of this non-lapsable fund, not only will the pending socially desirable lines be completed, but many other similar new line projects would also be taken up. The scheme is being named, **Pradhan Mantri Rail Vikas Yojana.** I am extremely thankful to the hon'ble Prime Minister for his support and guidance.

मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूंगी। देश भर के लोग, गांवों और शहरों के लोग इस बजट को देखते हैं, यह गरीब का बजट है। लेकिन आप लोग ऐसा मत बोलो।...(व्यवधान) अगर आपका इंडिविजुअल कुछ है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन आपको इसका कोई हक नहीं है कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने में रेल बजट देखने वाले गरीब आदमी को रेल बजट देखने से

रोकें। उसे मत रोकिए, उसे देखने दीजिए। अगर आपकी कोई इंडिविजुअल प्रॉबलम है, तो आप मेरे को बोलो। मैं उसे देखूंगी। यह कोई तरीका नहीं है।...(व्यवधान)

श्री कमलेश पासवान (बांसगांव): महोदया, इसमें उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। आप बैठ जाइए। आप लोग शांति रखिए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: है भई। आप मेरी बात सुनिए। If it is your individual point, then you can come to me. … (*Interruptions*)

It is our continuous endeavour to connect unserved and underserved regions. We want under-developed areas to develop. Therefore, I propose to take-up construction of the following new lines in a few such areas :

i. Wadsa-Gadchirholi in Maharashtra;
ii. Bhadutola-Jhargram via Lalgarh in West Bengal;
iii. Gudur-Durgrajpuram in Andhra Pradesh;
iv. Hansdiha-Godda in Jharkhand - This is a socially-desirable line.

The Railways are also executing 19 projects in similar difficult and under-developed areas. We have kept Rs. 771 crore for these projects also to give importance to it.

We have also kept a non-lapsable fund for Railway projects in the North-East Region.* All the State capitals of this region except Sikkim will get connected by Rail network in the next seven years. The prestigious Udham Pur –Srinagar-Baramula Project is also progressing.* The India's longest tunnel between Banihal and Qazigund would be completed this year.

Now, I am coming to safety. Safety is our first priority. Every incident is unfortunate. We do not want to see loss of even a single life. Unfortunately, in two incidents of sabotage and suspected sabotage, 216 innocent lives are lost. We are sincerely trying to ensure that such incidents do not occur. We extend our condolences to their families.

---

* ….* This part of the Speech was laid on the Table.

Indian Railways connect 7083 stations and carry 2.20 crore people and over 2.5 million tonnes of goods every day. I want to tell the House that if you see the track record and if you go beyond five years, then you will see that even in 2004-2005, the rate of accident was 0.29 per million train km, but now it has declined and it is about 0.17 per million train km. 0.29 से यह घटकर वर्ष 2009-10 में 0.17 हो गया है। पांच साल पहले हमारे यहां चलने वाली रेलों की संख्या 16021, आज यह संख्या बढ़कर 18820 हो गयी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है। चार-पांच वर्ष पहले 538 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली चलते थे, आज यह संख्या 720 करोड़ पैसेंजर्स हो गयी है। Everyday, we wish to run 18,820 … (*Interruptions*) इतना बढ़ गया है। It is because the passengers love to travel by Railways. … (*Interruptions*) It is very sad that every year more than 1.30 lakh people die in road accidents, but in Railways somehow touchwood -- again I am saying touchwood because we do not want any life should be lost. I will appeal to everybody रेल रोको से थोड़ा वापस आओ, सैबोटेज मत करो।...(व्यवधान) रेलवे को जिन्दगी में कभी नहीं किया। This is our track record. The Railways is always passenger-friendly. It is a safe and cheap mode of transport.

Rail fares are close to one-fourth that of the road. Safety is our priority area. That is why, when I first joined the Ministry, in 1999-2000, at that time, I went to Madgaon and I have seen the Konkan Railway.

उन्होंने एक एंटी क्लूशन डिवाइस तैयार किया था। मैंने वह खुद देखा था और मैंने सोचा कि एंटी क्लूशन डिवाइस रेलवे में होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैंने पुनः जब दस साल बाद रेल मंत्री का पद ग्रहण किया तो देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एन.एफ. रेलवे को छोड़कर। मैंने फिर कोशिश की, उसे दिखाया, यह सक्सैसफुल हुआ। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वह सक्सैसफुल हुआ है और एन.एफ. के साथ ही ती जोनल रेलवे में सदर्न, साउथ सेंटर, साउथ वैस्टर्न रेलवे में हम इसे कमीशन कर रहे हैं।

We are also doing it in other four zones, that is, Eastern, East Coast and East Central and South Eastern Railway. With this, we will have covered eight of

* ….* This part of the Speech was laid on the Table.

17 zones. बाकी फेज़ टू फेज़ हो जाएगा। इस एंटी क्लूशन डिवाइस के आ जाने से एक्सीडेंट्स में काफी कमी आएगी। हम लोग नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति की जिंदगी खतरे में पड़े, यह हमारा ह्यूमन फेस है।

Madam, the unmanned level crossing is also a priority area. हमारे बहुत से सांसद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अनमैन्ड लेवल क्रासिंग पर मरता है तो उन्हें बहुत दुख होता है और मेरे पास आकर कहते हैं कि दीदी इसके परिवार की थोड़ी मदद कर दो। हमने भी इस पर बहुत सोचा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने पिछले साल 1500 किया, अब 2500 है, बाकी को भी अगले साल में पूरा कर देंगे। इसके बाद फिर रिव्यू करेंगे, अगर कोई बाकी रह गया, तो उसे भी कर देंगे। इस तरह से अनमैन्ड लेवल क्रासिंग की समस्या दूर हो जाएगी और लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी। एक साल में हमने 172 रोड ओवर ब्रिज और 240 आरयूबी भी करने जा रहे हैं।

I have lowered the eligibility criteria for manning from 6,000 TVUs to 3,000 TVUs. Efforts will be intensified in the coming year by eliminating the remaining eligible 2,500 unmanned level crossings as well as construction of 200 ROBs and 325 RUBs/subways. Any other crossing required to be eliminated will also be taken up for conversion.

हम लोगों ने एक और डिवाइस का आविष्कार किया था, फॉग सेफ डिवाइस। पहले फॉग के समय जब ट्रेंस चलती थीं तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। लेकिन इस डिवाइस के ऊपर हमारे रेलवे के एम्प्लाइज ने बहुत अच्छा काम किया कि इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ।

Let us thank our railway employees/staff including gangmen, drivers and everybody else.

Railways has always been the soft target. However, law and order is a State subject. Frequent rail *rokos* are not only crippling the operations of the Indian Railways, but also causing immense hardship to the passengers. It costs in terms of revenue loss, passengers' lives, punctuality and everything else. अगर ट्रेंस भी रोकेंगे और पंक्चुएलिटी भी चाहेंगे तो दोनों बातें नहीं हो सकतीं। हमें पता होना चाहिए, if I block the rail in Maharashtra, it will affect the entire country; if I block the rail in Bengal, it will affect the entire country; and if I Block it in Orissa, it will affect the country because railways is not extending any individual service, and it is offering its

* ….* This part of the Speech was laid on the Table.

services for the entire country. इसका तो देश का सर्विस होता है। एक जगह खतरा हो जाने से पूरी जगह स्तब्ध हो जाती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वजह से 1500 पैसेंजर्स ट्रेंस कैंसिल हुई हैं। इससे रेल में सफर करने वालों को कितनी कठिनाई हुई होगी। 1500 ट्रेंस डाइवर्ट की गईं, 3500 ट्रेंस रिशिड्यूल हुई हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम क्यों न एक स्पेशल पैकेज दें।

मैडम, अभी आप देखें कि एक अच्छी साड़ी खरीदने पर एक चादर साथ में मिलती है। यह हमारा बिजनेस प्लान है, एडवरटाइजिंग का युग है। हमने भी एक छोटा सा बिजनेस प्लान बनाया है। वह यह है कि जिस स्टेट में ट्रबल फ्री ट्रेन चलेगी, वहां रेल बजट को छोड़कर दो एक्सट्रा ट्रेन और दो नए एक्सट्रा प्रोजेक्ट हम देंगे। इसे अगले साल से अमल में लाने की हमने तैयारी की है। We want to give them the message 'please help us'.

Madam, RPF, we have started the All India Security Helpline. A comprehensive Bill has been drafted to empower the RPF.

रेल बजट में तो जो देंगे, वह तो होगा ही, उसके अलावा अच्छी परफार्मेंस के लिए दो एक्सट्रा देंगे। Performance should be reviewed, sometimes. जिस स्टेट में ट्रबल फ्री ट्रेन चलेगी, वहां दो एक्सट्रा नई रेलगाड़ियां और दो नए प्रोजेक्ट देंगे, जो भी अमुक स्टेट चाहेगी। उसे आप भी यानि सांसद भी रिकमंड कर सकते हैं।

मैडम, हमने आल इंडिया सिक्योरिटी हैल्प लाइन शुरू की है। A comprehensive Bill has been drafted to empower RPF to deal with passenger-related offences. It will be placed before Parliament soon. We are reviewing passenger security care programme to bring about all round security improvement of the passengers. The thrust of the Budget of this year is also on modernization with induction of latest technology. This year, we have taken a pilot project 'SIMRAN' jointly developed by IIT, Kanpur and RDSO. A real time train information system will provide reliable information on train running schedule to the passengers. Already, Shibpur Engineering College, Kolkata; IIT, Chennai; Jadavpur University; IIT, Mumbai; IIT, Kharagpur; then, Mechatronics Systems, RCF, Kapurthala; DMW, Patiala, through these institutions will be giving us the modern technology. E-procurement and e-auction to ensure transparency and economy, we have already started. Based

on the success of the pilot project of SIMRAN, jointly developed by IIT, Kanpur and RDSO, a Real Time Train Information System (RTIS) will provide reliable information on train running.

A project with IIT, Chennai on prototype manufacture of ultrasonic systems; Partnership with Jadavpur University for development of new designs for rail steel bridges;

A collaborative study with IIT, Mumbai on the problem of corrosion of rail;

The Centre for Railway Reserch (CRR), collaboration between IIT, Kharagpur and RDSO has been sanctioned and is under implemention.

Centres of Excellence for development and prototyping various types of Mechatronics system at RCF/Kapurthala and DMW/Patiala;

E-procurement and e-auction to ensure transparency and economy.

Issuing paperless railway receipts.*

Development of a comprehensive web-based databank for land and asset management database for optimum utilization of our resources, that also we have started because earlier there was no land bank. उससे हमने इंडस्ट्री बढ़ाई, उससे हम टर्मिनल बनाते हैं, उससे हम रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं इसलिए हमने लैंड बैंक बनाया। You will be happy to know that from this land bank, we will be giving 12,000 acres to dedicated freight corridor -- for the western and the eastern dedicated freight corridor. The House will be happy to know that because of realignment, we saved 1,700 acres of land and also more than Rs. 300 crore. It was done through review and realignment. This dedicated freight corridor is the golden rim project of our Prime Minister. Already, the JICA loan agreement is there. The commissioning will start immediately; in case of eastern dedicated corridor, it has already started. These two are working in a very good manner.

Madam, web based system of allotment of iron ore rakes to coal traffic; run double-stack container trains from Gujarat ports to the major ICD at Gurgaon. It is good that it has become double-stack container trains.

This year is a 'green' year. Railways are always evergreen. It carries the passengers, and our passengers also are always evergreen.

Railways are always environment friendly and are considered evergreen. It is also the most fuel efficient mode of transport. Therefore, I have declared 2011-12 as the "Year of Green Energy". So, it will be 'green year and clean year'.

*i. Free supply of 14 lakh CFLs to railway households and phasing out of incandescent lamps.
ii. Regenerative braking in Mumbai EMUs
iii. Windmill at ICF, Chennai
iv. Production of locos with 'hotel load converter'
v. Increase use of solar energy at LC gates, stations etc.
vi. Use of bio-diesel, CNG and LNG in locos, workshops etc.*

Now, I am coming to passengers/rail users' amenities. A fresh thrust has been given to improve the amenities.

In the last two years, we had announced the upgradation of 584 stations as Adarsh Stations, out of which 442 stations will be completed by March 2011. The remaining will be completed this year in 2011-12.

*Upgradation of stations would provide safe drinking water, pay & use toilets, high-level platforms, better accessibility for the physically challenged among many other facilities at these stations. I would like to assure all the hon'ble members that all the suggestion for Adarsh stations given by them have been included in the following list of 236 stations. I will be happy to receive suggestions from the hon'ble members to add more stations.
Abhaipur, Acharya Narendra Dev Nagar, Achhnera, Alipurduar court, Alipurduar Jn., Ambalgram, Ambernath, Ambikapur, Anara, Asoknagar Road, Azimganj Jn., Baghdogra, Bagula, Bahadurpur, Baharu, Bahirgachhi, Bahirpuya, Bahraich, Balagarh, Bala Mau, Balarambati, Balgona, Ballalpur, Bamangachhi, Bamangram Halt, Bamanhat, Banarhat, Baneswar, Banka pasi, Bankimnagar, Banstala, Barabhum, Baragaon, Barasat Jn., Barhni, Barmer, Barsoi Jn., Basudevpur, Basuldanga, Batasi, Bathnakrittiba, Belakoba, Beldanga, Beliaghata Rd, Beliatore, Betberia ghola, Bhadaiyan,

…. This part of the Speech was laid on the Table.

Bhadrak, Bhagalpur, Bhagwangola, Bharwari, Bhimgarh, Bidyadharpur, Bishnupur, Boinchi, Brindabanpur, Buniyadpur, Burnpur, Chanchai, Chamagram, Champa, Chandanpur, Chatra, Chatterhat, Chengannur, Chintamani, Chirimiri, Chitrakut Dham Karvi, Chowrigacha, Churu, Dainhat, Darjeeling, Daryabad, Dasnagar, Deoria Sadar, Deulti, Dhatrigram, Dhubulia, Dhulabari, Dildarnagar, Diva, Dubrajpur, Dumurdaha, Durgachak, Eklakhi, Ettumanur, Falakata, Fatehpur, Fatehpur Sikri, Gadadharpur, Gandhigram, Ghanpur, Ghoksadanga, Ghoragata, Ghum, Gidhni, Gobra, Guntur, Gurap, Harishdadpur, Harishchandrapur, Hasimara, Hindmotor, Hotar, Hridaypur, Hubli, Jabalpur, Jaganath Temple Gate, Jakhalabandha, Jalor, Jamikunta, Janai road, Jangaon, Jessore road, Jhantipahari, Jodhpur, Jorhat Town, Joychandipahar, Kahalgaon, Kaikala, Kalchini, Kalinagar, Kaliyaganj, Kamakhyaguri, Kamareddi, Kanjiramittam, Kanthi, Karimnagar, Kathgodam, Kathua, Khagraghat Rd., Khajuraho, Khalilabad, Khemasuli, Khurja Jn., Kiraoli, Kishanganj, Kolar, Korba, Kotshila, Kulpi, Kumbakonam, Kunda Harnam Ganj, Kurukshetra, Kuruppantara, Labpur, Lohapur, Loknath, Lower Parel, Madarihat, Madhusudanpur, Majhdia, Malatipur, Malda Court, Malkajgiri, Manendragarh, Manigram, Maninagar, Mararikulam, Matigara, Mayiladuturai, Meerut City, Meghnagar, Mollarpur, Mulanturutti, Murarai, Nabadwip Ghat, Nabagram, Nagore, Nagrakata, Naimisharanya, Nandakumar, Narendrapur, Navsari, New Alipurduar, New Bhuj, New Cooch Behar, Old Malda, Palla road, Palsit, Panagarh, Pandaveswar, Panjipara, Patranga, Patuli, Phusro, Piravam Road, Pirtala, Prantik, Quilandi, Raghunathpalli, Raigarh, Raipur, Rajbandh, Rajgoda, Rajnandgaon, Ramrajatala, Rangiya, Ratangarh, Remount road, Rudauli, Rupnarayanpur, Sabarmati, Sadulpur, Sagardighi, Sakoti Tanda, Salanpur, Salboni, Salem, Sambre, Sankrail, Santaldih, Sardiha, Sasthankotta, Satna, Shahganj, Shalimar, Sidlaghatta, Simlagarh, Sirathu, Sitapur Cantt., Sivok, Sohawal, Sonada, Srinivaspura, Sukna, Sultanpur, Talit, Thanabihpur, Tildanga, Tiruppur, Tuticorin, Udhna, Vaikam Road, Vasco-da-gama, Vellarakkad.

51. Though railways have announced the setting up of number of world class stations, not much headway could be achieved because of their high costs. We are taking a relook at the parameters and guidelines to provide what will suit Indian passengers best. This work will definitely be taken up in the coming year.*

Madam, we could not achieve our targets in respect of world class stations and MFCs. In respect of MFCs, something has been completed. In case of world

class stations, there are some problems. The international bidding cost is very high. So, we are reviewing the situation, but it will be completed by next year. That is our target. I must say, 'I am sorry'. I apologize to the House for that. In regard to MFC, it is in the process – some have been completed and some will be completed soon.

*Out of the 160 MFCs announced, a few are completed and few are in the process of completion. I have given a special target to complete all the MFCs next year. I propose to set up more **MFCs with budget hotels** at Bangarpet, Secunderabad, Amethi, Ramnagar, Ajmer, Chandigarh, Amritsar, Thiruvananthapuram, Kamakhya, Gaya, Rae Bareli, Deoghar, Varanasi, Bhubaneswar, Vellore, Kanyakumari, Srinagar, Sasaram, Bhagalpur, Panipat, Bhuj, Anand, Arsikere, Birur, Neemach, Ratlam, Azamgarh, Ujjain, Adra, Midnapore, Tamluk, Purulia, Thakurnagar, Sagardighi, Jangipur, Bahrampur, Nabadwip, Kulti, Bolapur, Diamond Harbour, Naihati, Kanchrapara, Hajipur, Islampur and Rohtak.*

To give special thrust to passenger amenities, we are introducing a multipurpose Go-India Smart Card on a pilot basis. This will be a single window facility for the passengers for buying tickets for long distance journey, and also for travel in suburban, metro, etc. The Go-India Smart Card is a comprehensive package. We are starting it as a pilot project this year.

Then, we have looked at infrastructure of the passenger terminals. This time also, two new passenger coaching terminals at Nemam and Kottayam in Kerala, one in Mau -- दारा सिंह जी, मऊ का भी इसमें नाम है। -- Nath Bhanjan in Uttar Pradesh and another in Dankuni, West Bengal, and the other one is at Ludhiana; I hope Shri Manish Tewari will be very happy.

Better accessibility at stations for physically challenged customers, we are doing this. Next is extension of Rail Yatri Sevaks पहले जो कुली बहुत मेहनत से सामान उठाते थे और अभी भी उठाते हैं, उनके बारे में अब हमने सोचा है कि उन्हें कम से कम क्यों न ट्रॉली दें। जैसे एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए ट्रॉली होती है। इसके लिए हमने स्टेट बैंक के साथ बात की है।

* ….* This part of the Speech was laid on the Table.

Thanks to Shri Pranab Mukherjee, we have got the sponsorship of State Bank and we have started Rail Yatri Sevaks.

It will be extended to New Delhi, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Bangaluru and Thiruvantapuram also. जहां पर इसे लेने की जगह है। पहले आपको टिकट बुकिंग करने के लिए ज्यादा रुपया देना होता था, लेकिन अब इसे स्क्वीज करेंगे। अब एसी क्लास में बुकिंग करने के लिए 10 रुपया सस्ता हो जाएगा और नॉन एसी में पांच रुपया सस्ता हो जाएगा। I am giving this to my hon. Members. They can give it to their passengers. They will be very happy.

टिकट बुकिंग के लिए 20 रुपये की जगह 10 रुपये और नॉन एसी में 10 रुपये की जगह 5 रुपया करेंगे। Madam, a new super AC class of travel will be introduced shortly. हम उसे बढ़ाना चाहते हैं।

* Other amenities are – Provision of **Internet access** on Howrah-Rajdhani Express as a pilot Project.
Extension of Train Manangement System to New Delhi, Bangalore, Secunderabad, Ahmedabad and Lucknow stations to provide information on running of trains and introduction of **advance booking of retiring rooms.**

Madam, I propose to introduce a **new Super AC class of travel.** The new class will provide improved comfort and features and more exclusivity.
Golden Rail Corridor.

Madam, I am happy to announce that pre-feasibility study for the western leg (Delhi-Mumbai) of the Golden Rail Corridor would start early next year. The study is being undertaken with help from Japan, with **the objective of raising speed of passenger trains to 160-200 kmph**. Similar studies will be initiated for other corridors including Mumbai-Kolkata, Chennai-Bangalore, Delhi-Jaipur and Ahmedabad-Mumbai. *

For staff, our employees are the biggest assets, 14 lakhs. It is a big one. I compliment my all employees. मैडम, रेलवे डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बोलने का मौका मिलता नहीं है इसलिए अच्छे-अच्छे काम जो हम करते हैं बाहर नहीं आते हैं। ...(व्यवधान)

* ….* This part of the Speech was laid on the Table.

हमारे एमपीज लोगों को मैं बताना चाहती हूं, they will be very happy to know this. एक स्कीम हम लोगों ने पिछले साल शुरू की है, उसका नाम है लार्जेसक्स स्कीम। It is called Liberalised Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Category Staff. जिसकी ज्यादा उम्र हो जाती है वह आदमी काम नहीं कर सकता है। In this are included Pointsman, Liverman, Gateman, Trolleyman, Keyman and Khalasi. इसमें क्या होगा कि जो 50 साल के बाद काम नहीं कर सकता है, उसके लड़के-लड़की को काम मिल जाएगा। यह सैफ्टी गारंटी स्कीम है। यह पहले 1800 ग्रेड-पे में था इसे हमने 1900 ग्रेड-पे में कर दिया है। This is a safety guaranteed scheme. Considering the Indian family structure and values, पहले मैडीकल फैस्लीटीज मदर को मिलती थी फादर को नहीं मिलती थी, हमने फादर को भी दे दी है। डिपेंडेंट फादर-मदर दोनों को दे दी है। जो हमारे शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, गरीब, बैकवर्ड, ग्रुप-डी में जो काम करते हैं हमने उनके बच्चों के लिए 1200 रुपये महीना स्कॉलरशिप कर दी है। छोटा-छोटा बच्चा लोग, so that the girl child can go up to the college level. Staff के लिए 20 मेडीकल वैन्स, 20 होस्टल्स कर दिये हैं। ये छोटे-छोटे काम मैंने कर दिये हैं। लेकिन एक बड़ा काम है - the Ministry is undertaking restructuring of all the cadres in the railways to afford adequate promotional opportunities to the officers and staff.

मैडम, रिक्रूटमेंट में 10 साल का बैकलॉग था All the MPs raised this issue so many times. I am grateful to all of them both in this House and in the other House. मैडम, 1.75 लाख बैकलॉग 10 साल से था। इस साल में हम लोगों ने वैकेंसीज फिलअप करने के लिए कदम उठाए हैं और जो 13,000 पोस्ट्स आरपीएफ की थी उसका भी हमने नोटिफिकेशन कर दिया है और वह प्रोसेस में है।

* These mega requirement drives will cover the backlog of SC/ST/Physically handicapped quota.*

MADAM SPEAKER: Please do not skip the beautiful couplets that you have written.

KUMARI MAMATA BANERJEE: Yes, I will do it. I am really grateful and obliged. एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि हमारे देश का गौरव हमारी आर्मी है जो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर देश के लिए लड़ते हैं, उनके लिए हम कभी-कभी सोचते हैं। हम लोगों ने सोचा है

* ….* This part of the Speech was laid on the Table.

" कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।" हम लोगों ने शहीदों को याद करते हुए, this is the first time, you will be happy to know that for the first time Railways are inducting 16000 ex-servicemen by end of March 2011. आरपीएफ के 1200 एक्स-सर्विसमैन के लिए भी कर दिया है। लता जी का वह गाना जब पंडित नेहरू जी थे 1962 after the China War लता जी ने गाना गाया था " जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी।" उन्हीं शहीदों की याद में हमने एक चीज की है I am very grateful to you for giving me this opportunity.

To enhance skills of our frontline staff in dealing with the customers, a training centre is proposed to be started at Kharagpur. Also multi-disciplinary training centres at Kharagpur. Training centre would be set up at Dharwad, Kolkata, Pune including exclusive international centre at Agra. A new basic training centre at Kashyiang is proposed to cater to the needs of North Frontier Railways. There is an MoU with the HRD Ministry for railway employees on the other. We are going to set up five polytechnics also. It will be Varanasi, Machlandapur, Vadodura, Bhilai and Hubli-Dharwad under the agreement with the Home Ministry.

I must compliment our sports persons along with all the sports persons of this country. कॉमनवैल्थ गैम्स में रेलवे को 25 मैडल्स मिले out of 101 और एशियन गैम्स में 15 गोल्ड मैडल्स इंडिया को मिले और उसमें से 7 रेलवे को मिले। इसी के लिए, we want to congratulate our railway employees also that 15 of the 64 medals are owned by India. That is why we are going to propose a sports cadre, to set up a sports cadre to give them the facility.

We are promoting the culture also because without culture, India cannot go ahead. * Therefore I have formed a Cultural Promotion Board.* That is why, this time also रवीन्द्र नाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ पर सांस्कृतिक एक्सप्रेस को चलाया।

---

* ….* This part of the Speech was laid on the Table.

To commemorate the 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore, on 9th May, 2010, a special exhibition train, "Sanskriti Express", was launched. It is showcasing artistic works, philosophy and teachings of Gurudev. The train has been moving across the country and has been visited by more than 24 lakh people in 18 states so far.

At the invitation of our beloved Sheikh Hasina, hon. Prime Minister of Bangladesh, this train is set to go on a cultural exchange programme of Bangladesh, according to their convenience. I am grateful to her suggestion for Sonar Tori as the name of the train. I whole-heartedly accept her suggestion.

This year is a centenary year for mother. We run Mother express also. Then there is Aurubindo Express also. We have the 150 years of Vivekananda that is coming in 2013. इसलिए हमने विवेकानंद एक्सप्रेस भी शुरू कर दी। Then there is Technology Express to connect all the IITs to give the message to the students and the youth. We run that also.

एक माननीय सदस्य : गांधी एक्सप्रेस करो।

कुमारी ममता बनर्जी : करेंगे, आपने बोला और मैंने मान लिया।

About financial performance, I have no hesitation in informing this august House that the Indian Railways are passing through a difficult phase. Implementation of Sixth Pay Commission increased expenditure by an unprecedented 97 per cent. During Eleventh Plan period, an additional expenditure of Rs.73000 crore was incurred due to this. We paid full dividend for 2009-10 and also achieved an operating ratio of 95.3 per cent because ours is a vast organization of 14 lakhs. We are facing the problem because of the Pay Commission. It is nothing. We have to give the money from the internal generation. It cannot come from the sky. In fact, if we do not pay Pay Commission's arrears into consideration which rightfully are liabilities of previous financial year, the operating ratio becomes 84 per cent. Even with payment of higher salaries and pension, if the salaries and pensions are also kept at the earlier level, the operating ratio comes down even further to 74.1 per cent.

The testing time for the railways continue in 2011-11 due to impact of allowances and several post budgetary factors. On the earning side, disruption of train movement has resulted in a loss of about Rs.1,500 crore and another Rs.2000 crore due to ban on export of iron ore.

It is concerning Bengaluru. As a result, the loading target had to be reduced by 20 million tonnes to 924 million tonnes. However, in the Revised Estimates, goods earnings have been retained at the budget level based on trends of higher yield per NTKM. Gross Traffic Receipts is higher than the budget target by Rs.75 crore at Rs.94,840 crore.

On the expenditure side, post-budgetary factors have increased the requirement by Rs.5,700 crore. I am proud to say that we have saved by adopted austerity measures. We started this. We could save by austerity Rs.3,700 crore. हमने 3700 करोड़ रुपये ऑस्टेरिटी करके बचाए हैं डिपार्टमेंट के लिए। Next year, we would save more. Ordinary working expenses have now been fixed by Rs.67,000 crore, an increase of Rs.2,000 crore over Budget Estimates. After providing for Rs.5,700 crore and Rs.14,500 crore towards Depreciation Reserve Fund and Pension Fund respectively in the Revised Estimates, the Total Working Expenses are likely to be Rs.87,200 crore. Accounting for full dividend liability of Rs.4,917 crore, the `excess' comes to Rs.4,105 crore. The revised operating ratio works out to 92.1 per cent which would have been 72.8 per cent with pre-Pay Commission salaries. The revised Plan outlay has been kept at Rs.40,315 crore.

Madam, I would like to thank all the hon. Parliamentary Committees, including the Railway Convention Committee for their full support.

Now, I shall now deal with the Budget Estimates for 2011-12. on the basis of freight traffic projection of 993 million tonnes and passenger growth of 6.4 per cent over 2010-11, the Gross Traffic Receipts are estimated at Rs.1,06,239 crore. Madam, for the first time, Railways earnings are set to exceed Rs.1 lakh crore. Ordinary Working Expenses have been assessed at Rs.73,650 crore. This represents an increase of 9.9 per cent over Revised Estimates of 2010-11. The

appropriation to Pension Fund is placed at Rs.15,800 crore and to Depreciation Reserve Fund at Rs.7,000 crore respectively. A provision of Rs.6,735 crore has been made for dividend payment leaving an "excess" of Rs.5,258 crore to be utilized for Development Fund and Capital Fund. The expected Operating Ratio is 91.1 per cent.

With this, I hope that the Railways will soon emerge stronger, leaving behind the impact of the Pay Commission and engage fully in the revival of its financial health. सिक्सथ पे-कमीशन से पहले जब मैं वर्ष 1999 में थी, हर दस साल बाद पे-कमीशन आते हैं। हमारे ज्यादा इंप्लाइज होते हैं, इसलिए उस समय भी 6000 करोड़ रुपये का इम्पैक्ट हुआ था। At that time, we have not been able to pay the dividend. This time, we paid full dividend. इंटरनल जेनरेशन से 75000 करोड़ रुपये देने के बाद भी हमारा काम ठीक से चल रहा है। With this, I hope that the Railways will soon emerge stronger, leaving behind the impact of the Pay Commission and engage fully in the revival of its financial health. हमारी मुश्किल तो गुजर चुकी है और हम दिनोंदिन मजबूत होते जाएंगे। Tough times are now over and Railways, will grow from strength to strength from here.

Madam, now I am coming to Metropolitan Projects. Indian Railways have only one metro, that is, Kolkata Zonal Metro Railway. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

KUMARI MAMATA BANERJEE: We are proud of it. As a full-fledged zone, Kolkata Metro is expanding its network. A core Committee has been set up to closely monitor the progress of ongoing works for the speedier completion of the following sections - Naopara to Barasat *via* Bimanbandar; Baranagar to Barrackpore and Baranagar to Dakshineswar; Dum-Dum Airport to New Garia *via* Rajerhat; Joka to BBD Bagh *via* Majerhat; … (*Interruptions*)

[*] Not recorded.

The entire section from Mahanayak Uttam Kumar (Tollygunge) to Kavi Subhash (New Garia) has been commissioned. Every day over 5 lakh passengers utilize the metro services.

For Metro, we are going for new surveys – Joka-Diamond Harbour, which is the only Metro in Kolkata under the Indian Railways and that is why we are going for survey. Baruipur – Kavi Subhash; Howrah Maidan to Srirampur *via* Dankuni and Singur; Howrah Maidan - Belur; Howrah Maidan – Santragachi – Dhulagarh; Joka-Mahanayak Uttam Kumar; Barrackpore to Kalyani. … (*Interruptions*)

13.00 hrs.

What is this? … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। पहले सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE: Madam I do not understand why they are doing like this. … (*Interruptions*) जब गुजरात का नाम बोलते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, जब मणिपुर का नाम बोलते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, जब केरल का नाम बोलते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, Why are they doing only when I speak about Bengal? I announced only a few surveys, and they started shouting. Let them not shout. … (*Interruptions*) I will do it. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) …**

KUMARI MAMATA BANERJEE: I told that Kolkata Metro is the only Metro in Indian Railways. … (*Interruptions*) हां, आपका नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE: Madam, it is also proposed to introduce 34 new services in Kolkata Metro in the coming year.

* Not recorded.

[*] I am happy to inform the august House that for the first time, 20-car MEMU trains have been introduced on Northern Railway during 2010-11 to reduce overcrowding.*

Madam, now I will come to the Integrated Suburban Railway Networks. … (*Interruptions*) Madam, I am proud to say this. … (*Interruptions*) We have suburban railway system only in 3-4 places. It is only in Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi. What can I do? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...***

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

KUMARI MAMATA BANERJEE: Madam, in Integrated Suburban Railway Network, I propose to develop, … (*Interruptions*) बाद में होगा।

अध्यक्ष महोदया : उन्हें पूरा करने दीजिए। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Let her complete. What is this?

… (*Interruptions*)

KUMARI MAMATA BANERJEE: I am proud of my State and I will do it, along with other States of my country. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): दस साल से प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है।...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : लालू जी, बोलिए। आपने बिहार के लिए बहुत किया है। फिर अभी भी ये क्यों चिल्ला रहे हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, आप बैठ जाइए। अभी उनको पूरा करने दीजिए।

…(व्यवधान)

---

[*] ….* This part of the Speech was laid on the Table.
*Not recorded.

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। उनको पूरा करने दीजिए और अभी इस पर चर्चा भी होगी।

…(व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE: I have not gone through about other projects till now. … (*Interruptions*) हमने अभी तक नहीं दिया, हमारे पास अभी बहुत है, हम और बोलेंगे।...(व्यवधान)

Madam, I propose the development of integrated suburban railway network and Metro railway in large cities like Mumbai, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज, बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

13.07 hrs.

At this stage Shri Dinesh Chandra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

13.08 hrs.

At this stage Shri Dinesh Chandra Yadav and some other hon. Members went back to their seats.

अध्यक्ष महोदया : प्लीज, बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, kindly continue with your speech.

KUMARI MAMATA BANERJEE: Madam, I would request the Members to listen to me properly. I have not yet started talking about the new projects under the Indian Railway. I will announce them. I have not yet announced them. Members are shouting without listening to me.

MADAM SPEAKER: Kindly listen to her. She has not yet completed.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज, बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Take your seats.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, kindly continue with your speech.

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, बिहार से माननीय सदस्य ममता जी से कहना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रोजैक्ट्स पैंडिंग हैं , चाहे बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो या देश के किसी राज्य में हों, उन सब की बुरी हालत है। मुंगेर में रेल पुल का काम अभी पड़ा हुआ है , मधेपुरा में रेल कारखाना की जो बात कही गई थी...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This is not a discussion.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is not a discussion. आप बैठ जाइये। इन सब पर बहस बाद में होगी।

… (*Interruptions*)

KUMARI MAMATA BANERJEE: Madam, after my speech, if anybody wishes to say anything, he can do so. It is always welcome… (*Interruptions*)

Now I come to Integrated Suburban Railway networks.

Madam, India is witnessing rapid urbanization putting great pressure on our cities and towns. Transport infrastructure will be a key to their growth and sustenance. I propose the development of integrated suburban railway networks in large cities like Mumbai, bringing together suburban railway, metro railway and other rail infrastructure under a single integrated system which will provide faster, efficient, affordable and comfortable transportation to the citizens.

I propose the development of Integrated Suburban Railway Network in cities like Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Hyderabad and Kolkatta…

---

* ….* This part of the Speech was laid on the Table.

(*Interruptions*) You people do not shout about Mumbai or Chennai or Ahmedabad. Then why do you shout about Kolkata? I plan to introduce this concept in those cities where only suburban system exists. हमारे देश में सबरबन सब जगह पर नहीं हैं, केवल कुछ जगहों पर हैं। उनके लिये ट्रेंनें देंगे। जिस जगह नहीं, अगर आप कहेंगे तो उसके लिये कुछ करेंगे।

We propose to strengthen the suburban system of Hyderabad and Secunderabad by implementing six projects under MMTS Phase-II.

The Mumbai Rail Vikas Corporation has shown enormous improvements in Mumbai Suburban system. I now wish to bring about a similar transformation in the suburban transport system in other mega-cities also. There is a great need to upgrade the entire suburban system of Kolkata also. That is why, for Kolkata, Bengaluru, Ahmedabad and Chennai like MRVC, we are going to set up KRVC for Bengaluru and such Corporations for Ahmedabad, Chennai and wherever such suburban systems are there. We are doing this to improve the suburban system.

*It will raise funds through banks and other financial institutions, Municipal Corporation and other stakeholders. I believe, this single measure will kick start Kolkata's return to its days of glory. Similar corporations can be considered for congested suburban systems in other states.

Production Units

I must complement all the Production Units who have performed well in 2009-10. I am happy to report that CLW has turned out the first locomotive with 'hotel load converter' to meet power requirement of coaches and pantry car. The capacity of Diesel Locomotive Works (DLW) is being augmented to 300 locos. It has also indigenized GM locomotives to bring the cost down.

Public Sector Undertakings (PSUs)

All the eleven Railway PSUs have performed well in 2009-10 with a turnover of more than `15,000 cr, earning a net profit of `1,782 cr. These PSUs paid a dividend `311.88 cr to the railways.*

The physically handicapped persons traveling by train were getting concessions but there was no such provision in Rajdhani and Shatabdi trains. This time, we are allowing concessions in these trains also.

---

* ….* This part of the Speech was laid on the Table.

It is proposed to extend the facilities to the Kirti and Shaurya Chakra awardees in Rajdhani and Shatabdi trains also. Earlier, they were not getting these facilities.

For the unmarried posthumous Param Vir Chakra and Ashok Chakra gallantry award winners of Armed Forces, it is proposed to extend the facility of card passes to their parents also.

The prescribed age for senior citizens for getting concessions was 60 years for both men and women. Now I propose to decrease the age for women from 60 to 58 years. I want to give concession to the male citizens also that is why their concession has been increased from 30 per cent to 40 per cent.

Madam, our press and media always cover the news and help the people. Sometimes, they may criticize and sometimes they may not criticize, but I welcome their criticism as it is a democratic system. The press correspondents are now entitled… (*Interruptions*). Do not shout. Enough is enough. (*Interruptions*)

…(व्यवधान)

13.15 hrs.

At this stage Dr. Monazir Hassan came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

13.15 ½ hrs.

At this stage Dr. Monazir Hassan went back to his seat.

(व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE: Press correspondents are now entitled to avail 50 per cent concession with family once in a year. It is proposed to increase this facility to twice a year. … (*Interruptions*) Earlier it was once and now it is twice a year. … (*Interruptions*) प्रेस मीडिया के लिए जो एक दफा था, उस कंसेशन को बढ़ाकर उनके और उनके फैमिली मैम्बर्स के लिए दो बार कर दिया है।

***Wagon Procurement**

Madam, adequate supply of wagons is a pre-condition to fulfilling ever

* ……* This part of the Speech was laid on the Table.

increasing demand for rail transport. The august House would be happy to know that a record procurement of 16,500 wagons is being done in the current
year. We have also kept a higher target of 18,000 wagons for the next year.

Dedicated Freight Corridors (DFC)

92. Madam, the main loan agreement for phase I of Western Corridor of DFC with Japan International Cooperation Agency (JICA) has been signed and bidding process for civil and track work has commenced. For the Eastern Corridor, the appraisal by World Bank for Khurja-Bhaupur section would be carried out next month. I am extremely happy to announce that work from Dankuni end on the eastern corridor has already started. We want to complete the DFC project by December, 2016 as scheduled.

As hon'ble members are aware, land is a sensitive issue. With the objective of reducing the number of land losers, we have made efforts to bring the alignment of the DFC parallel to the existing railway network and thereby using 12,000 acres from railways' land bank. It has also reduced the requirement of land acquisition by 2,718 acres resulting in a saving of about `300 cr.

New Lines

Madam, as I mentioned earlier, all the 114 socially desirable projects which have been surveyed recently, will be included in the 12th Plan and financed through the proposed Pradhan Mantri Rail Vikas Yojana.

In my last budget speech, 33 new line sections covering 1,021 km were identified for completion as compared to less than 200 km normally. I am happy to inform the House that we have taken a giant leap in completion of new lines projects. The progress of laying new lines will be further accelerated and 22 in the year 2011-12, we are confident of exceeding a milestone of laying of 1,000 km of new lines. The sections which have either been completed or will be completed during 2010-11 are:-

1. Chandurbazar-Narkhed
2. Deogarh- Dumka
3. Mandarhil – Hansdiha
4. Bhawanipatna-Junagarh
5. Barkakhana-Kuju
6. Nawadih –Dhanwar
7. Tarn Taran-Goindwal
8. Lalitpur-Udaipura
9. Mahrajganj - Bishunpur Mahuari
10. Ajmer-Pushkar
11. Jagityal- Mortad

12. Khanapur- Homnabad
13. Salem – Namakkal
14. Ramaganjmandi - Jhalawar
15. Lonand-Phaltan
16. Rampurhat- Pirargarhia
17. Deoghar – Chandan
18. Khurda Road – Begunia
19. Phulwarisharif-Patliputra
20. Jhajjar-Rohtak
21. Abohar-Fazilka
22. Agra-Fatahabad-Bah
23. New Coochbehar-Golakganj
24. Nossam- Banaganapalli
25. Vishnupuram- Jahanpad
26. Gadwal-Pandurangswami Nagore – Karaikkal
27. Matnasibpur - Masagram

The target of 800 km for Gauge Conversion was fixed for 2010-11 and I am happy to inform the house that this target will be met. The sections which
have either been completed or will be completed during 2010-11 are:-

1. Krishnanagar - Shantipur
2. Sitamarhi-Bairgania
3. Kaptanganj - Thawe
4. Katihar-Tejnarayanpur
5. Mavli-Nathdwara
6. Mayiladuturai - Tiruvarur
7. Anandapuram-Talguppa
8. Bodeli-Chottaudepur
9. Bardhman – Balgona
10. Aunrihar – Jaunpur
11. Aluabari-Siliguri
12. Ratangarh-Bikaner
13. Dindigul - Palani
14. Tirunelveli - Tenkasi
15. Bharuch-Samni-Dahej

The target for Doubling was fixed as 700 km for the year 2010-11 and I am happy to inform the august House that this target will be met. Sections which have either been completed or will be completed during 2010-11 are as
under:-

1. Pen-Kasu
2. Dhanauri – Kiul
3. Kalinarayanpur – Biranagar
4. Nalikul – Tarkeswar
5. Pandabeswar – Chinpai
6. Umeshnagar-Khagaria of Begusarai-Khagaria
7. Targena-Jehanabad
8. 4th line between Kottavalasa-Simhachalam
9. Chakki Block Hut-Chakki Bank
10. Tundla – Yamuna Bridge
11. Khalilabad – Munderwa
12. Mau – Indara
13. Malda-Old Malda
14. Netravati - Kankanadi
15. Ennolre - Attipattu
16. Barbil-Barajamda doubling
17. Champa Bypass Line
18. Mysore-Naganahalli
19. Devanur-Ballakere
20. Part of Udhna-Jalgaon
21. Gandhidham-Kandla Port
22. Palwal - Bhuteshwar third line
23. Rajathgarh-Barang
24. Nancherla-Aspari
25. Kamalapuram-Muddanuru
26. Part of Panskura- Kharagpur
27. Panvel-Apta
28. Barasat – Sondalia
29. Baruipur – Magrahat
30. Khamargachi – Jirat
31. Karhagola-Kursela of Semapur-Kursela
32. Begusarai-Lakho of Begusarai-Khagaria
33. Sasan-Rengali
34. Budhi-Kathua
35. Panki-Bhaupur- 3rd line
36. Bankata - Bhatni
37. Govindnagar - Basti
38. New Guwahati-Digaru
39. Harsauli-Rewari
40. Mavelikkara - Chengannur

41. Kayankulam - Haripad
42. Adra-Joychandipahar doubling
43. Ramangaram-Settihalli
44. Mugad-Kambarganvi
45. Kalapipal-Phanda
46. Gandhidham-Adipur
47. Part of Bilaspur-Urkura
48. Khurda-Barang
49. Guntakal – Raichur
50. Gooty – Pullampet
51. Kondapuram-Tadipatri
52. Salkaroad-Anuppur doubling

The new lines sections covering 1,075 km proposed to be completed in 2011-12 are:-

1. Admednagar-Narayandoh
2. Gokulnagar-Mayonapur
3. Dumka-Shikaripara
4. Biraul-Kusheshwarsthan
5. Koderma-Barhi-Hazaribagh-Mandu-Kuju
6. Runisaidpur-Jubbasani
7. Part of Talcher-Bimalgarh
8. Pandu Pindara-Bhaibwa
9. Bhind-Etawah
10. Bishnupur-Mahuari-Mashrakh
11. Bhatni-Chauria
12. New Mal Jn. to Changrabandha
13. Harmuti-Naharlagun
14. Namakkal-Karur
15. Angamalli-Kaladi
16. Raichur-Pandurangaswamy
17. Nossam-Banaganapalle
18. Devarakadra-Krishna
19. Kanivehalli-Chikmagalur
20. Hirisave-Shravanabelagola
21. Talpur-Arambagh
22. Banka-Karjhusa Halt
23. Ajimganj-Jiaganj
24. Part of Daniawan-Biharsharif
25. Part of Dhanawar-Giridih

26. Kosi Bridge
27. Morinda-Khamnano
28. Part of Udaipura-Mawai Fatehabad-Bah
29. Etawah-Mainpuri
30. Bathua Bazar-Panchdeori
31. Paniyahwa-Chhitauni
32. Part of New Coochbehar-Golakganj
33. Dausa-Deedwana
34. Walajah Road-Ranipet
35. Metpally-Armoor
36. Homnabad-Hallikhed
37. Banaganapalli-Nandyal
38. Deshpran-Nandigram
39. Sakrayapanta-Kanivehalli
40. Part of Lalitpur-Khajrao-Satna, Khajuraho-Mahoba & Rewa-Singraullli

Madam, a target of 1,017 km has been fixed for Gauge Conversion in 2011-12 including the following sections:

1. Krishnanagar-Nawadwipghat
2. Murliganj-Banmankh
3. Chauradano-Raxaul
4. Anandnagar-Naugarh
5. Rangiya-Rangapara North
6. Ratangarh-Sardarsahar
7. SriganganganagarHanumangarh
8. Palghat-Pollachi
9. Nidamangalam-Mannargudi
10. Ankeleshwar-Rajpipla
11. Madhepura-Murliganj
12. Bairgania-Chauradano
13. Bareilly-Lalkuan
14. Naugarh-Barhni
15. New Malda Junction-New Maynagori Road
16. Sikar-Churu
17. Palani-Pollach
18. Mahamadurai-Virudhnagar
19. Kolar-Chintamani
20. Ratlam-Fatehabad

The following sections covering 867 km are proposed to be doubled in 2011-12 are as under:-

1. Apta-Pen
2. Jirat-Guptipara
3. Chandpara-Bongaon
4. Dakshin Barasat-Lakshmikantapur
5. Chandrapur-Bhandaridih
6. Korukonda-Vizianagaram
7. Palwal-Ballabgarh
8. Jakhal-Mansa
9. Chauri Chaura-Baitalpur
10. Burhwal-Jhangirabad
11. Banas-Swarupganj
12. Manchiriyal-Mandamari
13. Gokulpur-Midnapur Doubling
14. Muri-Muri Outer with Bridge
15. Tikiapara-Santragachi
16. CPH-Bye pass
17. Ballakere-Birur
18. Vyara-Chinehpada
19. Kasu-Roha
20. Guptipara-Ambika Kalna
21. Ghutarisharif-Canning
22. Magrahat-Diamond Harbour
23. Jharsuguda-Rengali
24. Kottavalsa-Kantakapali
25. Tughlakabad-Faridabad
26. Domingarh-Sahjanwa
27. Baitalpur-Bhatni
28. Keshavganj-Sirohi
29. Part of Chengalpattu-Villupuram
30. Raghavapuram-Peddampet
31. Dumetra-Champajharan
32. Banspani-Jaroli
33. Kalumna-Nagpur
34. Maddur-Hanakere
35. Birur-Ajjampur

In the last two budgets, I had announced 251 updating surveys/new surveys for new lines/gauge conversion/doubling. Of these, the following 190

surveys have been completed or will be completed by the end of this financial
year. These lines will also be taken up in the 12th Plan:-
1. Bhadrachallam-Kovvur
2. Hyderabad-Gazwal-Siddipet-Sircilla-Jagityal
3. Nizamabad-Ramagundam
4. Barwadih-Chirimiri
5. Raipur-Jharsuguda
6. Pendra Rd-Korba/Gevra Rd
7. Bhavnagar-Mahuva
8. Patiala-Kurushetra
9. Panipat-Meerut
10. Bahadurgarh-Jhajjar
11. Hisar-Sirsa via Agroha, Fatehabad
12. Bilaspur to Leh via Kullu & Manali
13. Una-Jaijon Doaba
14. Jogindernagar to Mandi
15. Parwanoo-Darlaghat
16. Baramulla-Kupwara
17. Jammu-Poonch via Akhnoor, Rajouri,
18. Kathua-Basoli-Bhadarwah-Kishtwar
19. Barajamda-Tatina
20. Bhojudih-Mohuda
21. Hansdiha-Godda
22. Kandra-Namkom
23. Raigarh-Mand Colliery to Bhupdeopur
24. Ranchi-Kandra
25. Gadag-Harihar
26. Tumkur-Davangere
27. Madurai-Kottayam
28. Erumeli-Punalur-Trivendrum
29. Barpeta Road-Tihu.
30. Jogighopa to Silchar via Panchratna
31. Murkongselek-Pasighat
32. Naginimora-Amguri
33. Rangpo-Gangtok
34. Salna-Khumtai
35. Sarthebari – Changsari
36. Tuli-Tuli Road
37. Gunupur-Theruvali

38. Puri-Konark
39. Yamunanagar-Patiala
40. Una-Hoshiarpur
41. Jagadhri-Paonta Sahib-Rajban
42. Beas-Kapurthala
43. Qadian-Beas
44. Devli-Tonk-Sakatpura
45. Dindigul-Kumli
46. Rameswaram-Dhanushkoti
47. Amethi-Shahganj via Sultanpur
48. Diamond Harbour-Budge Budge- Akra
49. Pandabeshwar- Ikra
50. Ikra-Churulia- Gourandi
51. Bongaon- Kalyani
52. Ranaghat- Duttapulia
53. 3rd line between Krishnanagar- Naihati
54. Lucknow-Lakhimpur-Pilibhit via Sitapur
55. Kapilvasthu- Basti via Bhansi
56. Tanakpur- Bageshwar
57. Kanti- belda
58. Digha- balichak
59. Marikuppam- Kuppam
60. Nangli- Chittoor
61. Ahmedabad-Botad & Dhasa-Jetalsar
62. Rajkharswan-Ranchi
63. Hasnabad-Samshernagar
64. Arambagh-Khana
65. Canning-Gosaba via Basanti
66. Kakdweep-Sagar-Kapilmuni
67. Dullabcherra-Cheraji
68. Mandir Bazar-Ramganga
69. Chalsha-Jhaldhaka
70. Ghatakpukur-Minakhan
71. Bilara-Bar
72. Baruipara-Furfura Sharif-Arambagh
73. Ratlam-Banswara-Dungarpur
74. Krishnanagar-Nabadwipghat extension to BB loop
75. Machhlandpur-Swarupnagar
76. Sainthia-Chowrigacha via Kandi
77. Yamuna Nagar-Chandigarh via Sadhaura, Naraingarh

78. Singur-Nandigram
79. Dabwali-Kalanwali via Sirsa
80. Mirik-Gangtok
81. Joynagar-Raidigi
82. Madurai-Ernakulam (Cochin)
83. Dantewara-Malkangiri
84. Alamatti-Kopal
85. Medak-Akkanapet
86. Madhuban-Giridih
87. Ajmer-Sawaimadhopur via Tonk
88. Sambalpur-Behrampur
89. Rajkot- Viramgam
90. Chhindwara-Nainpur-Mandla Fort
91. Ahmedpur-Katwa
92. Nagbhir-Nagpur
93. Tala-Princepghat-Majerhat
94. Secunderabad-Mahboobnagar
95. Sahibganj-Bhagalpur
96. Sambhal-Gajraula
97. Daurala-Bijnor via Hastinapur
98. Chandigarh-Dehradun via Jagadhari
99. Rishikesh-Doiwala
100. Roorkee-Haridwar
101. Hasnabad-Pratapadityanagar
102. Chaparmukh-Dibrugarh
103. Dangri-Dhola
104. Dehradum-Kalsi
105. Port Blair-Diglipur
106. Pandurangpuram-Bhadrachalam
107. Pattancheru - Adilabad
108. Jagdalpur-Dantewara
109. Bhavnagar-Tarapore
110. Kharhagola-Santhalpur
111. Kaithal-Karnal
112. Bilaspur-Rampur Bushahr
113. Udhampur/Katra - Bhairawah, Doda to Kishtwar
114. Gua-Manoharpur
115. Jhajha-Giridih via Sonuchakai
116. Lohardaga-Korba
117. Nawadah-Giridih via Satgawan

118. Tori-Chatra
119. Almatti - Yadgir
120. Dhule-Amalner
121. Jalna-Khamgaon
122. Wardha-Katol
123. Warora-Umrer
124. Ramtek-Gotegaon via Sioni
125. Baran-Shivpuri
126. Lalabazar-Vairengte
127. Lekhapani-Kharsang
128. Rupai-Parashuramkund via Mahadevpur, Namsai, Chingkham
129. Jeypore-Malkangiri
130. Navrangpur-Jeypore
131. Patiala-Jakhal/Narwana via Samana
132. Ajmer-Kota
133. Jaisalmer-Barmer
134. Nokha-Sikar
135. Pushkar-Merta
136. Sardarshahr-Hanumangarh
137. Jolarpettai-Hossur via Krishnagiri
138. Etah-Kasganj
139. Sitapur-Bahraich
140. Haridwar-Kotdwar-Ramnagar
141. Ramnagar-Chaukhutiya
142. Kharagpur-Dhankuni
143. Nasik Dahanu Road
144. Hamirpur- Hamirpur Road
145. Phaphund- Kounch
146. Bharatpur-Deeg-Kama- Kosi
147. Jogigopa to Guwahati via Barpetta- Sarthebari
148. North Lakhimpur- Along -Silapathar
149. Guwahati- Lumding-Tinsukhia- Dibrugarh doubling
150. Hastinapur - Meerut
151. Bacharwan-Lalganj
152. Piran Kaliyar Sharif- Haridwar
153. Sirhind - Nangal Dam
154. Bhiwani- Loharu- Pilani- Churu
155. Pushkar - Merta
156. Digha- Raichak-Kulpi

157. Shahganj-Unchahar via Sultanpur, Amethi, Salon
158. Bongaon-Bagdaha
159. Banspani-Bimalgarh-Barsuan
160. Dankuni-Jorgalpara-Furfura Sharif-Jangipara-Bargachia
161. Chikballapur-Sri Satya Sai Prashanthi Nilayam
162. Balurghat-Hilly
163. Salboni-Jhargram via Lalgarh, Belpahari
164. Digha-Jaleswar-Puri
165. Bishnupur-Mukutmonipur
166. Gadag-Haveri
167. Samsi-Dalkhola
168. Krishnanagar-Beharampore via Chapra, Karimpur
169. Gadag-Wadi
170. Tarakeshwar-Magra restoration
171. Shimoga-Harihar
172. Kaliyaganj-Buniadpur
173. Panskura-Ghatal-Chandrakona and Ghatal-Arambagh
174. Anekal Road-Bidadi
175. Namkhana-Bakkhali
176. Pune-Nasik
177. Yadagir-Shahapur-Shorapur-Muddebihal-Alamatti
178. Nanded-Bidar
179. Ramnagar-Chaukhutiya
180. Vishnupuram-Vinukonda
181. Erumeli-Pathanamthitta-Punalur-Thiruvananthapuram
182. Bolangir-Nawapada
183. Mokama-Ara
184. Rewari-Hissar
185. Dankuni-Bally 3rd line
186. Bibinagar-Nallapadu
187. Krishnanagar-Lalgola
188. Bandel-Saktigarh 3rd line
189. Jhansi-Kanpur
190. Rampurhat-Ghumani 3rd line

Rail Tourism

We have planned for rail business with Ministry of Tourism. If successful this year, we will expand the partnership. To improve look of twenty railway stations and its approaches, the cost will be shared on 50:50 basis.*

महोदया, रेल टूरिज्म, टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हम फिफ्टी-फिफ्टी बेसिस पर करेंगे। The stations are Hyderabad, Hospet, Agra, Rae Bareli, Belur, Varanasi, Kamakhya, Haridwar, Dooars, Gaya, Madurai, Tarapith, Thiruvananthapuram, Furfura Sharief, Amritsar, Aurangabad, Nanded, Puri, Tarakeswar, Rameshwaram, Tirupati, Guwahati, Jaipur and Ajmer.

Madam, now I want to mention about the new services for Suburban. सब-अर्बन रेल के बाद बाकी सभी स्टेट्स पर आएंगे। सब-अर्बन केवल चार-पांच जगह एग्जिस्ट करता है। सब-अर्बन के बाद हम आपकी पूरी ट्रेन और ऑल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बतायेंगे। सब-अर्बन एरिया में मुम्बई में लास्ट टाइम हमने 101 दिया था। 900 coaches from MRBC was running. Mumbai is the industrial capital. This time we have decided to run 47 additional services. On the Thane-Vashi, Thane – Panvel, Borivali-Virar, Andheri-Virar, Bandra-Virar and Churchgate-Borivali sections will be run. It is also proposed to augment 107 suburban services in Mumbai area from the present 9 care EMUs to 12 car EMUs. इसमें बहुत बड़ा 30 परसेंट ऑगमेंटेशन बढ़ जायेगा।

Madam, in Chennai area it is proposed to run 9 additional services on Chennai Beach – Gummidipundi, Gummidipundi-Chennai Central, Avadi – Chennai Beach, Chennai Central –Tiruvallur, Tiruvallur –Chennai Central and Chennai Beach – Tambaram is proposed to be extended to Chengalpattu also… (*Interruptions*)

Madam, to strengthen the suburban services in Kolkata also we are giving 50 new services for suburban from Howrah – Uluberia, Howrah-Midnapur, Howrah-Kharagpur, Howrah-Singur, Howrah – Memari, Howrah – Barddhaman, Howrah – Haripal – Tarakeswar, Howrah – Kolaghat, Howrah - Sarupnagar… (*Interruptions*) I lay the rest of the list. … (*Interruptions*)

*Sealdah-Canning/Jaynagar Majilpur, Sealdah-Kakdwip-Namkhana, Sealdah-Sonarpur, Sealdah-Baruipur-Diamond Harbour, Sealdah-Barasat-

* …..* This part of the Speech was laid on the Table.

Hasnabad, Sealdah-Thakurnagar, Sealdah-Barasat-Bongaon, Sealdah-Naihati-Ranaghat-Gede, Sealdah-Shantipur-Krishnanagar, Sealdah-Kalyani, Sealdah-Barrackpore, Sealdah-Budge-Budge, Sealdah-Dankuni, Bongaon-Ranaghat-Shantipur, Howrah-Seoraphuli-Bandel and Sealdah-Basirhat.*

It is proposed to introduce at least two suburban services in each of the above sections.

Madam, it is also proposed to introduce running of peak time local to BBD Bagh from Bongaon/Krishnanagar. Two non-stop trains between Bardhaman and Howrah are also proposed. … (*Interruptions*)

In Secunderabad area, it is proposed to run 10 additional services on Falaknuma – Lingampalli, Lingampalli – Hyderabad and Hyderabad – Falaknuma sections. 83 suburban services in Secunderabad area will be augmented from the present 6-car to 9-car services. It means 87. आप लोग देखिए, इसमें सब-अर्बन है।

In Delhi area, it is proposed to run 2 additional services on Delhi – Ghaziabad section.

Now, I am coming to Duranto services. अभी आप लोग ध्यान से सुनिये। We are giving Duranto services इसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट्स एवं सर्वे पर आएंगे। मैं बोलती हूं कि सर्वे, प्रोजेक्ट्स के बारे में लास्ट में बतायेंगे। पहले हम ट्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ...(व्यवधान)

You can discuss it in the Budget. It is there. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) ...[*]

KUMARI MAMATA BANERJEE:

Duronto trains

The following new Duronto trains are proposed to be introduced:

i. Allahabad-Mumbai AC Duronto (bi-weekly)
ii. Pune- Ahmedabad AC Duronto (tri-weekly)
iii. Sealdah – Puri non AC Duronto (tri-weekly)
iv. Secunderabad- Visakhapatnam AC Duronto (Tri-weekly)
v. Madurai- Chennai AC Duronto (Bi-weekly)

[*] Not recorded.

vi. Chennai - Thiruvananthapuram AC Duronto (Bi-weekly)
vii. Mumbai Central- New Delhi AC Duronto (Bi-weekly)
viii. Nizamuddin-Ajmer non-AC Duronto(Bi-weekly)
ix. Shalimar – Patna Duronto (Tri-weekly)

Double Decker AC
AC double-decker services are proposed to be introduced on the following routes:
i. Jaipur- Delhi
ii. Ahmedabad-Mumbai

We are giving three Shatabdi Express also. … (*Interruptions*)

Shatabdi Express
The following new Shatabdi Express trains will be introduced:
i. Pune -Secunderabad
ii. Jaipur-Agra
iii. Ludhiana – Delhi

Increase in frequency of Duronto services
i. Mumbai CST-Howrah Duronto Express from 2 days to 4 days (12261/12262)
ii. Mumbai- Ahmedabad Duronto Express from 3 days to daily (12267/12268)
iii. Sealdah–New Delhi Duronto Express from 2 days to 5 days (12259/12260)
iv. Nagpur- Mumbai CST Duronto Express from 3 days to daily (12289/12290)
v. Howrah -Yesvantpur Duronto Express from 4 days to 5 days (12245/12246)

Now, we will run some new trains called `Vivek Express'. … (*Interruptions*) I cannot satisfy all. … (*Interruptions*)

Vivek Express
To mark the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda which will be celebrated in 2013, I propose to introduce new trains called "Vivek Express". The first four such trains will be introduced on the following routes:
i. Dibrugarh- Thiruvanthapuram-Kanniyakumari Express (weekly) via Kokrajhar
ii. Dwarka-Tuticorin Express (weekly) via Wadi
iii. Howrah-Mangalore Express (Weekly) via Palghat
iv. Bandra (T)- Jammu Tawi Express (Weekly) via Marwar-Degana- Ratangarh-Jakhal- Ludhiana

Now, to mark Kavi Guru Rabindranath Tagore's Birth Anniversary, we are starting some Kavi Guru Express.

Kavi Guru Express

We are celebrating the 150th birth anniversary of Kavi Guru RabindranathTagore this year. As our homage to the great poet, I propose to run the following Kavi Guru Express trains:

i. Howrah-Azimganj Express (daily) via Sagardighi
ii. Guwahati- Jaipur Express (weekly) via Kasganj – Faizabad – Gorakhpur - Kokrajhar
iii. Howrah-Bolpur Express (daily)
iv. Howrah-Porbander Express (weekly)

Now, we are starting new set of trains called Rajya Rani Express. We have Rajdhani trains, but we do not have Rajya Rani Express trains. We will do it slowly.

Rajya Rani Express

I propose to introduce a new set of trains connecting state capitals with important cities/towns in those states:

i. Sawantwadi Road - Mumbai Express (daily)
ii. Saharsa - Patna Intercity Express (daily)
iii. Meerut- Lucknow Intercity Express (daily)
iv. Mysore - Bangalore Express (daily)
v. Damoh - Bhopal Intercity Express (daily)
vi. Silghat – Dhubri Intercity Express (tri-weekly via Guwahati – Kokrajhar - Jogighopa)
vii. Bankura – Howrah Express (tri-weekly)
viii. Nilambur Road – Thiruvananthapuram Link Express (daily)
ix. Jharsuguda – Bhubaneswar Express (tri-weekly)
x. Manmad – Mumbai Express (daily) via Nasik

Now, we will dedicate some trains for the students and youths of this country because I receive a lot of demands to start some students special. … (*Interruptions*) We want to dedicate these trains to students and youths. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

KUMARI MAMATA BANERJEE:

Janam Bhoomi Gaurav

Madam, to take forward our efforts of promoting rail tourism, I propose to launch special tourist trains called "**Janam Bhoomi Gaurav**". These special trains connecting important historical and educational places, will run on the following routes:

i. Howrah - Bolpur - Rajgir (Nalanda) – Pataliputra (Patna) - Varanasi (Sarnath) - Gaya- Howrah
ii. Bangalore-Mysore-Hassan (Space Facility, Belur, Halebid, Shravanbengola)- Hubli-Gadag (Hampi) - Bijapur (Gole Gumbaz) - Bangalore
iii. Chennai-Puduchcheri-Tiruchichirappali-Madurai-Kanniyakumari-Thiruvanthpuram-Ernakulam -Chennai
iv. Mumbai-Ahmedabad-(Lothal)-Bhavnagar(Palitana)-(Alang)-Gir-Diu(Somnath-Veraval)-(Junagarh)-Rajkot-Mumbai

iv. Mumbai-Ahmedabad-(Lothal)-Bhavnagar(Palitana)-(Alang)-Gir-Diu(Somnath-Veraval)-(Junagarh)-Rajkot-Mumbai

Express trains

I propose to introduce the following new express trains:
हमारी जितनी भी केपेसिटी है।

1. Raebareli-Jaunpur Express (daily) and Sasaram-Delhi Express (weekly)

मैंने जो लिखा है, वह मैं बोल रही हूं। आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे जरूर दें। ...(व्यवधान)

आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें।

2. Tirupati-Amravati Express (bi-weekly) via Akola, Nizamabad, Gooty, Dharmavaram
3. Asansol-Gorakhpur Express (weekly) via Chhapra, Siwan
4. Nagpur -Kolhapur Express (bi-weekly) via Kurduwadi, Latur road, Purna, Akola
5. Malda Town-Digha Express(weekly) via Rampurhat
6. Pune-Nanded Express(weekly) via Latur
7. Visakhapatnam- Koraput Intercity Express (5 days a week) via Vizianagram
8. Howrah-Secunderabad Express(weekly) via Kharagpur
9. Mumbai- Chandigarh Express(weekly) via Phulera-Ringus- Gurgaon-Kurukshetra
10. Bardhaman – Rampurhat Express (tri-weekly)
11. Bikaner- Delhi Superfast Intercity (daily) via Ratangarh
12. Hyderabad- Darbhanga Express (weekly) via Muri-Jharsuguda-Nagpur
13. Howrah – Tirupati Express (weekly)
14. Narsapur- Nagarsol Express(bi-weekly) via Secunderabad, Nizamabad

15. Puri-Shalimar Express(weekly)
16. Ranchi- Pune Express (bi-weekly) via Bilaspur
17. Shalimar-Udaipur Express(weekly) via Katni, Kota
18. Chennai- Shirdi Express (weekly) via Bangalore
19. Coimbatore- Tuticorin Link Express (daily)
20. Howrah-Mysore Express (weekly) via Gondia, Adilabad
21. Yesvantpur- Mysore Express (daily)
22. Digha-Visakhapatnam Express(weekly)
23. Mysore- Chennai Express (weekly)
24. Ahmedabad- Yesvantpur AC Express (weekly) via Hubli, Bijapur
25. Bhavnagar- Kochuvelli Express (weekly) via Panvel, Madgaon (Goa)
26. Gorakhpur- Yesvantpur Express (weekly) via Faizabad, Kanpur, Bhopal, Kacheguda
27. Bhuj- Dadar Express(bi-weekly)
28. Kolkata-Ajmer Express(weekly) via Asansol
29. Jabalpur- Indore Intercity Express (tri-weekly) via Guna, Bina
30. Porbander- Kochuveli Express (weekly) via Panvel, Madgaon
31. Kolkata-Agra Express(weekly) via Kasganj, Mathura
32. Lucknow- Bhopal Express (weekly)
33. Varanasi-Singrauli Intercity Express (daily)
34. Nagpur – Bhusawal Express (tri-weekly) via Itarsi – Khandwa
35. Puri-Gandhidham Express(weekly) via Durg
36. Howrah-Visakhapatnam Express(weekly)
37. Guwahati-Dimapur Express(Daily)
38. Howrah – Darbhanga Express (weekly)
39. Vasco-Velankani Express(weekly)
40. Bilaspur-Ernakulam Superfast(weekly)
41. Digha-Puri Express (weekly)
42. Jodhpur-Delhi Express (bi-weekly) via Degana, Ratangarh
43. Kharagpur-Viluppuram Express (weekly) via Vellore
44. Udaipur-Bandra(T) Express(tri-weekly) via Ratlam
45. Purulia –Viluppuram Express (weekly) via Midnapore, Kharagpur, Vellore
46. Asansol – Gonda Express (weekly) via Chhapra, Mau, Shahganj, Ayodhya
47. Delhi – Puducherry Express (weekly)
48. Asansol – Tatanagar Exppress (tri-weekly) via Purulia
49. Indore- Kota Intercity Express (daily) via Ruthiyai
50. Bhagalpur – Ajmer Express (weekly)
51. Howrah-Jaisalmer Express(weekly) via Rae Bareli, Ratangarh, Lalgarh
52. Ernakulam – Bangalore Express (weekly)
53. Mangalore – Palghat Intercity Express (daily)
54. Varanasi – Ahmedabad Express (weekly) via Ajmer
55. Howrah-Nanded Express (weekly)
56. Hardwar – Ramnagar Link Express (tri-weekly)

Passenger services

The following new passenger services will be introduced:

1. Delhi- Garhi Harsaru-Farukhnagar Passenger (daily)
2. Kendujhargarh- Bhubaneswar Fast Passenger (5 days a week)
3. Koraput- Bolangir-Sambalpur Passenger (daily) (Orissa)
4. Barkakhana- Dehri-on-Sone Passenger(daily)
5. Jodhpur- Hissar Fast Passenger (daily)
6. Tirupati- Guntakal Passenger (daily)
7. Coimbatore- Mettupalayam Passenger (6 days a week)
8. Bhuj- Palanpur Passenger (daily)
9. Silghat- Chaparmukh Passenger (daily)
10. Siliguri-Dinhata Passenger (daily)
11. Abohar – Fazilka passenger (daily) (Punjab)
12. Bilaspur-Katni Passenger (daily)
13. Raipur – Korba Passenger (daily)

DEMU

Following new DEMU services will be introduced:

1. Gondia -Ballarshah
2. Vasai road-Diva
3. Ratlam-Neemuch
4. Ratlam-Chittaurgarh
5. Sealdah – Jangipur
6. Ahmedabad-Patan
7. Bangalore Cantt-Bangarpet
8. Dharmapuri-Bangalore
9. Marikuppam-Bangarpet
10. New Jalpaiguri-Balurghat
11. Falaknuma-Medchhal
12. Mriyalguda-Nadikudi
13. Kacheguda-Raichur
14. Raichur-Gadwal
15. Radhikapur- New Jalpaiguri
16. Jalna-Nagarsol

17. Nizamabad-Secunderabad

18. Kacheguda-Mriyalguda

19. Baripada-Bangariposi

20. Sealdah - Bhagwangola - Lalgola

21. Kolar-Bangalore

22. Krishnanagar – Behrampore Court

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): मैडम, जौनपुर का क्या हुआ?...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: पहले देखिये न। मैंने जौनपुर दे दिया, आपने सुना नहीं। पहले दिया है, आपने सुना नहीं।...(व्यवधान) पहले एक और दिया, आपने सुना नहीं।...(व्यवधान) मैंने बहुत मेहनत करके इसे तैयार किया है, आप लोग सुनिये तो सही।...(व्यवधान)

MEMU

The following MEMU services will also be introduced:

1. Ranchi-Asansol

2. Ernakulam – Kollam (via Alappuzha)

3. Vasai Road-Panvel

4. Bangarpet -Koppam

5. Falaknuma-Bhongir

6. Midnapore - Jhargram

7. Kollam - Nagercoil

8. Jhargram-Purulia

Extension of trains:

The run of the following trains will be extended:

1. Chhindwara-Gwalior Express to Delhi (11101/11102)

2. Jhansi-Chhindwara Express to Delhi (11103/11104)

3. Udaipur-Gwalior Express to Khajuraho (12965/12966)

4. Solapur- Gadag Express to Hubli (11423/11424)

5. Jabalpur-Nagpur Express to Amravati (12159/12160)

6. Nizamuddin- Bapudham Motihari Express to Muzaffarpur (12211/12212)

7. Jammu Tawi-Sonpur Express to Muzaffarpur (12491/12492)
8. Lucknow- Allahabad Express to Vindhyachal (14209/14210)
9. Chandigarh- Jaipur Garib Rath Express to Ajmer (12983/12984)
10. Indore-Ajmer Express to Jaipur (19655/19656)
11. Lucknow- Saharanpur Express to Chandigarh (15011/15012)
12. Chennai Egmore –Nagore Express to Karaikal (16175/16176)
13. Visakhapatnam-Nizamabad Express to Nanded (18509/18510)
14. Sambalpur- Nizamabad Express to Nanded (18309/18310)
15. Mysore- Shimoga Town Express to Talguppa (16205/16206)
16. Valsad- Vadodara Express to Dahod (12929/12930)
17. Surat- Bhavnagar Express to Mahuva (19025/19026)
18. Sultanpur – Ajmer Express to Ahmedabad (19603/19604)
19. Ajmer-Kishanganj Express to New Jalpaiguri (19601/19602)
20. Mumbai-Allahabad Express to Faizabad via Jaunpur, Shahganj (12563/12564)
21. Yesvantapur-Mangalore Express to Karwar (16515/16516)
22. Saharanpur- Delhi to Farukh Nagar (14546/14545)
23. Lucknow – Bhopal Express to Pratapgarh (12183/12184)
24. Delhi- Shahjahanpur Passenger to Sitapur Cantt. (54075/54076)
25. Moradabad- Chandausi Passenger to Bareilly (54311/54312)
26. Hajipur- Phulwaria Passenger to Bathua Bazar (55221/55222)
27. Hajipur- Thawe Passenger to Kaptanganj (55007/55008)
28. Nagercoil- Thiruvanthapuram Passenger to Kochuvelli (56318/56317)
29. Hyderabad- Wadi Passenger to Gulbarga (57135/57136)
30. Hubli- Bijapur Passenger to Solapur (56909/56910)
31. Nagda- Kota Passenger to Ratlam (59803/59802)
32. Ambala – Una DEMU to Amb Andaura (74991/74992)
33. Ambala – Amritsar DEMU to Kurukshetra (74645/74646)

और भी है, पढ़ूं क्या?...(व्यवधान) मैं इसे पूरा ले भी करती हूं। इसमें पूरा विवरण है। मैं पढ़ती हूं, आप पहले बोलने तो दो। ...(व्यवधान)

मैडम, थोड़ा और भी है, लेकिन the list is very big.

Increase in frequency of trains

The frequency of the following trains will be increased:

1. New Delhi-Ajmer Shatabdi Express from 6 days to daily (12015/12016)
2. Nagpur- Ahmedabad Express from weekly to bi-weekly (11453/11454)
3. Nizamuddin -Dehradun AC Express from 6 days to daily (12205/12206)
4. Secunderabad -Bikaner Express from weekly to bi-weekly (17037/17038)
5. New Delhi- Dibrugarh Rajdhani Express from 6 days to daily (12423/12424)
6. Jaipur- Pune Express from weekly to bi-weekly (12939/12940)
7. Rourkela- Bhubaneswar Express from 6 days to daily (18105/18106)
8. Bangalore- Hubli Jan Shatabdi Express from 6 days to daily (12079/12080)
9. Habibganj- Jabalpur Jan Shatabdi Express from 6 days to daily (12061/12062)
10. Delhi Sarai Rohilla- Udaipur Chetak Express from 4 days to daily (12981/12982)
11. Indore- Udaipur Express from 3 days to daily (19657/19658)
12. Rajkot- Porbander Express from 3 days to daily (19571/19572)
13. Mumbai CST- Mangalore Express from 3 days to daily (12133/12134)
14. Chennai-Tiruchendur Express from weekly to daily (16735/16736)
15. Surat- Amravati Fast Passenger from 2 days to 3 days (59025/59026)
16. Thiruchchirappalli- Karur Passenger from 6 days to daily (76835/76836)
17. Shoranur- Eranakulam Passenger from 6 days to daily (56607/56608)

Special Trains

Railways often have to meet large spikes in the demand for passenger traffic during vacations, festivals, Kumbh or other melas etc. In the current year, we already operated 130 pairs of additional special trains which made 36,000 trips. In the coming summer season, it is planned to operate 8,000 trips to handle the rush, and a total of 40,000 for the whole year. This not only helps railways to achieve a healthy growth in passenger earnings but also satisfies to a large extent

the seasonal travel demands. Preparations to cater to the expected massive demand by pilgrims during 'Maha Kumbh Mela' in 2013 are being planned.

New Lines

I propose to take up the following new line projects in 2011-12:-

1. Murkongselek-Pasighat
2. Rae Bareli – Akbarganj
3. Somnath – Kodinar
4. Joynagar – Durgapur
5. Sultanpur – Amethi
6. Mateswar – Memari
7. Itahar to Raiganj
8. Bankura – Purulia
9. Mellacheruvu – Janpahad
10. Bhangankhali and Basanti
11. Bongaon and Poramaheshtala
12. Irphala to Ghatal
13. Nadikudi-Srikalahasti
14. Baruipara to Furfura
15. Madurai-Tuticorin
16. Kalikapur and Minakhan via Ghatakpur
17. Tumkur-Davangiri
18. Chandranagar to Bakkahali
19. Whitefield-Kolar
20. Kakdwip and Budhakhali
21. Bira to Chakla
22. Ratlam-Banswara-Dungarpur
23. Basanti – Jharkhali
24. Barabani – Churulia
25. Shimoga-Harihar

Gauge Conversion

The following new gauge conversion works are proposed to be taken up next year:

i. Baraigram-Dulabchera

ii. Shapur – Saradiya

iii. Karimganj – Mahisasan

iv. Mehsana – Taranga Hill

v. Lucknow-Pilibhit via Sitapur, Mailani

vi. Miyagam-Dabhoi-Samlaya

Doubling

The following new doubling works are proposed to be taken up this year:

1. Kalyan-Kasara - 3rd line
2. Rae Bareli – Utratia
3. Bhusawal-Jalgaon - 3rd line
4. Bhagalpur-Pirpainti
5. Ambari Falakata to New Mainaguri
6. Doubling across bridge no. 16,18 & 19 between Kathua-Madhopur
7. Rewari- Manheru
8. Guriya-Marwar & Karjoda-Palanpur
9. Guntur-Tenali
10. Kumblam-Thuravur
11. Plassey-Jiaganj
12. 3rd line between Bandel & Boinchi
13. 3rd line between Sainthia-Tarapith
14. Simhachalam - Gopalapatnam bye-pass line
15. Patch doubling of Aunrihar-Manduadih section
16. Doubling across Beas Bridge between Mirthal-Bhangala
17. Rani – Keshav Ganj

18. Ajmer –Bangurgram
19. Omalur – Metturdam - Patch doubling
20. Toranagallu-Ranjithpura
21. Shivani – Hosdurga Road
22. 3rd line between Boinchi & Shaktigarh
23. Kharagpur-Gokulpur
24. Kirandul –Jagdalpur
25. Parbhani-Mudkhed
26. Vijaywada – Gudivada – Bhimavaram - Narasapur and Gudivada – Machlipatnam
27. Bina-Kota
28. Viramgram-Samalkhiali

Project Implementation

Hon'ble members have been expressing their anguish over delays in project execution and non-utilisation of funds allotted for works. I fully appreciate their grievances. Therefore, I propose to set up a **Central Organization for Project Implementation (COPI)** with offices in Delhi, Kolkata, Mumbai and Bangalore, each headed by an officer of GM rank. COPI will also ensure uniformity of systems and methodologies, follow the best practices and optimize on resources. Core groups in the four offices will monitor and ensure the funds allocated to different projects are fully utilized and not surrendered or diverted and projects completed in a time-frame. They will also ensure accountability and fix responsibility for non-performance.

मैडम, पहले प्रोजैक्ट्स के लिए एम.पी. लोगों की कम्पलेण्ट रहती थी कि प्रोजैक्ट्स टाइम पर पूरे नहीं होते हैं। इसके लिए इस समय हम लोगों ने सैण्ट्रल आर्गेनाइजेशन और प्रोजैक्ट इम्प्लीमेंटेश बनाया और जो रुपया इस साल में हमने दिया, जो खर्च नहीं हुआ, for the next year, it will not be lapsable. इसको खर्च करेंगे। इसमें हमारा सिस्टम तैयार हो गया है।...(व्यवधान) इन्दौर दे दिया, आपने सुना नहीं।

New Line Surveys

On the basis of requests received from the hon'ble members, state governments and others, the following surveys are proposed to be taken up in 2011-12:-

1 Bitragunta - Donakonda

2 Adilabad - Armoor

3 Bronachalam - Bellary

4 Poddatur – Yerraguntla

5 Karimnagar – Hassanparthi

6 Patancheru – Adilabad

7 Bhadrachalam Road – Visakhapatnam

8 Dimapur-Tizit

9 Bapudham Motihari - Riga

10 Dhamtari - Kanker

11 Rail connectivity to Jowai(Jaintia Hills) with Lokro

12 Dahod - Nathdwara

13 Rail connectivity to Santalpur, Suigam, Vav, Sanchor, Radhanpur

14 Taranga - Abu Road via Ambaji

15 Rail connectivity to Gariawar Taluka in Bhavnagar

16 Surat -Hazira

17 Viramgam -Sankheshwer

18 Daman -Nasik

19 Nadiad -Tarapur -Kheda -Matar

20 Tarapur –Mahemadabad

21 Ahmedabad -Khedbrahma - Ambaji

22 Mahesana -Harij -Radhanpur

23 Vejalpur –Botad

24 Jakhal - Hissar

25 Alwar - Charkhi Dadri

26 Ghatshila – Ranchi

27 Simri Bakhtiyarpur - Bihariganj

28 Thakazhy-Tiruvalla

29 Tumkur-Chamarajnagar

30 Kolhapur – Dharwar

31 Ramganjmandi – Neemuch

32 Laji - Kirnapur

33 Farrukhabad - Shahjahanpur upto Mailani

34 Damoh - Hatanagar - Khajuraho

35 Pandra Road-Gotegaon(Shreedham).

36 Rail connectivity to Fatehabad-Chandravatiganj with Ratlam-Indore project

37 Chhindwara – Sagar

38 Rail connectivity of Kolhapur to Konkan Railway

39 Additional suburban line on Virar - Diva - Panvel section … (*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): गोरखपुर-बांसगांव ...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : आपने क्या कहा?

योगी आदित्यनाथ : गोरखपुर-बांसगांव ...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : गोरखपुर-बांसगांव हम इसमें इन्क्ल्यूड कर देंगे। ...(व्यवधान)

40 Fast corridor on Harbour Line

41 Bye-pass line from Chudawa - Basmat Station

42 Paradip Port - Dhamara Port

43 Bhadrachalam - Kharagpur through Koraput-Talcher-Baripada

44 Rajmahendri – Raipur … (*Interruptions*) पहले मुझे पूरा पढ़ने दीजिए। ...(व्यवधान) पहले आप देख लीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय): बेगुसरा-पटना इंटरसिटी। ...(व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE: Let me complete.

45 Salem - Karaikal via Perambalur, Mayiladuthurai

46 Rajpura Junction – Chandigarh

47 Dharamkot - Moga

48 Barmer-Palanpur

49 Jaisalmer-Kandla

50 Nagore – Falaudi

51 Mannargudi - Pattukkottai

52 Tirupati to Nagore via Kancheepuram.

53 Balrampur - Khalilabad

54 Gwalior - Shahjahanpur via Fetehabad, Katana, Rajpur, Jalalabad

55 Manakpur - Madarsah Majar

56 Barabanki - Fatehpur via Deva

57 Kasganj - Etawah via Mainpuri

58 Hasnabad - Machalandapur

59 Kushinagar- Kapilvastu (Nepal)

60 Ghughli - Anandnagar via Maharajganj

61 Dibrugarh-Dangri via New Tinsukia Town

62 Cuddaph - Hindupur via Kadiri

63 Kannur - Mattannur

64 Nandyal - Atmakur via Mahanandi

65 Parumamilla-Bakrapet

66 Thellapur - Patancheru

67 Rail connectivity to Dondi Lohara

68 Sabarmati - Abu Road

69 Palanpur - Bhuj

70 Bhildi – Jodhpur

71 Dhrangadhara -Santalpur

72 Palanpur -Ambaji -Abu Road

73 Dhanera -Goradu

74 Tahrad -Vav -Suigam

75 Bharuch -Dahej -Jambusar

76 Rail linkage for Delhi-Mumbai Industrial Corridor in Gujarat

77 Gandhinagar-Prantij

78 Nadiad-Dholka

79 Pirpainti - Jasidih

80 Koppal-Singanur

81 Tiruvalla - Ranny -Pampa

82 Kozhikode-Beypore

83 Nanjangode-Nilambur Road

84 Jabalpur-Udaipura-Sagar

85 Katangi-Tarodi

86 Kolhapur - Rajapur

87 Nagar -Kalyan

88 Karad - Belgaum via Nipani

89 Karaikal - Teralam

90 Karaikal - Sarkazi

91 Nandigram-Hijli Pirbaba via Jelingham

92 Sriperambudur-Guduvanchery with spur to Irun Kattukottai - Avadi-Sriperumbudur

93 Sausar - Pandhurana

94 Talasserry-Mysore

95 Shillong-Chandranathpur

96 Sivok-Mirik

97 Tirap-Lekhapani

98 Silghat-Tezpur

99 Bagnan - Shyampur

100 Hyderabad-Srisailam

101 Secunderabd-Karimnagar via Siddipet

102 Rohtak - Hansi via Meham

103 Ramagundam-Renigunta

104 Sivok-Kalimpong

105 Katwa-Karimganj

106 Nandakumar-Moyna(Bolai Panda)

107 Belda-Narayangarh

108 Jhargram-Khatra-Raipur-Mukutmanipu

109 Haldia-Sagar- Raichak

110 Puntamba-Rotegaon

Gauge Conversion Surveys

Following surveys are proposed to be taken up in 2011-12:-

1. Gwalior - Degond

2. Katosan Bahucharaji-Ranuj

3. Hapa-Dahisar

4. Veraval-Dhasa Jn via Talala-Visavadar-Khijadia

Doubling Surveys

1. Pune - Lonavala 3rd line
2. Gutti - Dharmavaram with electrification
3. Rajkot-Viramgam
4. Ahmedabad-Junagarh
5. Rajkot-Surendranagar
6. Birur-Shimoga
7. New Bongaigaon-Rangiya-Kamakhya
8. Irugur-Podanur
9. Macherla-Nadikude
10. Virar - Ahmedabad 3rd line
11. New Bongaigaon-Kamakhya via Goalpara Doubling
12. Ahmedabad-Palanpur
13. Rohtak-Bhiwani
14. Hubli-Bangalore
15. Podanur - Palghat 3rd line
16. Ernakulam-Shoranur 4th line

Railway Electrification

The hon'ble members will be happy to know that railways would exceed the original XI Plan target of 3,500 route-km of electrification. In 2011-12, the following sections covering around 1,000 km are proposed to be electrified:-

i. Vizianagaram-Rayagada-Titlagarh-Raipur
ii. Rosa-Sitapur-Burhwal
iii. Alwar-Rewari

* In addition to the above, feasibility study for the electrification of the following sections will be undertaken:

i. Ahmedabad- Palanpur-Phulera-Ringus-Rewari-Delhi including Kandla/Mundra Port- Gandhidham-Bhildi-Palanpur and

ii. Amla-Chindwara-Kalumna.*

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैडम, मनमाड ...(व्यवधान)

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

KUMARI MAMATA BANERJEE: Madam, ...(व्यवधान)

वह होगा। लास्ट टाइम जो हुआ, वह तो होगा। ...(व्यवधान) मैंने 12वीं प्लानिंग में दे दिया। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): नई दिल्ली से मऊ के लिए कोई ट्रेन नहीं है। ...(व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE: Madam,

अगर आप कहते हैं, तो हम ले कर देते हैं। ...(व्यवधान) जो दिया है, उसे हम बाद में देख लेंगे। ...(व्यवधान) मैडम, मैं बाकी की स्पीच ले करती हूं, हमारी और भी बहुत सारी हैं, हम इसे ले करते हैं। ...(व्यवधान) आप हमें बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) सभी एमपी लोग सुनने के लिए तैयार हैं कि हम भाड़े का क्या करेंगे? ...(व्यवधान)

---

[*] …..* This part of the Speech was laid on the Table.

[*] Not recorded.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): मुंगेर का क्या हुआ? ...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मुंगेर है। ...(व्यवधान) मुंगेर के लिए ट्रेन दी है। ...(व्यवधान) मैडम, प्राइस राइज से हमारे सभी लोग डिस्टर्ब्ड हैं। ...(व्यवधान) हम गवर्नमेंट की ओर से और इन्फ्लेशन बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ..(व्यवधान) लेकिन हम चाहते है कि हमारा जो पैसेंजर है, ...(व्यवधान) हम आम-आदमी के लिए, कॉमन पैसेंजर को रिलीफ देने के लिए we are not increasing the fares for passengers. With these words, Madam, मैं कहना चाहूंगी कि रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो कामयाबी जरूर नजर होंगी।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.45 p.m.

13.44 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Forty Five Minutes past Fourteen of the Clock.

14.51 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fifty one minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up 'Zero Hour'.

Shri S. Semmalai.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to express my thanks to you for permitting me to raise the issue of regulating the cement price.

Sir, there has been an unprecedented rise in the price of cement with no regulation whatsoever. But there has been no rationale behind the surge in the price of cement. There is also no appreciable increase in the price of inputs. Then, why is the price of cement rising? There is a widespread feeling that the industry has formed a cartel which is creating an artificial scarcity and hiking the price then and there.

At present the production has also increased but the prices have not come down appreciably.

I fear that if this present trend continues and unchecked, the construction activities will come to a grinding halt. The construction workers are suffering due to the halt in the construction activities. Even the middle class families' dream of constructing a small house gets dashed because of the price rise. Not only the price of cement but also the price of sand and bricks are also in an upward trend.

I am unable to understand the failure of the price mechanism and demand and supply equation in so far as cement is concerned.

So, I would like to make an appeal to the Government to set up a price regulatory mechanism to monitor and control the price of cement.

It will be more appropriate to refer this issue to the Competition Commission of India to prevent the formation of this cartel. I would request the Government to pay serious attention to this issue.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अति लोकमहत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि सर्वविदित है और सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि विदेशों में चाहे मिस्र हो, चाहे लीबिया हो गल्फ देशों में आज कल सत्ता परिवर्तन और हिंसा का दौर चल रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर भारत के लोग इन तमाम देशों में भी हैं। वहां उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और अपने को वे बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर भारत के लोग जो मिस्र और लीबिया में वास करते हैं, रोजगार के लिए गए हैं और कुछ नौकरी भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस बारे में पहल करे और मिस्र तथा लीबिया के दूतावास से बात करे। जो भी भारतवर्ष के नागरिक वहां हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था करे। वहां से बहुत से लोग भारत वापिस आना चाहते हैं। केंद्र सरकार वहां की सरकारों से बात करके उन भारतीयों को यहां सुरक्षित लाने का काम करे।

श्री कमलेश पासवान (बांसगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमलेश पासवान जी भी इस विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

14.55 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS…..Contd.

(ii) RE : Danger to the existence of the holy river Ganges

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तात्कालिक सवाल पर आपका, सदन का और सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गंगा नदी केवल एक नदी नहीं है बल्कि वह भारत की संस्कृति का प्रतीक है। भारत सरकार के प्रधान मंत्री नें गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाने का काम किया है। उससे जनता में खुशी हुई कि कम से कम प्रधान मंत्री जी ने देर से ही सही लेकिन गंगा को याद किया।

मान्यवर, आपसे एक आग्रह है कि इस पर बोलने के लिए कम से कम मुझे पांच मिनट का समय जरूर दीजिएगा। यह कोई इंडिविजुअल विषय नहीं है। करोड़ों लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है।...(व्यवधान) बंसल साहब, सुनकर तो जाइए। इतनी जल्दी में न रहिए।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): बीएसी शुरु होने वाली है।

श्री रेवती रमण सिंह : इनसे हम आश्वासन चाहेंगे। महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी ने गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाने का काम किया है लेकिन आज हालत क्या है? गंगा की अविरल धारा होनी चाहिए लेकिन गंगा पर इतने सारे बांध बने हैं। एक बांध टेहरी पर, एक हरिद्वार पर, एक नरौरा पर और अभी बांधों की श्रृंखला बनाने की योजना उत्तराखंड सरकार और केन्द्र सरकार की सहमति से चल रही है। मैं चाहता हूं कि अगर उनको बिजली की जरुरत है तो उतनी बिजली केन्द्र सरकार अपने कोटे से दे दे लेकिन गंगा को समाप्त न कराए। गंगा समाप्त हो गई तो भारत की संस्कृति समाप्त हो जाएगी, यहां की सभ्यता समाप्त हो जाएगी।

लेकिन हमें अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने को भारतीय संस्कृति का प्रतीक कहते हैं, वहां उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और इन लोगों ने गंगा को समाप्त कर देना निश्चित कर रखा है। यदि यही हालत रही तो ग्लेशियर पहले ही 30 किलोमीटर हर साल गल रहा है और हम गंगा को बांधकर चार बांध और ये बना रहे हैं और वह भी भागीरथी पर बना रहे हैं। एक बांध इनका भैरोघाटी-एक पर है जो गंगोत्री से मात्र 9 कि.मी. की दूरी पर है। भैरोघाटी-दो विचाराधीन भैरोघाटी-एक के तुरंत बाद लुहारीघाट-पाला निर्माण प्रारम्भ हो गया है। पाला-मनहेरी निर्माण हेतु तैयार लुहारीपाला के तुरंत बाद गंगोत्री के पास उत्तराखंड की सरकार ने यह किया है कि इतनी बांधों की श्रृंखला बना दे रहे हैं। अगर कुल पानी आज आप देखें और मान्यवर आप भी बिहार से आते हैं, बिहार में पहले का गंगा का पाट इतना चौड़ा था, अब आज देखें कि वहां पर गंगा का पाट इतना कम हो गया है। पहले गंगा में बड़े-बड़े स्टीमर चलते थे, आज वहां पर नाव चलना भी दूभर हो गया है।

15.00 hrs.

इलाहाबाद से नाले की तरह गंगा बह रही है और काला पानी बह रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार और केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा। आज भाजपा के नेता मौजूद नहीं हैं, श्री शरद जी, यहां मौजूद हैं, वह एनडीए के कन्वीनर हैं। मैं शरद जी से आग्रह करूंगा कि कृपया इस तरफ ध्यान दें और भैरोघाटी पर इन लोगों ने जो श्रृंखला भागीरथी पर बनाई है। आप कम से कम इस बारे में आश्वासन दे दीजिए। मैं शरद जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप इसमें इंटरवीन करें और जो बांध की श्रृंखला उत्तराखंड में बना रहे हैं, उसे समाप्त करने का काम कराइये।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे अपने नाम की स्लिप्स टेबल पर भेज दें।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, गंगा के बगैर देश की कल्पना करना बेकार है। श्री रेवती रमण जी ने जो सवाल उठाया है, उससे पूरा सदन चिंतित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मामले में भारत सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। गंगा के बगैर इस देश का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरी विनती है, बंसल जी यहां बैठे हैं। माननीय सदस्य ने यहां बहुत गंभीर बात उठाई है और आपको इस पर तत्काल कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। वास्तव में यह बहुत गम्भीर समस्या है।

श्री पवन कुमार बंसल : माफ कीजिए, मैं कोई गलत स्टेटमैन्ट नहीं देना चाहता। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि इसमें केन्द्र ने बंधों पर रोक लगा दी है।

श्री रेवती रमण सिंह : एक बंधा है, जिस पर काम चल रहा है। दो पर रोक लगाई है। ...(व्यवधान)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी): मिनिस्टर साहब, आप बाद में स्टेटमैन्ट दीजिए।

श्री रेवती रमण सिंह : नहीं, अभी आश्वासन दे रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अगर वह बात कर रहे थे तो मैं समझता हूं कि जीरो ऑवर में अगर मुझे किसी चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो मैं बता दूं।

श्री रेवती रमण सिंह : आप बोलिये और बताइये।

श्री पवन कुमार बंसल : वह कहती हैं कि मैं न बोलूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय बहादुर सिंह, श्री राकेश पाण्डेय और श्री कपिल मुनि करवारिया अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वैसे यह विषय मेरा नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है, चूंकि मैं उन मीटिंग्स में हाजिर होता था। जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी बनाई गई है, प्रधान मंत्री उसमें खुद दिलचस्पी ले

रहे हैं, मीटिंग्स को प्रिसाइड ओवर करते हैं। इसके बाद एक सब-कमेटी बनी थी, सब-कमेटी ने फैसला किया था और उसमें सरकार से बाहर गैर-सरकारी संस्थाएं हैं। उन्होंने एक सिफारिश दी थी और उनकी सिफारिश को मानते हुए केन्द्र सरकार ने उन पर रोक लगा दी थी। मुझे ठीक से याद नहीं कि उत्तराखंड की सरकार को उसके लिए किसी ढंग से बिजली की पूर्ति करने के लिए कुछ सोचा जा रहा था। मेरे ख्याल से उसमें ऐसा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता है। मैंने यह भी जो बोला है, मुझे एहसास है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि जो आपने कहा है, इसकी पूरी सूचना मैं जहां जरूरत है, वहां भिजवा दूंगा। जितना मैंने कह दिया है, उतना ही कहा जा सकता है। माननीय सदस्य श्री रेवती रमण सिंह जी ने जो यहां कहा है, उसकी सूचना जहां-जहां आवश्यक है, मैं वहां पहुंचा दूंगा।

श्री रेवती रमण सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Deputy-Speaker Sir, thank you for giving me an opportunity to raise a matter of public importance regarding acute drinking water shortage in Vizianagaram parliamentary constituency.

In my Parliamentary Constituency, there is acute drinking water problem. We are facing drinking water problem due to brackish water because of coastal belt. The ground water is not able to charge itself. During summer, the water table goes down deeply. Due to non-availability of potable water people are facing a lot of health problems. The Central Government has launched the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission to provide safe drinking water under the National Rural Drinking Water Programme (NRDWP). There are about 194 villages in Etcherla Assembly constituency under NRDWP. The Government of Andhra Pradesh has already submitted a proposal amounting to Rs.59 crores for the year 2010-11 by showing the source of water from the Nagavalli reservoir. It is the most backward area habited by fishermen and most backward people.

I urge upon the Government, through you, to sanction this project immediately for the benefit of the rural people of my constituency.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चहाता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना में कृषि ऋण और प्रायरिटी सैक्टर के लोन पर किसानों को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लीयरकट गाईडलाइन्स होने के बाद भी बैंकों द्वारा नो ड्यू देने पर प्रोसैसिंग चार्जेज के रूप में फीस वसूल की जाती है । यह पूर्णतया अवैध है और अब तक न जाने कितने किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड के रिन्युअल पर प्रायरिटी सैक्टर लैंडिंग पर, बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है, उस पर प्रोसौसिंग फीस वसूल की गई है। मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लीयरकट गाईडलाइन्स हैं, कि इस लोन पर प्रोसैसिंग फीस नहीं ले सकते हैं तो फिर ये चार्ज क्यों कर रहे हैं? मेरी सरकार से मांग है कि यह फीस वापिस की जाये और किसानों के बैंक खातों में वह पैसा जमा हो, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा, रिजर्व बैंक के नियमों की पालना हो सकती है अन्यथा यह किसानों के साथ सरासर अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने बैंकों की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया़ तो उन्होंने दूसरे रास्ते से जवाब देने की कोशिश की कि हमारे पैनल लॉयर नियुक्त हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पैनल लायर्स को फीस लेने का हक है अगर पैनल लायर को 150 रुपये लेने का निर्देश है लेकिन वकील एक हजार रुपया वसूल करता है। उसमें भी धांधली है। मेरा सरकार से कहना है कि जितने भी किसान क्रेडिड कार्डधारी हैं, उनमें रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कार्यवाही हो और बैकों द्वारा जो अवैध रूप से वसूली की गई है, वह वापस हो।

15.08 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS-Contd..

(iii) RE : Problems being faced by the family of National Poet Ramdhari Singh 'Dinkar'

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात राष्ट्रकवि डॉ. रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियों से शुरु करना चाहता हूं।

,

जय हो, जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को,
जिस नर में भी बसे जहां भी नमन तेज को बल को,
जाति-जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड,
जाति पूछना है तो देखो मेरा यह भुजदंड,
वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ,
जिसने न कभी आराम किया,विघ्नों में रहकर नाम किया,

सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते,
कांटों में राह बनाते हैं, कष्टों को गले लगाते हैं,
नींद कहां उनकी आंखों में, जो धुन के मतवाले हैं,
गति की तृष्णा और बढ़ती, जब पड़ते पग में छाले हैं,
समर शेष है, समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्यास,
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रकवि दिनकर की कविता की पंक्तियां क्यों बोल रहा हूं? राष्ट्रकवि दिनकर का मकान पटना में है और उस मकान पर सत्तारूढ़ दल के उप-मुख्यमंत्री के भाई ने अपना कब्जा किया हुआ है।

उनके परिवार के सदस्यों, उनकी मां, उनकी पतोहू, उनके प्रपोत्र की पीड़ा राष्ट्रकवि दिनकर के पास पहुंच रही है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह राज्य का मामला है, केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, वे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में राज्य सभा के सदस्य रह चुके हैं। हिन्दी देश के हिन्दी साहित्यकार, जितने भी हिन्दी सेवी हैं, सब लोगों ने वहां की सरकार के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित किया है। वे दर-दर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के यहां गये, उपमुख्यमंत्री के यहां गये, यहां आकर भाजपा के जितने भी नेता हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री राजनाथ सिंह सबके पास गये।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमारी बात सुन ली जाये। जिसने राष्ट्र की सेवा की, हिन्दी साहित्य, हिन्दी जगत की सेवा की।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी पीड़ा बता दी है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उनके परिवार की यह दुर्दशा है, उनका परिवार दर-दर भटक रहा है। तमाम मीडिया ने लिखा कि दिनकर का मकान, मोदी की दुकान, दिनकर का मकान, मोदी की दुकान।

महोदय, मकान पर कब्जा किया हुआ है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गयी है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमारी बात सुनी ली जाये। यह राष्ट्रकवि दिनकर के परिवार की दुर्दशा का सवाल है। हिन्दी साहित्य जगत की जिसने आजीवन सेवा की।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात रख दी है और सरकार ने आपकी बात सुन ली है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में राज्य सभा के सदस्य थे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को बार-बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जिन्होंने संस्कृति के चार अध्याय, इतिहास को, हिन्दुस्तान को गौरवान्वित करने का काम किया, उनका परिवार दर-दर भटक रहा है। प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां हिन्दी के सभी साहित्यकारों ने लिखा-पढ़ी की है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप बैठ जाइये। आपने अपनी बात रख दी है और सरकार ने आपकी बात सुन ली है। अब सरकार अपना काम करेगी।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। यह बहुत भारी जुल्म है। यहां राजघाट की समाधि पर हिन्दी के साहित्यकारों ने.....(व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह : महोदय, मैं अपने आपको इनसे एसोसिएट करता हूं।...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): महोदय, रघुवंश बाबू ने जो बातें कही हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एसोसिएट कर दीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : उनके बाद हमें बोलने दें।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर एक ही विषय पर 10 माननीय सदस्य बोलेंगे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, रघुवंश बाबू ने कुछ आरोप लगाये हैं। उन आरोपों के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चूंकि भारत सरकार ने दिनकर जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी और जवाहर लाल नेहरू जी ने बहुत सम्मान दिया था तो किसने मकान पर कब्जा किया, किसने नहीं किया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के मकान पर अगर अनाधिकृत रूप से किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसे मुक्त कराने के लिए यहां से सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार सरकार स्वयं संवेदनशील है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): आज देश का हर बच्चा इस आशा के साथ सुबह सोकर नहीं उठता है कि जब वह सुबह उठेगा तो उसे भरपेट भोजन मिलेगा और वह अपने कंधे पर स्कूल का बस्ता लेकर पढ़ने के लिए जायेगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान) *

श्री वीरेन्द्र कुमार : बाल श्रम संपूर्ण समाज के सामने एक अनुत्तरित प्रश्न है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी। सिर्फ वीरेन्द्र जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।

*(Interruptions) ...**

श्री वीरेन्द्र कुमार : इसे रोकने के लिए बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, योजनाएं एवं कानून भी बनाये जाते हैं। सवाल उठता है कि बाल मजदूरों के कल्याण संबंधी योजनाओं का पैसा आखिर कहां खर्च होता है? कितने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया जा सका है? आज भी मिर्जापुर के कालीन उद्योग में, फिरोजाबाद के चूड़ी कारखानों में, शिवाकाशी के पटाखा उद्योग में, शादी के मौके पर शहनाई और बाजों के बीच में सिर पर 30 से 40 किलो की लाइट का बोझ अपने सिर पर उठाए हुए...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आपकी बात सरकार ने सुन ली है और वह कार्रवाई करेगी।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार : बाल श्रमिक केटरिंग वालों के साथ बर्तन धोते हुए, सड़क के किनारे चाय के स्टाल पर झूठे कप-प्लेट धोते हुए बड़ी संख्या में नजर आते हैं। इनसे बाल श्रम रोकने के दावों को गलत साबित किया जाता है।

120 करोड़ की आबादी वाले इस देश में स्कूल की दहलीज से दूर आज भी लगभग 92 लाख बच्चे हैं, जो अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने को बाध्य हैं। बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मैं सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : राष्ट्रकवि दिनकर जी से संबंधित यह मामला बहुत गंभीर है। हम इस पर असोसियेट करना चाहते हैं। मंत्री जी को इस पर बयान देना चाहिए। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य संबद्ध करना चाहते हैं, वे अपने नाम लिखकर दे दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी की बात तो सुन लीजिए। किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(Interruptions) ... *

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, सभी माननीय सदस्स इस बात से वाकिफ़ हैं कि ज़ीरो आवर की सीमाएँ क्या हैं। एक अहम विषय उन्होंने ज़रूर उठाया है लेकिन माननीय श्री रघुवंश प्रसाद जी यह खुद जानते हैं और वे खुद कह रहे हैं कि यह विषय वहाँ के प्रांत से ताल्लुक रखता है। दिनकर जी राष्ट्रकवि हैं, हम सभी को उनकी इज्ज़त करनी चाहिए और हम करते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार अपने आप इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, यह बात मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ। यहाँ सभी पार्टियों के सदस्य बैठे हैं। कोई भी बात यहाँ कहते हैं तो आवश्यक तौर पर उसकी सूचना सबको पहुँचती है। यही तो उसकी खूबी है और इसी कारण तो आप यह सब कह रहे हैं। लेकिन इसको आप केन्द्र सरकार का दायित्व बनाकर नहीं कह सकते कि केन्द्र सरकार इसका संज्ञान ले और कुछ करे। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप केन्द्र सरकार को निर्देशित करें। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैं इस बात से मामूली सा ताज्जुब ज़रूर करता हूँ कि कई चीज़ों पर माननीय सदस्य जब कहते हैं, जैसे शैलेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं, माननीय सदस्य भी कई बार कहते हैं कि इसमें केन्द्र उनको आदेश दे। क्या आप यह अधिकार केन्द्र को देना चाहते हैं या दे रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप उनको एडवाइस करें। ...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : राज्य सरकार से पूछा जाए कि उनके परिवार की यह दुर्दशा क्यों है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र कुमार जी, आप जल्दी अपनी बात कहें।

श्री वीरेन्द्र कुमार : महोदय, 120 करोड़ की आबादी वाले इस देश में स्कूल की दहलीज से दूर आज भी करीब 92 लाख बच्चे हैं जो अपना पेट पालने के लिए मज़दूरी करने को बाध्य हैं। बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं और हमें उन्हें विकसित करने के लिए उस क्षेत्र के लोगों की मूल सुविधाओं के बारे में विचार करना होगा तथा उसे अमल में लाना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बाल मज़दूरी को खत्म करने के लिए बाल मज़दूरी से हटाए गए बच्चों की सही देखभाल तथा उन्हें कम से कम पूरी शिक्षा उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को देश के उन सभी राज्यों में, जहाँ वह

---

* Not recorded.

कार्यान्वित नहीं हो रही है, शीघ्र प्रारंभ करवाने की पहल की जाए ताकि देश का हर बाल मज़दूर नई रोशनी में जी सके चाहे वह आदिवासी हो अथवा अनाथ। तभी सुनहरे भारत की तस्वीर पूरी होगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं फिर अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य वे बातें इन्फर कर रहे हैं जो मैंने नहीं कही हैं। ...(व्यवधान) अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं। इनके द्वारा शासित कहीं किसी और राज्य में यह बात उठती तो क्या वह यह अधिकार केन्द्र सरकार को देते कि केन्द्र सरकार वहाँ आदेश दे सकती है? ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : आदेश नहीं, आप रिपोर्ट मँगवा लीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : आप रिपोर्ट मँगवाकर क्या करेंगे? ...(व्यवधान) महोदय, रघुवंश प्रसाद जी जो कह रहे हैं, उस पर झुकते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि इस विषय की सूचना मैं संबंधित मंत्रालय में भेज दूँगा। ...(व्यवधान) मैं इसे सूचना हेतु संबंधित मंत्रालय में भेज दूँगा।

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to raise an issue of urgent public importance regarding the Krishna Water Tribunal Award that has been submitted on 30th December 2010.

Earlier, the award was given by Justice Bachawat in 1973. After 2000 it was to be given a re-look and some additional allocation was supposed to be made. That is why the Krishna Water Tribunal was constituted and it gave its award on 30th December.

I would like to say that a grave injustice has been done to the State of Andhra Pradesh. We have two major projects on river Krishna in Andhra Pradesh; that is Nagarjuna Sagar Project and Srisailam Project. We also have the Jurala Project in Andhra Pradesh. Under Upper Krishna Project Karnataka has constructed Alamatti Dam and Narayanpur Dam. We do not have any objection in construction of any upstream dam but the only point is that in the recent award the Tribunal has said that the height of Alamatti Dam can be raised from 519 m to 524.6 m. Once the height of the dam is raised to that level, in lean periods not a

single drop of water will be reaching Srisailam and Nagarjuna Sagar. We have seen such instances in the past also in the years 2001, 2002 and 2003. In three successive years not a single drop of water reached the downstream even when the height of the dam was 519 m. So, I would request the Government of India to ensure that the height of the dam is not raised and if at all they have to raise the height they should ensure that the water drop down scheduling is given. Every month they should come out with the schedule for the downstream riparian State of Andhra Pradesh.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI L. RAJAGOPAL : There is a technical problem. Instead of 75 per cent they have taken the dependability as 65 per cent. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य की बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी। डॉ. भोला सिंह, आप बोलिये।

(Interruptions) ...[*]

MR. DEPUTY SPEAKER: The names of Shri K.S. Rao and Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi may be associated with the matter raised by Shri L. Rajagopal.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन की अनुमति से निम्नलिखित विषय पर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भारतवर्ष में बिहार राज्य के अन्तर्गत नवादा जिला आजादी के बाद से शाश्वत भयानक सुखाड़ का जिला रहा है। इस जिले में कौआकोल, गोविन्दपुर, रोह, पकड़बरावां, काशीचक, नवादा, नारदीगंज आदि प्रखण्डों में जमीन के नीचे पानी की सतह नहीं है, बल्कि नीचे पहाड़ की श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। नवादा जिले में बादलों का आना-जाना भी नहीं होता है। वहां मृत पहाड़ हैं और नदियां स्वयं प्यासी हैं।

पूर्व में केन्द्र सरकार ने इसे सुखाड़ग्रस्त जिले के रूप में मान्यता देकर कल्याणकारी कदम उठाने का प्रयास किया था। वह भी अब स्थगित है। बिहार सरकार ममता रखते हुए कुछ भी सांगठनिक रूप से करने में असमर्थ रही है। इस अवस्था में 25 लाख की आबादी का यह जिला प्यासा है, भूखा है और प्रकृति की मार से तार-तार है।

---

[*] Not recorded.

हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि नवादा, जो क्रॉनिक सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र है, आम जन के लिए पेयजल मुहैया कराने के लिए गम्भीरता से कदम उठाये। मैं इस ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

* SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Valparai hill region is famous for tea plantations and scenic beauty that makes it a place of tourist importance in Coimbatore District of Tamil Nadu. More than 60,000 people live in Valparai estate area. Most of them are plantation workers working in tea estates there. It is also to be noted that most of them are hailing from the depressed class living in poor conditions. The entire Valparai estate area comes under the recently declared Indira Gandhi Wildlife Sanctuary. So far, at least 50 people lost their lives because of the attacks by wild animals in this area. Since it has been declared as a reserve forest area and a wildlife sanctuary, the State machinery goes all out to protect the animals ignoring the protection that has got to be given to human beings. Hence I urge upon the Union Government to rescind the declaration that the area would come under Indira Gandhi Wildlife Sanctuary so that protection can be ensured to human lives. People living there have to lead their life with constant fear. Through this august House, I would like to urge upon the Government that steps must be taken to declare this area as hill tract with human inhabitation. Till such time when the alternative declaration is made, the human inhabitations in that hill tract must have protection by way of erecting fencing structure with fortifications and live-wire fencing. I also would like to point out that remote habitations in this area do not have proper road connectivity as they could not be laid due to the ban by the Union Environment and Forests Ministry. Vehicles and rural buses cannot go near the human habitations in the forest areas there. Only when proper road communication facility is established, people can heave a sigh of relief and live peacefully there. In the meantime, the

---

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

Union Government must come forward to adequately compensate the loss of lives and properties and extend Rs. 10 lakh to the bereaved families of whose members have been attacked by the wild animals that are sought to be protected by the Centre.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, I want to mention a problem relating to my Constituency. Education is very important for the development of human resources. The human resource development is inevitable for the development of our nation. In Tamil Nadu, only Chennai has an IIT for higher technical education. Technical education is very important for the development of students as well as human resources. The students have to compete globally. In my Constituency of Tirunelveli, a large number of engineering colleges are situated but our students are not having the opportunities to pursue higher education in institutions like IIT. We need an IIT for Tirunelveli because it covers Kanyakumari and Tuticorin Districts up to Madurai. Higher education is inevitable for our students. Therefore, we need an IIT in my Constituency of Tirunelveli. This is my request to the Government.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान की मान्यता तथा उसके तहत अनुसूचित जातियां, जनजातियां, ओबीसी एवं विकलांगों का आरक्षण समाप्त करने जैसे अति संवेदनशील लोक महत्व के मामले को शून्यकाल में उठाने दिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मंगलवार को दे दिया था। अब वहां मुस्लिम बच्चों को दाखिले में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा बल्कि पहले से चला आ रहा अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को 22.5 प्रतिशत, ओबीसी, विकलांग ऐसे अन्य जामिया से ही स्कूली पढ़ाई शुरू करने वालों का 25 प्रतिशत का कोटा भी खत्म हो गया। यह फैसला विश्वविद्यालय की मूल अवधारणा के विपरीत है। सन् 2006 में खुद जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोग में शपथ पत्र देकर जामिया का अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के विरोध के बावजूद ऐसा फैसला राजनीति से प्रोरित प्रतीत होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित इसी तरह का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है जिस पर कोई फैसला आने से पहले आयोग द्वारा किया गया यह निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इच्छा के भी खिलाफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी एवं विकलांगों को जामिया में मिलने वाला आरक्षण यथावत जारी रखा जाए तथा जामिया विश्वविद्यालय की धर्मनिरपेक्ष छवि को और मजबूती प्रदान करने हेतु उपयुक्त प्रबंध किए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी के विषय के साथ अपने को एसोसिएट करते हैं।

साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल का बिजनेस लगा हुआ है। मेरे पास जीरो ऑवर के चार-पांच और विषय हैं। अगर हाउस एग्री हो तो हम इसे निपटाने के बाद ही प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू करेंगे।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के जिलापाल और आदिवासी जूनियर इंजीनियर को 16 तारीख को माओवादी लोग अगवा करके ले गये थे और उन्हें नौ दिन बाद यानी 24 तारीख को छोड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले नौ दिनों में राज्य सरकार, प्रशासन सक्रिय हो गयी थी। कुछ भी हो, लेकिन एक शांति का वातावरण मिला है। जो लोग मध्यस्थता कर रहे थे, उनके माध्यम से बातचीत की शुरुआत हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जंगल, पिछड़े और आदिवासी इलाके के विकास के लिए भारत सरकार काफी योजनाओं में पैसा खर्च कर रही है। करीब सात माओवादी जिलों में भारत सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन वह पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, वहां का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ठेकेदार और अफसर मिलकर उस पैसे को खा रहे हैं। इसलिए उस इलाके में शांति बहाल करना बहुत जरूरी है, चाहे वह छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरियाज हों। इन सारे इलाकों में माओवादी भाइयों से बातचीत करने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाया जाये, क्योंकि हाल ही में जो बातचीत हुई जिससे कलैक्टर को रिलीज किया गया, उससे एक आशा दिखती है कि इस बारे में पीस रेस्टोर की जाए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भक्त चरण दास, जी कृपया करके आप अपनी बात संक्षेप में कीजिए क्योंकि इसके बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है।

...(व्यवधान)

श्री भक्त चरण दास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। उड़ीसा में यह नयी बात नहीं है। पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। भारत सरकार की सारी योजनाएं वहां फ्लॉप हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इस बारे में दयापूर्वक कार्य करे, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति न बने।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हरियाणा के जिला फतेहाबाद के ग्राम गोरखपुर-कुम्हरिया में न्युक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2800 मेगावाट का एक न्युक्लियर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन के अनुसार इस प्लांट के अन्तर्गत 700-700 मेगावाट की चार यूनिटें लगाने का प्रस्ताव है। यह क्षेत्र दिल्ली से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित है।

महोदय, इस क्षेत्र में 1400 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम (लैंड एक्वीजिशन एक्ट) की धारा 4 के अन्तर्गत भूमि मालिकों यानी किसानों को नोटिसेज भेजे जा रहे हैं। 1400 एकड़ भूमि के अतिरिक्त संयंत्र के कर्मचारियों की रिहाइश हेतु लगभग 150 एकड़ भूमि और अधिगृहित की जानी है।

महोदय, इस संयंत्र के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, वह बहुत ही उपयोगी एवं साल में दो-तीन फसल देने वाली है। यह भूमि वर्ष 1894 से सिंचित है। यह भूमि किसानों के जीवनयापन का एकमात्र स्रोत है। इस भूमि में लगभग 250 पक्के मकान हैं तथा भूमिगत जल के दोहन हेतु सबमरसीबल पम्प लगे हुए हैं।

महोदय, परमाणु संयंत्र का केन्द्र बिन्दु इस भूमि से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 20 हजार है। गोरखपुर-कुम्हरिया गांव लगभग 2200 साल पुराना ऐतिहासिक गांव है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात संक्षेप मे कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप : आपको तो विदित ही है कि परमाणु संयंत्र जहां स्थापित किया जाता है, उसके 5 किलोमीटर की परिधि में आबादी नहीं रह सकती है। यदि इस परमाणु संयंत्र की स्थापना वहां की जाती है, तो गोरखपुर व अन्य कई गांवों के लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ेगा।

अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं अपना भाषण सदन के पटल पर रख देता हूं। अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसान वहां पिछले लगभग 100 दिनों से बैठे हुए हैं, उनकी मांग को मद्देनजर को रखते हुए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्री से आग्रह है कि किसानों के विरोध और भारी रोष को देखते हुए उक्त परमाणु संयत्र की स्थापना का विचार त्याग दें और यदि विशेष परिस्थितियों में इसकी स्थापना अनिवार्य है, तो इसे कहीं और स्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनीष तिवारी, वैसे श्री शैलेन्द्र कुमार जी इस विषय को पहले उठा चुके हैं।

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): महोदय, मैं अपने आप को उसके साथ सिर्फ एशोशिएट करना चाह रहा हूं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो हिन्दुस्तानी लीबिया में फंसे हुए हैं, उनकी परिस्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए राहत के लिए या उनको वहां से बाहर निकालने के लिए जो कदम सरकार लेना चाह रही है, अगर वे शीघ्र और जल्द नहीं लिए जाएंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। मैं सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में सिर्फ इतनी बात लाना चाहता हूं।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): महोदय, मैं आपका ध्यान इस देश को आजादी दिलाने वाले तमाम अमर शहीदों के एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन आश्रित परिवारों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर कुर्बानी देने का काम किया था। आजादी के इतने वर्षों बाद उन आश्रित परिवारों को कोई पहचान करने वाला नहीं है, लिहाजा मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अमर शहीदों के आश्रित परिवारों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित परिवारों को चिन्हित करके उन्हें भारत सरकार द्वारा एक सम्मान पत्र जारी किया जाए, ताकि उनको देश के लिए कुर्बानी देने के लिए याद किया जाए, ताकि राष्ट्रीयता के लिए, इस देश के लिए आने वाली पीढ़ी उनको याद कर सके और उनको सम्मान दिया जा सके।

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the issue that I am going to raise today is a very sensitive one as it is a tale of hapless victims of 1984 riots that took place in Hondh-Chhillar Village in Rewari who are awaiting justice more than 26 years after this ghastly incident took place in Haryana.

On 2nd November, 1984, a mob of 250to 300 men who were all outsiders arrived in this very peaceful village armed with jerry cans of diesel, rods and sticks. They proceeded from there to the Sikh settlement situated one kilometer away from the main village where 13 Sikh families were living and went on a killing spree. The mob did not spare anyone. They ruthlessly attacked and set ablaze men, women and children who were outside their houses. The mobsters also dug holes in the roofs and poured diesel inside the houses and then set them on fire. You can imagine how horrific and frenzied the attack was on these innocent Sikhs.

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिए।

श्री प्रताप सिंह बाजवा : महोदय, यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

Sir, in a matter of eight hours, more than 32 people, including women and children, were killed. They came for following morning after the massacre, rounded up a few villagers and then registered an FIR at Jatusana Police Station as the village came under Mahendragarh district then. It mentions that 20 deaths were caused by unidentified people numbering around 200. An important point that cannot go unnoticed is the fact that they never made any attempt or effort to contact either the eye-witnesses or the survivors. Look at the apathy of the police officers towards the riot victims! … (*Interruptions*) Therefore, it is my earnest appeal to you, Sir, that you may consider sending a parliamentary delegation to visit Chhillar Village in Haryana to ascertain the facts from the local residents and find out how the police failed so miserably in discharging their duties.

Further, I strongly demand that the whole matter should be probed by a sitting judge of a High Court in order to ensure that justice, though delayed, is not denied and the guilty are put behind the bars at the earliest.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उपाध्यक्ष जी, मैंने सुबह भी इस सवाल को उठाना चाहा था। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रांतों में भी भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिबंधित दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही है। इस वजह से पूरे देश के आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ बच्चों पर भी इन प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग से बुरा असर पड़ रहा है, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी प्रतिबंधित किया हुआ है। ऐसी दवाओं के उपयोग से अभी राजस्थान में 11 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, किडनी, लीवर में खराबी और कैंसर तथा हार्ट के रोग लोगों को हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन निमेसुलाइड, सीसाप्राइड, फेनाइलप्रोपेनोलेमाइन, सिबुट्रामाइन, ह्यूमन प्लेसेंटल एक्सट्रेक्ट और आर-सिबुट्रामाइन जैसी दर्जनों प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री हो रही है। प्रदेश सरकार इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इन प्रतिबंधित दवाओं को बनाने वाली कम्पनीज और इन्हें बेचने वाले व्यापारियों की आपसी सांठगांठ से इनकी बिक्री हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई न करना दर्शाता है कि सरकारी की भी इसमें मिलीभगत है। अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन प्रतिबंधित दवाओं को तुरंत बंद किया जाए, जिससे आम नागरिकों को और मासूम बच्चों को बचाया जा

सके। यहां पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वह तत्काल इस पर उचित कार्रवाई करें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

15.41 hrs

MOTION RE: THIRTEENTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I beg to move the following:

> "That this House do agree with the Thirteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24th February, 2011. "

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Thirteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24th February, 2011. "

The motion was adopted.

15.41 ½ hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS-INTRODUCED

(i) BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL, 2010*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Private Members' Business. Introduction of Bills.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Government Securities Act, 2006.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Government Securities Act, 2006."

The motion was adopted.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I introduce** the Bill.

15.42 hrs (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, Shri Yogi Adiyanath.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Yogi Adiyanath, you are requested to move for leave to introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let Shri Yogi Adiyanath move for leave to introduce the Bill and then introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Rewati Raman Singh, let him introduce the Bill first and then you can you can raise objections. This is the practice.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

** Introduced with the recommendaton of the President.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Whatever procedure that is there, let it be followed. Let him seek leave to introduce the Bill and then you can raise your objections.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति जी, इस बिल को पेश करने से पहले हमारी बात सुन ली जाए। हमने इस पर नोटिस भी दिया है।

सभापति महोदय: पहले इन्हें मोशन तो मूव करने दीजिए।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): हमने इस पर नोटिस दिया है, हमें सुना जाए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):अभी तो मैंने मोशन ही मूव नहीं किया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप मोशन मूव करें।

...(व्यवधान)

15.45 hrs.

At this stage Shri Rawati Raman Singh and Shri Shailendra Kumar came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

15.45 ½ hrs.

At this stage Shri Rawati Raman Singh and Shri Shailendra Kumar went back to their seats

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेवती रमन जी, आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं।...(व्यवधान) Let him move then आप पूछ सकते हैं। यह तो प्रैक्टिस है।...(व्यवधान) Let him first move for leave to introduce the Bill.

15.48 hrs.

(ii) High Court at Allahabad (Establishment of a permanent bench at Gorakhpur) Bill, 2010*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गोरखपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Allahabad at Gorakhpur."

आप बैठ जाइये। मैंने बोल दिया है कि माननीय रेवती रमण सिंह जी बोलेंगे। जो प्रोसीजर फोलो हो रहा है उसके बाद ही कुछ होगा। Before I put the Motion for introduction to the vote of the House, I have to inform the hon. Members that Kunwar Rewati Raman Singh and Sarvarshri Shailendra Kumar and Vijay Bahadur Singh have given notices of their intention to oppose the introduction of the Bill. Hon. Member, please look at me....(व्यवधान) आप सब को मैं बुलाऊंगा, आप बैठ जाइये। Whatever procedure is being followed, let it be followed. Let him first move for leave to introduce the Bill. Then, you can speak.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदित्य योगी नाथ जी ने एक बिल मूव किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बैंच की स्थापना गोरखपुर में कर दी जाए। माननीय इसी सदन में, एक बार किसी और मैम्बर ने यहां प्राइवेट मैम्बर बिल लाने का काम किया था और हम लोगों ने उसका विरोध किया था। उसके बाद आज तक वह बिल नहीं आ पाया। एक परम्परा पड़ गयी है कि माननीय योगी आदित्य नाथ जी बहुत संवेदनशील मामला उठाते हैं लेकिन आज पहली बार देखा कि गोरखपुर के लिए इन्हें इतना मोह हो गया है कि देश को,

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

आसमान को, जमीन को, पानी को बेच देंगे, हर चीज का बंटवारा हो जाए, आदमियों को भी बांट दिए हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाई-कोर्ट का बंटवारा करना चाहते हैं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी): इन्हें डायरेक्ट नाम कोट नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दें।

श्री रेवती रमण सिंह : इनके नाम से बिल है, इसलिए कोट करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय : अभी इंट्रोडक्शन होगा या नहीं, इस बारे में बोल रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): इस पर हम लोगों को भी सुन लीजिए।

सभापति महोदय : जिन्होंने नोटिस दिया है वही बोलेंगे। आप बैठ जाइये। जगदम्बिका पाल जी, सुबह 10 बजे से पहले नोटिस देना होता है, आप बैठ जाइये। आप बहुत सीनिय मैम्बर हैं, आप बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल : अगर कोई सदस्य आपसे अनुरोध करता है तो आपको मौका देना चाहिए। आप पीठ की परम्परा देख लें कि अगर कोई मैम्बर अपने को एसोसिएट करना चाहता है तो उसे भी मौका देना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you are a very senior Member. There is no scope for discussion now. You have not given your notice before 10 a.m.

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेवती रमन जी, आप बोलिए। इनकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रोसीज़र फालो करना चाहिए। आपको प्रोसीजर के मुताबिक 10 बजे तक अपना नाम भेजना चाहिए था।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। रेवती रमन जी आप बोलिए। इनकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी अनुमति का स्कोप नहीं है। आप वरिष्ठ सांसद हैं, आप कृपया बैठ जाएं। आपने पहले नोटिस नहीं दिया, इसलिए आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को बांटने का कोई औचित्य नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हाउस में आर्डर रहना चाहिए। आप वरिष्ठ सांसद हैं, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहले ही बंटवारा हो चुका है। पहले लखनऊ बैंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में बन चुकी है। उत्तराखंड में भी एक हाई कोर्ट बन गया है। मान्यवर, एक लॉ कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट है कि अब बैंच नहीं बनना चाहिए, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश इस पर राजी न हो। इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी राय नहीं दी है।

सभापति महोदय : क्या यह अभी सब-ज्यूडिस है?

श्री रेवती रमन सिंह : जी हां।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप फिर बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेवती रमन जी, आज जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए। इंट्रोडक्शन स्टेज पर सिर्फ लेजिस्लेटिव कंपिटेंस इस हाउस की है या नहीं, आपको यह बोलना है।

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, मैं यही बात कह रहा हूं कि मोइली जी ने 12 मई को सदन में कहा था कि इसके लिए कमेटी बनी है। उस कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, तब तक इस विषय पर बहस नहीं होगी। आप मोइली जी, लॉ मिनिस्टर का बयान निकलवा कर देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बंटवारा होगा, तो फिर यह बहस होगी कि आगरा में हो या मेरठ में हो, ऐसे ही पूरे प्रदेश का बंटवारा ये लोग कर देंगे। आदित्य नाथ जी की पार्टी, भाजपा *...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं, यह बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलिए। किसी अन्य सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेवती रमन जी आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I have already said that there is no scope for discussion.

---

* Not recorded.

… (*Interruptions*)

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य में माननीय सदस्य योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गोरखपुर में बैंच स्थापित करने के लिए बोलने दिया है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने आपको नोटिस दिया है, मैं इसका प्रबल विरोध करता हूं और रेवती रमन सिंह, जो हमारी पार्टी के डिप्टी लीडर हैं, उन्होंने जो बात कही है, उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

यह बात सत्य है कि इसके पहले हाइकोर्ट की एक बैंच लखनऊ में स्थापित है। इसके बाद यू.पी का जो बंटवारा हुआ है, उत्तराखंड नया बना है, एक हाइकोर्ट वहां चला गया। उससे भी अगर देखा जाए और बाकी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाइकोर्ट के जो सम्मानित मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, अगर कमेटी की संस्तुति है तो बने, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। इसके पहले भी यह बिल आ चुका है, इसका विरोध हुआ है। माननीय कानून मंत्री मोइली साहब ने इसमें अपने निर्देश दिये हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको इंट्रोड्यूस न किया जाए। इस बिल का मैं विरोध करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इसमें मैं योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब यह इश्यू उठा, इसको सबसे पहले लॉ कमीशन ने डिसकस किया। लॉ कमीशन ने कहा कि जब हाईकोर्ट एक जगह होता है, उसकी गरिमा, उसकी पॉवर और उसका अधिकार बहुत गंभीर होता है और जनता को उस पर विश्वास होता है नहीं तो कल यह डिमांड आएगी कि हर डिस्ट्रिक्ट जज को हाईकोर्ट की पॉवर दे दो, हाईकोर्ट खत्म कर दो। उसके बाद इसमें पांच जज की एक फुल बैंच का निर्णय आया। उस जजमेंट में यह कहा गया कि हाइकोर्ट का डिवीजन नहीं होना चाहिए। लखनऊ में हाईकोर्ट बना। वह हिस्टॉरीकल रीजन से जब आजादी के पहले अवध अदालत थी, तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशनल बैंच ने इस पर जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन में सबसे पहले जो वहां के चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी राय मांगी जाए। That is condition precedent for this exercise. जब से मैं संसद में आया हूं। यह बिल पहले भी आ चुका है और केंसिल हो चुका है। यह कोई मदर डेयरी का बूथ नहीं है कि रूम हमारे सामने लगा दो, यह बस स्टैंड नहीं है।

अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि आखिर क्या इस समय डिस्टेंस फैक्टर होगा? यह किसलिए है?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मैरिट में मत जाइए। आप बोल चुके हैं। यह मामला कंपीटेंट नहीं है Because this is sub-judice. योगी आदित्यनाथ साहब आप संक्षेप में बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मैं केवल रूल्स ऑफ प्रोसीडियर एंड कंडक्ट ऑफ लोक सभा के नियम 72 (1) की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हूं।

> "72. (1) If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, brief statements from the Member who opposes the motion and the Member who moved the motion, may, without further debate, put the question:… "

अर्थात् इस पर डिबेट नहीं होगी, इसके मैरिट पर कोई डिसकशन नहीं होगा। अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उस बिल को क्यों न इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके क्या कारण है। अभी ये मैरिट को जो डिसकसन कर रहे हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जनहित में है, स्वाभाविक है कि जहां एक तरफ जस्टिस फॉर ऑल यानी सबको सस्ता और सुलभ न्याय हो तो इसलिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए। धन्यवाद।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): पहली बार इन्होंने अच्छी बात कही है।

16.00 hrs.

सभापति महोदय : आप ज्यादा लंबा मत बोलना। इंट्रोडक्शन बाद में होगा।

योगी आदित्यनाथ : मैं यहां ज्यादा के लिए तो आया ही नहीं था मैं इंट्रोड्यूज करने के लिए आया था। वे आपत्ति करते हैं तो मैं क्या करूं? मुझे सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य श्री रेवती रमण सिंह जी की इस बात पर आपत्ति है कि इतने सीनियर हैं कि इतनी हल्की बातें करेंगे और मैं इसकी उम्मीद नहीं करता था। खास तौर से उन जैसा व्यक्ति मेरा नाम भी सही ढंग से नहीं बोल पा रहा है। ...(व्यवधान) *

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): वे कितने सीनियर हैं, आप इसे याद रखिए।

योगी आदित्यनाथ : अगर सीनियरटी संसद की देखनी है तो मैं उनसे सीनियर हूं।...(व्यवधान)

बहस नहीं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बहस मत कीजिए।

* Not recorded.

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सोचने वाली बात को कार्यवाही से निकाला जाए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बात रिकॉर्ड में नहीं आएगी।

...(व्यवधान) *

योगी आदित्यनाथ : देश को सामाजिक न्याय के नाम पर जिन लोगों ने बेवकूफ बनाकर जातीय विखंडन में बांटा है, वे लोग देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

भापति महोदय : मेरिट के बारे में बोलिए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : मैं मेरिट पर आ रहा हूं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आपने भाषण दिया है और अब आप भाषण सुनिए। सभापति महोदय, अब ये तय करेंगे या आप तय करेंगे? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम तय करेंगे। आप संक्षेप में बोलिए। योगी जी, उनको ऑब्जेक्शन है, आप रिप्लाई देंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : महोदय, न्याय सरल और सुलभ हो, यह देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लॉ कमीशन ने भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। ...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह: कौन से लॉ कमीशन ने किया है? ...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : संसद की रिपोर्ट लाइब्रेरी में रखी है, वह पढ़ना फिर आना। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): लॉ कमीशन की 312 नं रिपोर्ट है। ...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : आप पढ़ना फिर बात करना। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Yogi *ji*, please address the Chair.

योगी आदित्यनाथ : मुझे बोलने दिया जाए। मेरी बात सुनी जाए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोलिए और खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

योगी आदित्यनाथ : आप मुझे बोलने तो दीजिए। वे बीच में टोक रहे हैं और आप रोक नहीं रहे है। हाउस को आर्डर में लेकर आइए, मैं अपनी बात बोलूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हाउस आर्डर में है, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not look at them; please address the Chair.

योगी आदित्यनाथ : पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर हाई कोर्ट की स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने की बात की जा रही है उनमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ हैं। इस तरह से 15-16 जिले हैं जिनकी आबादी तीन से पांच करोड़ है। इन्हें न्याय के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है, आने जाने के लिए दूरी 600 किलोमीटर है।

MR. CHAIRMAN: There is no scope for a debate.

… (*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ : जो उन्होंने कहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : क्या ये लोग तय करेंगे?

सभापति महोदय : बहुत सीनियर आदमी हैं, आप बैठिए। Let him complete.

योगी आदित्यनाथ : न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए आम व्यक्ति को न्याय सरलता और समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए न्यायपीठों की स्थापना होना आवश्यक है। मुझे लगता है कि संसद सर्वोच्च है और इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। विधायी शक्ति संसद में निहित है और संसद को तत्संबंधी विधेयक बनाने का अधिकार है। संसद को इसके लिए किसी के डायरेक्शन की आवश्यता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।

सभापति महोदय : इसलिए आप यह चाहते हैं?

योगी आदित्यनाथ : इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता को न्याय सरल और सुलभता के साथ उपलब्ध हो सके और लम्बित मामलों का निस्तारण हो सके। इसके लिए यहां यह निजी विधेयक लाया गया है।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent bench of the High Court at Allahabad at Gorakhpur."

The motion was adopted.

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Item 14, Kumari Saroj Pandey – not present.

Item 15, Kumari Saroj Pandey – not present.
Item 16, Shrimati Supriya Sule – not present.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, इस पर डिवीजन कराइये। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He has already introduced the Bill. It is over. आपको उसी वक्त डिवीजन मांगना चाहिए था।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम इससे सहमत नहीं हैं, इसके विरोध में हम वाक-आउट करते हैं।

16.06 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members left the House.

16.06 ¼ hrs.

(iv) COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL, 2010*
(Amendment of section 3)

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952."

The motion was adopted.

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI : I introduce the Bill.

16.6 ½ hrs.

(iv) SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) AMENDMENT BILL, 2010*
(Amendment of section 2)

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006."

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

The motion was adopted.

SHRI L. RAJAGOPAL : I introduce the Bill.

16.6¾ hrs.

(v) COMMISSION OF SATI (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2010*

(Amendment of section 2, etc.)

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987."

The motion was adopted.

SHRI L. RAJAGOPAL : I introduce the Bill.

16.07 hrs.

(vi) SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Amendment of section 14)

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

MR. CHAIRMAN: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002."

The motion was adopted.

SHRI P.T. THOMAS : I introduce the Bill.

16.07 ¼ hrs.

(vii) COW (PROTECTION) BILL, 2010*

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गौ और गौ-वंश के संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of cows and its progeny."

The motion was adopted.

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

16.07½ hrs.

(viii) AGRICULTURAL WORKERS WELFARE BILL, 2010*

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of agricultural workers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित ** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.
** Moved with the recommendation of the President.

16.08 hrs.

(ix) RAILWAYS (AMENDMENT) BILL, 2010*
(Insertion of new chapter XIIIA)

ी ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल अधियिनम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Railways Act, 1989."

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील : मैं विधेयक पुर:स्थापित भी करता हूं।

16.08½ hrs.

(x) COMMISSION FOR FIXATION OF PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES BILL, 2010*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हू कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए आयोग का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Commission to fix the prices of essential commodities and for matters connected therewith or incidental thereto. "

The motion was adopted.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित भी करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

16.09 hrs.

(xi) TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS, MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND UNIVERSITIES (REGULATION OF FEE) BILL, 2010*

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the regulation of fee in technical educational institutions, medical educational institutions and universities and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the regulation of fee in technical educational institutions, medical educational institutions and universities and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI P.T. THOMAS : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri D.V. Sadananda Gowda – Not present

16.09½ hrs.

(xii) POST-POLIO SYNDROME (EDUCATION, TRAINING AND AWARENESS) BILL, 2010*

SHRI BALKRISHNA KHANDERAO SHUKLA (VADODARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for education and training in and creating awareness about post-polio syndrome and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for education and training in and creating awareness about post-polio syndrome and for matters connected therewith."

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

The motion was adopted.

SHRI BALKRISHNA KHANDERAO SHUKLA : I introduce the Bill.

16.10 hrs.

(xiii) CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2010*
(Amendment of the schedule)

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. "

The motion was adopted.

SHRI P.T. THOMAS : I introduce the Bill.

16.10 ½ hrs.

(xiv) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2010*
(Insertion of new section 29AA)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951. "

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce the Bill.

16.11 hrs.

(xv) PROVISION OF SOCIAL SECURITY TO SENIOR CITIZENS BILL, 2010*

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for social security to senior citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for social security to senior citizens and for matters connected therewith or incidental thereto. "

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

16.12 hrs.

(xvi)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Amendment of article 19)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

16.13 hrs.

(xvii) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Amendment of section 304A, etc.)

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860. "

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

16.14 hrs.

(xviii) TREATMENT OF ATTEMPT TO SUICIDE AS A NON-PUNISHABLE OFFENCE BILL, 2010*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for not treating the attempt to commit suicide as a criminal offence and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for not treating the attempt to commit suicide as a criminal offence and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

16.15 hrs.

(xix) CLOSED TEXTILE MILLS WORKERS (WELFARE AND REHABILITATION) BILL, 2010*

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for welfare and rehabilitation of workers of closed textile mills and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for welfare and rehabilitation of workers of closed textile mills and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI : I introduce the Bill.

16.16 hrs.

(xx) BANANA GROWERS (PROTECTION AND WELFARE) BILL, 2010*

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केला उत्पादकों का संरक्षण और कल्याण, उन्हें लाभकारी मूल्य का संदाय तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection and welfare of banana growers, payment of remunerative price to them and for matters connected therewith or incidental thereto. "

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

16.17 hrs.

(xxi) NATIONAL FLOOD CONTROL AND REHABILITATION AUTHORITY BILL, 2010*

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाढ़ को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उपाय सुझाने, बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने हेतु एक राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण एवं पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a National Flood Control and Rehabilitation Authority to suggest measures to prevent and control floods, provide relief to people affected by floods and for matters connected therewith. "

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.18 hrs.

(xxii) COFFEE GROWERS WELFARE BILL, 2010*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare and protection of interests of coffee growers.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare and protection of interests of coffee growers."

The motion was adopted.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item No. 38 – Shri Hansraj Gangaram Ahir – Not present.
Item No. 39 – Shri Hansraj Gangaram Ahir – Not present.
Item No. 40 – Shri Hansraj Gangaram Ahir – Not present.
Item No. 41 – Shri Hansraj Gangaram Ahir – Not present.
Item No. 42 – Shri P.L. Punia – Not present.
Item No. 43 – Shri P.L. Punia – Not present.
Item No. 44 – Shri P.L. Punia – Not present.

16.19 hrs.

(xxiii) ERADICATION OF UNEMPLOYMENT AMONGST THE YOUTH BELONGING TO THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES BILL, 2010*

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I to move for leave to introduce a Bill to provide for the eradication of unemployment amongst youth belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes by ensuring right to gainful employment and payment of unemployment allowance to the unemployed amongst them and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the eradication of unemployment amongst youth belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes by ensuring right to gainful employment and payment of unemployment allowance to the unemployed amongst them and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

16.20 hrs.

(xxiv) CONSTITUTION (AMENDMENT BILL, 2010*
(Insertion of new Part IIIA, etc.)

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI MANISH TEWARI : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item No. 47, Kumari Saroj Pandey : Not present;
Item No. 48, Shri P.L. Punia : Not present.

16.21 hrs.

(xxv)FOOD SAFETY AND STANDARDS (AMENDMENT BILL, 2011*
(Insertion of New Section 19A)

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006. "

The motion was adopted.

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

16.21½ hrs.

(xxvi) PROHIBITION ON RELIGIOUS CONVERSION BILL, 2011*

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI):Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prohibition on religious conversions by inducement or by force and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition on religious conversions by inducement or by force and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : I introduce the Bill.

16.22 hrs.

(xxvii) PUBLIC EMPLOYMENT (RECRUITMENT) BILL, 2011*

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation of recruitment in public employment and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation of recruitment in public employment and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridinary, Part-II, Section-2, dated 25.02.11.

16.23 hrs.

CHILD WELFARE BILL, 2009 -- Contd

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No. 52 – Child Welfare Bill, 2009, further consideration of the motion moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury. Shri Gorakhnath Pandey: Not present

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I express my thanks to you for allowing me to speak in the Private Members Business on the Child Welfare Bill.

I appreciate Shri Adhir Ranjan Chowdhury for having raised certain vital points through this Bill which focus on the welfare of the children. Let me share few points with the hon. Members. India accounts for the second largest number as far as the child labour is concerned. According to a Report of the International Labour Organization, about 80 per cent of child labourers in India are employed in the agriculture sector and that 4,20,000 children are engaged in the carpet industry.

Even according to the Government's estimates, 12.6 million children under the age of 14 are at work in various occupations. The more pathetic aspect of the story is that two million children work in what we call 'hazardous industries'. What all this means? We have failed totally. Even the Government does not pay as much focus and attention on it as required. ICDS is also there but they leave the children untouched. Almost 51 per cent of the children under five are underweight for their age. This is one-third of the global stunted children. Four lakhs new born are dying every year within the first 24 hours of birth. Even compared to Bangladesh and Sri Lanka, our achievement in child mortality is poor. Should we not feel guilty at our total dismal performance on child front?

Is the Centre satisfied with spending less than five per cent of annual Budget on children? In Chennai city alone, more than 21,000 children in the age group of 8-15 are working as maids, and still worst is that 50 per cent of them are subject to corporal punishment. Is working as domestic help at the young age not a curse or fate?

Our hon. Speaker, during the Inaugural Meeting of the Parliamentary Forum on Children said:

> "Children of today could not evolve into responsible citizens of tomorrow unless an environment conducive to their physical, mental and emotional growth was assured to them."

I would like to request the Government to address child labour with all seriousness it deserves. Treat every child labour as an issue and approach the problem in a comprehensive manner. I suggest to the Government to put in place a comprehensive rehabilitation policy for children. Along with setting up Juvenile Homes in each district as suggested in the Private Member's Bill, let the Governments, both Centre and State, set up District Rehabilitation Centres and provide vocational training to street children and abandoned children so to make them self-employed.

I urge the Government to be more sensitive towards the needs of these hapless children. I appeal to the Government to bring in a comprehensive legislation incorporating what is said in the Bill, what I said and what other Members are going to say.

I thank you, Mr. Chairman for having given this opportunity.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री अधीर रंजन चौधरी का जो वैलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में प्राइवेट मैम्बर्स बिल है, उस पर बोलने का अवसर दिया-धन्यवाद।

बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनकी जो क्रियान्विति नहीं होने से अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि भारत में भूख से भी बच्चे मर रहे हैं और बच्चों में जो कुपोषण है, वह भी काफी मात्रा में है, अंडर वेट भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि इसमें एक होलिएस्टिक एप्रोच अपनाई जानी चाहिए।

बहुत से महकमे बच्चों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कल्याण हो नहीं पाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि जो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति देता है,

उसमें इफ और बट लगा देता है। अगर वह बच्चा विकलांग है, उसका विकलांग का सर्टिफिकेट है, तो इसमें इफ और बट की क्या जरूरत है? जो बच्चों की कल्याणकारी योजनायें हैं, उसमें किंतु-परंतु हटने चाहिए, नहीं तो योजनायें बच्चों तक पहुंच नहीं पाएंगी।

महोदय, राइट टू एजुकेशन का जिक्र आया, छः से चौदह साल तक के बच्चों को अधिकार दिया गया कि आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने सीटीएस, चाइल्ड ट्रैकिंग एक सर्वे कराया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम सरकार को बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में आ रही है। मेरे स्टेट में देखिए, मैं राजस्थान से आता हूं, मेरे क्षेत्र बीकानेर जिले में सीटीएस सर्वे हुआ। वहां हजारों की संख्या है, स्टेट में लाखों में संख्या हैं, मेरे ख्याल में जब संख्या का सर्वे होगा, तो यह संख्या करोड़ो में जाएगी, ये वे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, मेरा कहना है कि केवल सर्वे कराने से पार नहीं पड़ेगा, केवल राइट टू एजुकेशन देने से पार नहीं पड़ेगा। इससे क्या वह बच्चा स्कूल जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा? वह बच्चा झुग्गी-झोपड़ी में रहता है, घरों में बाल मजदूरी करता है और होटल और रेस्टोरेंट में भी मजदूरी करता है, तो कैसे वह स्कूल जाएगा? यह एक चिंता का विषय है कि बच्चों के कल्याण की योजनाएं बनाने के लिए एक होलस्टिक एप्रोच की जरूरत है। बच्चों के लिए एक नीति बनाने की जरूरत है।

महोदय, किशोर न्यायालय जो इस देश में बच्चों के कल्याण के लिए चल रहे हैं, मैं उनकी भी बात करना चाहता हूं। बाल संरक्षण अधिनियम बना हुआ है। अभी भी ऐसी रिपोर्ट है कि देश में किशोर न्यायालय नहीं खुल पाए हैं। अभी भी 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे किसी कारणवश अपराध कर बैठते हैं, वे सामान्य जेल में ही रहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी जगह किशोर न्यायालय खुलने चाहिए।

महोदय, लेबर लॉज की बात भी आयी। शिवकाशी में पटाखे की फैक्ट्रीज हैं, वहां बच्चे काम करते हैं। हालांकि उनका जो उत्पादन है, उनका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन वह बच्चा मजबूर है, उसको रोटी चाहिए। इसलिए वह शिवकाशी की फैक्ट्री में भी काम करेगा, कारपेट की फैक्ट्री में भी काम करेगा, डॉयमंड ज्वैलरी की फैक्ट्री में भी काम करेगा, होटल और रेस्टोरेंट में भी काम करेगा, प्रिंटिंग सेक्टर वाली टेक्सटाइल मिल में भी काम करेगा, माइनिंग सेक्टर में भी काम करेगा, क्योंकि उसको रोटी चाहिए। यह कहना कि वह वहां पर काम करेगा, तो बाल अपराध या कानून लागू होगा, लेकिन उसको रोटी कहां से मिलेगी? इसलिए इस पर भी चिंता करने की जरूरत है, इसके लिए होलस्टिक एप्रोच की जरूरत है। मान्यवर, घरों में मजदूरी की बात आती है, इस संबंध में सर्वे हुआ। बड़े-बड़े अधिकारियों, नेताओं और जजों के यहां बाल मजदूर काम करते हैं। लोग कहते हैं कि बाल मजदूर कहां हैं? किसी के घर चले जाओ, ढूंढ लो तो बाल मजदूर मिल जाएंगे। बाल मजदूर को जब आप आइडेंटीफाई करके होलस्टिक एप्रोच में नहीं लायेंगे, तब तक उनका कल्याण नहीं होने वाला है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडर वेट बच्चों की जांच होती है। इनका एक प्रोग्राम चलता है कि स्कूलों में अंडर वेट स्वास्थ्य की साल में एक बार जांच करो, लेकिन उसमें औपचारिकतायें ज्यादा हैं। उसमें नर्स को कहा जाता है, वह भी नहीं जाती है, डाक्टर को कहा जाता है, तो वे भी नहीं जाते हैं। पटवारी और ग्राम सेवकों के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि आप देख लीजिए, बच्चा अंडर वेट है या नहीं। अगर ऐसे ही योजनायें चलेंगी, तो काम चलने वाला नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में कहना चाहता हूं कि बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र अब तक किराये के भवन में चल रहे हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को कम से कम कुछ बजट देकर उनका खुद का भवन तो बना दीजिए, जिससे वे पेड़ लगा सकें। जो महिलायें और बच्चे वहां बैठते हैं, वे सही वातावरण में सुरक्षित रह सके अन्यथा मकान मालिक और आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच झगड़ा ही चलता रहता है। जो न्यूट्रीटिव फूड आता है, उसमें भी चोरी होने की घटनायें होती रहती हैं।

मान्यवर, बाल विवाह के संबंध में जब से शारदा एक्ट बना था, तब से लेकर बाल विवाह की बात हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। यह बड़े दुख की बात है कि बाल विवाह इस देश में होते हैं और कई नेता भी उसमें शरीक होते हैं। बाल विवाह अधिनियम बना हुआ है, लेकिन उन नेताओं को तो पता नहीं चलता कि यह बच्चा 18 साल का है या 21 साल का है, वह चले जाते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि बाल विवाह अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा, जब तक इसके संबंध में जागृति अभियान नहीं चलाया जाएगा।

लोगों को अपने को जागृत करना पड़ेगा, अवेयरनैस कैम्पेन करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि यह एज ठीक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उसने नेताओं पर एक तलख टिप्पणी की है। मैं आपके माध्यम से सब नेताओं से अनुरोध करता हूं कि जब उनके पास शादी का कार्ड आए तो वे देखें कि कहीं बाल विवाह में तो शरीक नहीं हो रहे हैं। हमें इस बारे में प्रयास करना चाहिए।

जब दंगे होते हैं तो उनमें भी बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हरियाणा में मिर्चपुर की घटना हुई, राजस्थान के अलवर में हुसेपुर की घटना हुई जिसमें एससी, एसटी के लोगों के साथ एट्रॉसिटी की गई। एट्रॉसिटी कहीं भी हो, उसमें बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चे महीनों तक स्कूल नहीं जा पाते। होल्सिटिक एप्रोच में इन बातों को भी देखने की जरूरत है।

मिड डे मील में कई ऐसी घटनाएं ध्यान में आई हैं कि हैबिट के अनुसार खाना नहीं दिया जाता। कहीं-कहीं ऐसा सुनने में आता है कि मिड डे मील में भी छुआछूत हो रही है। अगर कोई अनुसूचित जाति की महिला खाना बनाने आ गई तो गांव के दूसरे बच्चों ने उसका बॉयकाट कर दिया कि हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो, इसलिए सख्ती से कानून की पालना होनी चाहिए या उस स्कूल को मिड डे मील देना बंद कर देना चाहिए या ग्राम पंचायत, जिसने ऐसा करने का साहस किया, उसे सब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

स्कॉलरशिप की बात आई। अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। यह कैसा सिस्टम है कि यहां से स्कॉलरशिप जाती है, फिर स्कूल, कालेज में जाती है। बच्चा देखता रहता है कि मेरी स्कॉलरशिप कब मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे का खाता क्यों नहीं खुलवा दिया जाता। उसे यहीं से क्यों नहीं भेजा जाता। एक कॉपी लगाकर कालेज के प्रबंधन को दे दी जाए कि हमने छात्रवृति भेज दी है, आप इसे वैरीफाई कर लीजिए। जब इंदिरा आवास का पैसा डायरैक्ट ग्राम पंचायत में जा सकता है तो बच्चों की स्कॉलरशिप क्यों नहीं जा सकती। इसमें संशोधन करके सुधार किया जाना चाहिए।

मैं मेडिकल और हैल्थ की बात कहना चाहता हूं। बच्चों के डाक्टर कम हैं। इस देश में पिडिएट्रिक्स और गाइनीकॉलाजिस्ट्स कम हैं। अगर आप बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं तो होल्सिटिक व्यू लेकर इस बारे में कार्य करना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बीपीएल लिस्ट जिसके तहत पीडीएस में अनाज मिलता है, वह भी सही नहीं होने से कमजोर बच्चा उससे वंचित रह जाता है। इसलिए बीपीएल लिस्ट में भी जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए।

मैं इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तावित प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि विभाग द्वारा चाइल्ड वेल्फेयर के कार्यक्रम में 6 साल से 18 साल तक के बच्चों की बात है, जबकि अधीर रंजन जी ने 15 साल तक के बच्चों को चाइल्ड वेल्फेयर में रखने की बात कही है। इस बिल की परिधि 18 साल है। यह बिल पहले वर्ष 2000 में बना और वर्ष 2006 में इसमें अमैंडमैंट भी हुआ। आप केन्द्र से कई स्कीम्स चला रहे हैं, जैसे बाल कल्याण विधेयक, 2009 है। कुपोषण या गर्भवती महिलाओं के लिए भी भारत सरकार की कई स्कीम्स चल रही हैं। लेकिन आज उन स्कीम्स का राज्य स्तर पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है। मंत्री जी इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि आज विभिन्न राज्यों में समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत आईसीडीएस की जो स्कीम चल रही है, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी बहनों, सहायिकाओं की नियुक्ति की गई है, वह इसलिए नहीं कि 13 लाख 67 हजार आंगनवाड़ी के पद स्वीकृत हैं और 11 लाख 95 हजार आंगनवाड़ी की सहायिकाएं उनमें नियुक्त हो गईं।

आज हमारी आंगनवाड़ी की सहायिकाएं, जिन पर यह उत्तरदायित्व था कि चाइल्ड वेल्फेयर के लिए भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही स्कीम्स, जिन्हें राज्य सरकार को लागू करने का दायित्व है और जिसके लिए आप फंडिंग कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों के साथ-साथ तमाम राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। आप जानते हैं कि पूरे देश में पल्स पोलिया का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हम इस देश से पोलिया को समाप्त कर सकें, उन्मूलन कर सकें। पोलिया अभियान के तहत जिस दिन पोलिया की ड्रॉप्स पिलानी होती हैं, उस दिन तमाम आंगनवाड़ी बहनें उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को मूर्तरूप से पूरा करने का काम करती हैं। इसी तरह से जनगणना है। वह भी राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। जो भी राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उन्हें आंगनवाड़ी बहनें चाइल्ड वेल्फेयर के दायित्व के साथ-साथ पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आंगनवाड़ी महिलाओं को जितना मानदेय मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता। आज तमाम राज्यों में भिन्नता है। अगर दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 3500, 4000 या 4500 रुपये मिल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2000 या 2500 रुपये मिल रहे हैं। आज इनफ्लेशन के दौर में तमाम पढ़ी-लिखी महिलाएं घर से निकलकर आंगनवाड़ी केन्द्रों में चाइल्ड वेल्फेयर और राष्ट्रीय महत्व के काम कर रही हैं।

माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं कि इस फंड को भारत सरकार आईसीडीएस लागू करने के लिए दे रही है। इस बारे में कम से कम सभी राज्यों में एकरुपता हो। जो बहनें उत्तर प्रदेश में काम कर रही हों, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, बंगाल या चेन्नई में काम कर रही हों, उन सारी बहनों को जो भी मानदेय मिल रहा है, उसमें निश्चित तौर से एकरुपता होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा दी गयी देन है। पहले गांवों में अशिक्षा और जागरूकता न होने के कारण गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ती थी। चाइल्ड बर्थ रेट ज्यादा थी। मातृत्व के समय गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। उस पीड़ा को देखकर इस कार्यक्रम को चलाया गया ताकि मातृत्व मृत्यु दर कम हो सके या बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस नाते इस कार्यक्रम को चलाया गया है, जिसका फायदा भी मिला है।

मैं आज कह सकता हूं कि मातृत्व दर कम हुई है और उसमें यह संख्या बढ़ी है। इसी तरह भारत सरकार ने नैशनल रूरल हैल्थ मिशन में भी काफी पैसा दिया है। मैं समझता हूं कि लगभग 53 हजार करोड़ रुपये नैशनल रूरल हैल्थ मिशन में पूरे भारत को दिये हैं। 4000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को मिले हैं। आज उस नैशनल रूरल हैल्थ मिशन में बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमैंट, दवाओं या टॉनिक आदि चीजों के लिए पैसे दिये जाते हैं। उस पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसकी पीड़ा भी हम लोगों ने इस सदन में व्यक्त की है। इस बात को खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर आज नैशनल रूरल हैल्थ मिशन के पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। वहां बड़े पैमाने पर उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। केवल सामान खरीदने में पैसा खर्च किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से उसे अलग करके दूसरे विभाग को दे दिया गया। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को ...(व्यवधान)

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): इसमें उत्तर प्रदेश का मामला कहां से आ गया है?...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : उसमें अन्य राज्यों की भी बात है। अभी अनुरागी जी बतायेंगे कि वहां क्या स्थिति है? मैं उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि अन्य राज्यों में भी नहीं है। यह ठीक कह रहे हैं। बच्चों के कल्याण के लिए, चाइल्ड वेल्फेयर के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल अधीर रंजन जी ने उठाया है। जो स्कीम्स आज भारत सरकार द्वारा चल रही हैं, चाहे वह ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमैंट से हो, आज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमैंट से सभी प्राइमरी स्कूलों या बेसिक शिक्षा के स्कूलों में मिड-डे-मील योजना लागू की गयी जिसका अभी मेघवाल जी भी जिक्र कर रहे थे।

भारत सरकार उसके लिए पूरे देश में पैसा दे रही है, फंडिंग्स कर रही है। इसके तहत बच्चे स्कूल जा रहे हैं।

मैं यह बधाई देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस स्कीम से ड्रॉप-आउट कम हुआ है और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, मिड डे मील योजना ने उनको प्रोत्साहन दिया है। जिन गरीब बच्चों के घरों में भोजन का अभाव होता था, वे अब स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ ही उनको मिड डे मील भी मिल रहा है। लेकिन हमारे यहां मिड डे मील योजना जिस तरीके से कोलैप्स हो रही है, उसके लिए यहां से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन विद्यालयों में जिस तरह से मिड डे मील बनना चाहिए और बच्चों को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। कई विद्यालयों में मिड डे मील बंद हो चुका है जिसकी शिकायत हम शासन और प्रशासन से कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सभी के निर्वाचन क्षेत्रों में आज मिड डे मील की महत्वाकांक्षी योजना जिसका उद्देश्य यह था बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, छात्रों की संख्या बढ़ेगी और उनके लिए एक सुनिश्चित गारन्टी होगी कि शिक्षा के साथ-साथ भोजन भी विद्यालय में उपलब्ध होगा, अगर मिड डे मील के लिए हम फण्डिंग करें और उसको राज्य सरकार ठीक से लागू न कर सके, तो निश्चित रूप से बच्चों की संख्या भी कम होगी। इसलिए अधीर रंजन जी का और सदन का चिन्तित होना स्वाभाविक है कि आखिर हमने चाइल्ड वेलफेयर के लिए इतनी स्कीम्स बनाई हैं, उन स्कीम्स के अंतर्गत किस तरीके से काम होगा।

इसी तरह से हम तमाम स्कीम्स चला रहे है, चाहे पेयजल हो, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान हो, वह भी बच्चों एवं जनजीवन के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से तमाम ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, जो बच्चों के हेल्थ, एजुकेशन, उनके ओवरआल डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए चल रही हैं, आप अपने उत्तर भाषण में उन स्कीम्स की स्थिति के बारे में भी बताएं। दो नई स्कीम्स शुरू हुई है। पहली स्कीम है - राजीव गांधी किशोरी सश्क्तीकरण स्कीम, जो देश के 200 जिलों में शुरू की गयी है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। दूसरी स्कीम है - इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो सशक्त मातृत्व लाभ स्कीम है। जो गर्भवती महिलाएं काम पर नहीं जा सकती हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। इस स्कीम को 52 जिलों में शुरू किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इससे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, पुष्टाहार के लिए 4000 रुपया नकद भी दिया जाता है। लेकिन चिन्ता वही होती है कि आज यह स्कीम हम लागू कर रहे हैं, इसके लिए भारत सरकार पैसे भी दे देगी, लेकिन क्या यह पैसा सुदूर खेत-खलिहान में बैठी हुई दलित, बैकवर्ड या किसी गरीब या गरीबी रेखा नीचे रहने वाली उस महिला जो गर्भवती है, जिसको यह पैसा मिलना चाहिए, उसे मिलता है? आज स्थिति यह है कि इस स्कीम का पैसा लाभार्थी को लेने के लिए बीच में बिचौलिए, हमारे कर्मचारियों या पैसा देने

वाले लोगों द्वारा कमीशन लिया जाता है अथवा लाभार्थियों को दौड़ाया जा है, ऐसी दिक्कतें एवं दुश्वारियां आ रही हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर सकते हैं कि इस तरह की स्कीम्स का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जाए। जिस गर्भवती महिला को यह पैसा देना है, हम उनको किसी के माध्यम से देने के बजाय सीधे उनके खाते में वह पैसा डाल दिया जाए, तो उनको इसका लाभ निश्चित तौर से मिलेगा। जो जननी सुरक्षा योजना है, उसका लाभ हुआ है। हमारी ग्रामीण महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि कितना आयोडीन होना चाहिए, आज तमाम लोगों को आयोडीन और आयरन आदि की कमी से ज्वाइंडिश आदि बीमारियां हो जाती हैं। आज जननी सुरक्षा योजना में हम जो पैसा दे रहे हैं कि किसी भी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर डिलवरी के लिए पीएचसी तक पहुंचाने के लिए 800 रुपये की भारत सरकार की व्यवस्था है।

आज उसमें भी अपनी तरफ से उन महिलाओं को लेकर जाती हैं, पीएचसी में भर्ती कराती हैं, उनकी डिलीवरी कराती हैं, फिर उन्हें घर पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन जो पैसा भारत सरकार द्वारा उनके लिए निर्धारित है, उससे उन आशा बहुओं का गुजारा नहीं हो पाता और वह भी उन्हें नहीं मिलता है। हमारे राज्य में आए-दिन जनपदों में इस बात को लेकर आशा बहुओं में काफी रोष व्याप्त होता है। उन्हें इस काम के लिए 200 रुपए और उस गर्भवती महिला को 600 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये पैसे भी उन्हें पूरे नहीं मिलते हैं। जो पीएचसी में काम करने वाले लोग हैं, जो इसे डील करते हैं, वे अपना कमीशन मांगते हैं। मंत्री जी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

देश में जननी सुरक्षा योजना और बाल सुधार कार्यक्रम में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को और ध्यान देना चाहिए। किसी भी देश की पूंजी उस देश की युवा पीढ़ी होती है और देश के बच्चों के जेनरेशन से उस देश की ताकत मालूम होती है। आज किसी देश की ताकत का पैमाना वहां की जमीन या गगनचुम्बी इमारतों से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि युवा पीढ़ी और स्वस्थ बच्चों के पैमाने से लगाया जाता है। आज हम इसी चाइल्ड वैलफेयर पर चर्चा कर रहे हैं और बच्चों को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर हम एक बच्चे को भी स्वस्थ और शिक्षित बनाते हैं तो आगे चलकर वह एक जिम्मेदार नागरिक बनने की राह पर अग्रसर होगा।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted to this Bill is over. I have another two or three Members to speak on this Bill. Other Members are also waiting for their Bills to be taken into consideration.

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): ऐसा करें कि इस बिल को पूरा कर दिया जाए और नया बिल शुरू हो जाए।

MR. CHAIRMAN: That is my intention. If the House agrees, we may extend the time till the completion of this Bill and for taking up the next Bill.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस योजना के शुरू होने से जहां 1990 में चाइल्ड डैथ रेशो 1000 पर 80 था वह 2008 में 58 तक आ गया है। निश्चित रूप से इस स्कीम का और भी फायदा हो सकता है। इसी तरह मातृत्व में आप देखें कि 1990 में जहां 1000 पर 109 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, वह 2008 में घटकर 69 रह गई है।

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें। ये बातें तो मंत्री जी अपने जवाब में कह देंगी।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं अंतिम बात और कहना चाहता हूं। मैं केवल यह कहूंगा कि आज भी हमारे देश में बाल मजूदरी हो रही है, इस पर भी सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। आज आप होटल्स में या ढाबों में चले जाएं, वहां देखें कि किस तरह बच्चों का शोषण होता है। एक तरफ हम कहते हैं कि बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, उसके खिलाफ कानून भी बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ व्यावहारिक रूप में देखें तो जहां बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, वहां उनके हाथों में झाड़ू, फावड़ा होता है। मनरेगा में 18 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना निषेध है, लेकिन वहां भी उनसे काम लिया जाता है। वे मजबूरी में अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण ऐसा करते हैं। बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी पर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है।

माननीय सदस्य ने जो यह बिल पेश किया है, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इस सम्बन्ध में जो एक्ट है, वह 2008 में संशोधित हुआ था, अगर राज्य सरकारें उसका ठीक से पालन करें तो अधीर रंजन जी को इस तरह का बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति जी, चौधरी जी ने सदन में एक अच्छा संज्ञान लाने का काम किया है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसी भगवान के रूप को देश की आजादी के 63 साल बाद हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि क्या हालत है। हम गांव में किसी की बारात में जाते हैं। वहां भोजन पंडाल के पीछे बगल में बनाया जाता है। इसी देश का एक छोटा बच्चा जूठी पूड़ी खाने के लिए आपको इधर से उधर और उधर से इधर भागता हुआ मिल जाएगा। इसी तरह जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो हम दस रुपए में पूड़ी की प्लेट लेते हैं। कुछ पूड़ियां खाने के बाद अगर एकाध पूड़ी हम छोड़ देते हैं तो वही भगवान का रूप यानि छोटा बच्चा उसे उठाकर खाते हुए आपको मिल जाएगा।

अब तो यहां तक स्थिति आ गयी है कि कई जगह भीख मंगवाने वाले गिरोह के लोग, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक में, 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को दिन भर की मजदूरी पर ले रहे हैं। जितना छोटा बच्चा होगा, उतनी ही भीख मिल जाएगी, ऐसा भीख मांगने वाले कर रहे हैं। बाल कल्याण की तरफ अगर हम सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि हम बिल्कुल बढ़े नहीं हैं। अगर हम वर्गीकरण करें तो अवसर प्राप्त बच्चों की स्थिति देख लीजिए। जो गरीब चिन्हित हो गये हैं उन बच्चों को भी थोड़ी आशा बढ़ी है, कुछ बच्चे बीपीएल ही सही लेकिन चिन्हित होकर मिड-डे मील तक पहुंच गये हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो आज तक चिन्हित नहीं हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे हैं जो ईंट-भट्टे पर काम करते हैं, जो चार बजे भोर में उठकर अपने माता-पिता के साथ ईंटों को पाथते हैं, ऐसे बच्चे हैं, जो रेलवे स्टेशन के किनारे रहते हैं और कबाड़ बीनते हैं, उनको आपने चिन्हित नहीं किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश में बहुत से ऐसे माता-पिता हैं जो अस्थाई मजदूरी करने जाते हैं, 6 महीने कहीं मजदूरी करते हैं, 6 महीने दूसरी जगह मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों के लिए अस्थाई स्कूल तो हैं नहीं जो वे वहां पढ़ें। हमने उन बच्चों के कल्याण के लिए क्या योजना बनाई है? भारत में सचल शौचालय तो मिल जाता है लेकिन सचल विद्यालय इस देश में नहीं मिलता है। अगर सचल विद्यालय होता तो निश्चित तौर पर जो अस्थाई मजदूर हैं, उनके बच्चे पढ़ते। जिनकी 6 महीने की नौकरी कहीं, 6 महीने परिवार सहित कहीं, कहीं पर वे बरसाती टांग कर रह रहे हैं, कभी इस सड़क को बना रहे हैं, कभी उस सड़क को बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, उनके बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं उन्हें कौन देख रहा है?

अगर हमने बच्चों को चिन्हित किया होता तो सभापति महोदय, निश्चित तौर पर भारत में सामाजिक परिवर्तन होता। लेकिन अगर मैं असंसदीय शब्द नहीं कह रहा हूं तो यह जरूर कहूंगा कि हमारे देश में अवसर प्राप्त लोग मंदिर में, मस्जिद में, गुरद्वारे में, चर्च में, लाखों रुपये का दान एक घंटे के अंदर दे

देते हैं। लेकिन इस देश में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिली कि एक गांव का आदमी या एक उद्योगपति या एक अवसर प्राप्त आदमी कम से कम अपने यहां बर्तन मंजवाने वाले बच्चे का भी पढ़ा-लिखा कर कल्याण कर दे, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। अगर इस देश के अवसर प्राप्त लोग अगर एक-एक गरीब बच्चे का शिक्षा, स्वास्थ्य और बेकारी का ध्यान रखते तो मैं समझता कि बहुत पुण्य होता। भगवान चाहे जिस धर्म के हों, वे भी उसका आदर करते कि हमारे देश के एक बच्चे का कल्याण इसने किया है। इसीलिए अगर हम बच्चों के कल्याण की बात करते हैं तो बच्चों के कल्याण के लिए सबसे पहले एक जो उनके माता-पिता की सबसे बड़ी मजबूरी है, और उनकी क्या मजबूरी है कि बच्चा अगर पैदा हो गया, तो 2 साल, 4 साल का होने के बाद ही उसे वह बकरी का पगहा पकड़ाता है, या बकरी का बच्चा पकड़ाता है। उसके पीछे उसका आशय क्या है कि अगर यह बच्चा किसी होटल में जाएगा और 20 रुपया भी कमाएगा, तो मेरा जीवकोपार्जन हो जाएगा। इसलिए माता-पिता बच्चे के भविष्य को लेकर नहीं बल्कि तुरंत चाहते हैं कि उससे कुछ आय होने लगे। बच्चों के कल्याण की बात हम करते हैं और बच्चों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम करती हैं। लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के काम भी बहुत प्रगतिशील नजर नहीं आते । बच्चों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं भी हमने बनाई हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं नहीं बनाई हैं।

17.00 hrs.

माननीय पाल साहब ने भी कहा है कि आंगनवाड़ी में बच्चों को जो स्वादिष्ट भोजन देने का काम किया है, उसके बारे में कई बार अखबारों में छपा है तथा देखने को भी मिला है कि छोटे बच्चों का भोजन देश की गाय और भैंस दूध देने के लिए खा रही हैं। वह खाना देश के बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसके जो भी कारण हों, मैं उनकी बात नहीं कहना चाहता हूं। बच्चों के कल्याण के लिए निश्चित तौर पर बाल कल्याण संस्थाएं जिम्मेदार हैं। बाल सुधार गृहों में अगर जा कर देखा जाए, तो अनाथ बच्चे, गरीब के बच्चे, समाज के अंतिम आदमी के बच्चे का वे क्या कल्याण करते हैं, देखने को मिल जाएगा। इन बच्चों का वहां शोषण भी होता है। ये बच्चे इस कदर शोषण के शिकार होते हैं, जिसकी कोई हद नहीं होती है। सिलाई किए कपड़ों को एक्सपोर्ट करने वाले जो कारखाने हैं, सारी मशीनों पर आठ-दस वर्ष के बच्चे कपड़ा बना रहे हैं। अगर बच्चों को चोट लग जाए, बीमारी हो जाए तो रात दिन सेवा करने वाले उस बच्चे को मालिक मार कर खदेड़ देता है, बल्कि उसकी मजदूरी भी मार लेता है। हमने कानून बनाए हैं कि जो बच्चों को काम पर रखेगा, उसे दंडित किया जाएगा। देश में लाखों लोग इस काम में लगे हैं कि अगर एक भी बच्चे से बाल मजदूरी कराई जा रही होगी, तो हम उसे दंडित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसी एजेंसियों की जांच की गई, जिन्होंने यह जिम्मा सम्भाला था कि बच्चों का शोषण नहीं होगा?

मुझे ऐसी संस्थाओं का काम कहीं नज़र नहीं आता है। ये लोग काम कराने वाले मालिक के घर जाते हैं, उनसे तालमेल कर लेते हैं, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे होटल हो या छोटे उद्योग हों, जहां बाल मजदूर हैं, वहां सीधे इन्सपेक्टर जाते हैं और मिलिभगत करके मालिक से समझौता कर लेते हैं।

मैं अंत में कहूंगा कि बच्चों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनें, उससे बच्चे कैसे लाभान्वित हों, यह महत्वपूर्ण बात है। इन बच्चों को शोषण से बचाने वाली जो एजेंसियां हैं, उनकी मानिटरिंग करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने इतने दिनों में क्या-क्या काम किए हैं और क्या परिणाम दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलन का मौका दिया।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, आपने मुझे बाल कल्याण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं श्री अधीर रंजन जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत अच्छा विधेयक ले कर आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं।

महोदय, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। कल का भारत इन्हीं बच्चों पर निर्भर है। मैं खेद के साथ सदन को बताना चाहता हूं कि आज गरीबी के कारण कई परिवारों के बच्चों को पढ़ाई छोड़ कर काम करना पड़ता है, जबकि उनके हाथों में किताब होनी चाहिए। बच्चों के हाथों में किताबों की जगह औजार होते हैं, चाय की केतली होती है, चाय के कप होते हैं एवं कई खतरनाक कामों को उनके द्वारा कराया जाता है। उनके काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। बाल श्रम को रोकने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर होती है, वे अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। आज तक बाल श्रमिक को रोकने वाले किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है जबकि 14 साल के बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है। भारत में बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सरकार चिंता नहीं करती है क्योंकि यह बच्चे गरीब के बच्चे हैं एवं पूरी तरह से उपेक्षित हैं। बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे भारत में नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए आयोग काम कर रहे हैं और कई बाल श्रमिक को रोकने के कानून लागू हैं परंतु उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। सर्कस में बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि सरकार ने कानून एवं योजनाएं तो बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए बनाई है परंतु उन पर ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है।

अभी हाल ही में दिल्ली में कॉमनवैल्थ गेम्स की तैयारी में कई बालकों को बाल श्रम करते हुए देखा गया है। उनसे रात दिन काम करवाया गया है और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। मजदूरी भी दी या नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है एवं श्रम विभाग भी सोया हुआ था। इसके लिए बाल अधिकार सुरक्षा के दिल्ली आयोग ने कॉमनवैल्थ गेम्स के आयोजकों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। बाल श्रमिकों के माध्यम से निर्मित वस्तुओं को अमेरिका एवं यूरोप के देशों ने भारत से कई वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के अधिकतर देश बालकों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं परंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। यहां पर संवेदनशीलता के स्थान पर कठोरपन देखा जाता है।

आज देश के 42 प्रतिशत से ज्यादा पांच साल के नीचे के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शुरु में अच्छा काम इन बच्चों के कल्याण एवं विकास में किया परंतु इसमें भ्रष्टाचार आ गया है जिससे सर्व शिक्षा अभियान की धनराशि का दुरुप्रयोग होने लगा। यह अवस्था तो तब है जब उनके मा बाप होते हैं। कल्पना कीजिए जिन बच्चों के

मां बाप नहीं हैं तो उनकी क्या दशा होगी। ऐसे बच्चों पर अन्याय न हो, उनको आगे बढ़ने का सहारा मिले, इसके लिए यह बिल लाया गया है।

जब बाल श्रमिकों के खिलाफ सरकार को कोई शिकायतें मिलती हैं तो उन्हें केवल विभागों को कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। साधारणतय इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह भी देखा गया है कि जो शिकायतें करता है, उस पर कई मुसीबतें आ जाती हैं। बाल सुरक्षा जो आयोग है, उनको कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। वे निवेदन के साथ विभागों को मामला रेफर कर देते हैं तो ऐसे आयोग का क्या फायदा? उनको कार्यवाही करने के अधिकारी भी देने चाहिए।

सरकार की उदासीनता एवं लापरवाही इस बात से साबित होती है कि सरकार के पास बाल श्रमिकों के आंकड़े नहीं हैं और बाल श्रमिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, इसकी जानकारी भी सरकार के पास नहीं है। सरकार ने 14 साल के बच्चों के लिए 1986 में समेकित बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत की जिसके तहत राज्यों को बाल श्रमिकों के पुनर्वास शिक्षा इत्यादि के लिए सहायता दी जाती है परंतु ये योजना ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में नहीं देखी जाती है। इसका प्रभाव कुछ शहरी क्षेत्रों में देखा गया है। इसी तरह से समेकित बाल विकास योजना का क्रियान्वयन आदिवासी क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में भिलोडा, विजयनगर, मेघरज एवं खेडब्रहमा आदिवासी ब्लाक हैं जहां पर आई सी डी एस योजना का कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है।

उसी तरह से हमारे देश में उपेक्षित बच्चे, बेसहारा बच्चे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि ऐसे बच्चों का पता लगाकर उनको शिक्षा मुहैया कराये, उनको पुनर्वास की सुविधाएं दे। भारत के बच्चों के विकास एवं उनके कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है जिसके कारण बालक कल्याण विधेयक 2009 प्राइवेट बिल को माननीय सांसद अधीर रंजन द्वारा लाया गया है जिसमें बेसहारा बच्चों का लालन से लेकर शिक्षा, पुनर्वास तक का प्रस्ताव है और अंत में उन्हें आरक्षण के माध्यम से उन्हें नौकरी दिये जाने का प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): सभापति महोदय, प्राइवेट मैम्बर बिल बालक कल्याण विधेयक, 2009 श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा लाया गया। बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और बहुत अच्छे सुझाव दिए, इससे ऐसा लगता है कि देश के हर माता पिता बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। मां के खून से सींचे बच्चे जिनकी दुर्दशा की बात कही गई है। बहुत से राज्यों में बच्चों की इस तरह की दुर्दशा देखने को मिली है। भारत सरकार ने बहुत से एक्ट, स्कीम्स और कानून बनाए हैं। बच्चों के विकास में महिला विकास मंत्रालय का ही नहीं बल्कि नरेगा, पंचायतों का, रूरल डेवलपमेंट, एचआरडी, हैल्थ मिनिस्ट्री का सहयोग भी रहा है। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों को ध्यान से सुना है। मैं देश में बच्चों के कल्याण के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं से सहमत हूं। यह भी बताया गया कि आज के बच्चे कल भारत का भविष्य होंगे। यह बात सही है कि विश्व में भारत की तरक्की, उज्जवलता, उन्नति और प्रभाव इन बच्चों पर निर्भर करता है। हाल ही में भारत में आए अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा है भारत के नौजवानों में बहुत शक्ति और ताकत है। इससे लगता है कि विदेशी लोग सोचते हैं कि हमारे देश के बच्चों में बहुत शक्ति और ताकत है इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है और भारत ने तरक्की की है। अधीर रंजन जी ने बिल में बहुत सी बातें कही हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगी। मैं यह भी जानती हूं कि भारत का अच्छा रूप और स्वरूप बनाना है, भारत की रक्षा सुरक्षित करनी है, भारत की सरहदों पर लड़ने वाला जवान यदि खड़ा होगा तो वह देश का आज का बच्चा ही होगा। देश के बच्चों का चहुमुखी विकास करने, सशक्त बनाने, मजबूती देने, शिक्षा देने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने, रोजगार देने, अच्छा वातावरण देने की ओर ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके लिए जो कानून बने हैं, उनका फायदा उठा सकें, इसे देखना सरकार का कार्य है। मैं इसी के बारे में बताना चाहती हूं और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो मुझे एक गीत की पंक्तियां याद आती हैं - ''हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।'' इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतना पुराना इतिहास है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान देकर भारत को आजाद कराया, भारत को सींचा। आजाद भारत का भविष्य बच्चों पर निर्भर है इसलिए हम कहते हैं -हम उस तूफां से इस किश्ती को निकालके लाए हैं। इन बच्चों के हाथों में भारत का भविष्य है। आज कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं, माननीय सदस्यों ने गंभीरता दिखाई है और बच्चों में कुपोषण, और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य के विषय में चिंता व्यक्त की है। यह बात सही है कि वर्ष 2005-06 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे अंडरवेट, अविकसित हैं, इनमें खून की कमी है, माताओं में खून की कमी है। भारत सरकार ने इनके लिए काम किए हैं और मैं उनके बारे में बताना चाहती हूं। आप जानते हैं कि कुपोषण के अनेक कारण है। केवल

कम खाने से कुपोषण नहीं होता कि खाना पूरा नहीं मिला, साफ पानी नहीं मिला, डायरिया और डाइसेंटरी हुई और कुपोषण हो गया। अगर आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, आसपास फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका धुंआ उनके अंदर जाता है तब इससे भी कुपोषण होता है। कुपोषण के अनेक कारण हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े है। सभी संबंधित मंत्रालयों विभागों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मिले जुले प्रयासों से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले उपायों में पहला है - विशेषकर महिलाओं में साक्षरता और जागरुकता फैलाना। अगर महिलाएं साक्षर और जागरुक होंगी तो वे जान सकती हैं कि उनके बच्चे की परवरिश कैसे हो, बच्चे के पैदा होने के बाद रखरखाव कैसे हो, उसे कब और कैसे स्तनपान कराया जाना चाहिए। पहला स्तनपान बच्चे के लिए एक ऐसी औषधी है कि वह हमेशा के लिए ताकत और शक्ति पैदा करती है। दूसरा उपाय है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिज का पोषण करना, फोर्टिफिकेशन, मिनरल और विटामिन देना।

क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई, समुचित पर्यावरणीय परिस्थितियां सुनिश्चित करना, प्रोवाइडिंग सप्लीमैन्ट्री न्यूट्रीशन देना, जो हमारा पूरक पोषण आहार है, वह प्रदान करना, कम आयु में बालिकाओं के विवाहों की रोकथाम करना, ये सब चीजें कुपोषण को दूर करने के लिए जरूरी हैं। सरकार विशेषकर बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में कुपोषण सहित कुपोषण के समग्र मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रीय पोषण नीति और राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना में भारत में पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के कई उपाय निर्धारित किये गये हैं। इसका अनुपालन करते हुए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा और इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कई स्कीम और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ये स्कीम्स इस प्रकार हैं -

जैसे मेरे मंत्रालय द्वारा आईसीडीएस, किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम मानक स्कीम मे राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमैन्ट ऑफ एडोलोसैन्ट गर्ल्स सबला, स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ का प्रोग्राम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मध्याह्न भोजन योजना, मिड-डे मील, एचआरडी मिनिस्ट्री का है। पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर एंड टोटल सेनिटेशन कैम्पेन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न रोजगार स्कीम्स जैसे NREGA, एनआरएचएम, मिड-डे मील, एसजीवाईएस, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना इन सबको ताकत देती हैं, शक्ति देती हैं।

जैसा मेरे साथी ने कहा कि यदि घर में गरीबी है तो मां-बाप सोचते हैं कि इस बच्चे को तुरंत काम पर लगा दिया जाए। जैसे अभी माननीय सदस्य ने बताया, वह चाहते हैं कि उनका बच्चा काम करे। चाहे वह ईंट के भट्टे पर काम करे या बकरी पालन करे। मैं समझती हूं कि यह हमारा धर्म भी है और हमारा उद्देश्य भी है कि जब हम बच्चे को पैदा करते हैं तो उसकी परवरिश करना जरूरी है। यदि उसके घर में

गरीबी है तो जो रुरल हैल्थ मिशन के साथ जो हमारा नरेगा प्रोग्राम है, उसके तहत हमने रोजगार गारंटी योजना देने की कोशिश की है। हर घर को रोजगार मिले, जिससे जो मां-बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा ग्रहण करके उसे एक अच्छा रोजगार मिले और फिर वह अपना घर बसा सके। यह हमारी एक सोच है, यह हमारा एक स्वप्न भी है। हम इसे देखते हैं और यदि कोई मजबूरी हो तो उस मजबूरी को दूर करने के लिए हमारी सरकार के जो मंत्रालय हैं, उनमें अलग-अलग योजनाएं हैं, अलग-अलग स्कीम्स हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि गरीबी दूर हो, हर परिवार को रोजगार मिले, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे आईसीडीएस प्रोग्राम में जो आंगनबाड़ी की बात कही गई है, उसमें करीब-करीब 14 लाख आंगनबाड़ी सैंक्शंड हैं। उनमें से 11.95 लाख आंगनबाड़ी चल रही हैं और हर राज्य की जिम्मेवारी भी बनती है कि यहां से जो स्कीम्स जाती हैं, उन्हें ठीक से क्रियान्वित करें।

जहां तक महिला बाल विकास मंत्रालय के योगदान का संबंध है, आईसीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत 13.67 लाख आंगनबाड़ियों में से 11.95 लाख आंगनबाड़ियां अभी चल रही हैं और कुछ बढ़ती रहती हैं। हम उन्हें डिमांड पर देते हैं, जब से इन्हें युनिवर्सलाइज किया गया है, डिमांड बेसिस पर राज्य जितनी चाहें आंगनबाड़ी खोले, उनके बच्चों को पूरक आहार मिले, ये सब चीजें मेरे मंत्रालय द्वारा की जाती हैं। राज्य शेष आंगनबाड़ियों को प्रचालित करने की कार्यवाही कर रहे हैं। तथापि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आईसीडीएस लाभार्थियों का सैल्फ सलेक्टिंग कार्यक्रम हैं और सेवाएं प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर मोनिटरिंग की जाती है कि वहां कितने बच्चें हैं, कितने बच्चों को वहां भोजन मिलता है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने हाल ही में नई स्कीम सबला, जैसा मैंने पहले बताया कि राजीव गांधी स्कीम फार एम्पावरमैन्ट एडोलोसैन्ट गर्ल शुरू की गई है। इसे हमने पूरे देश के हर राज्य के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी पायलट बेसिस पर लिया है। हर राज्य में इसे लांच करने का कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की आयु की किशोरियों को स्वास्थ्य पोषण सहित और सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जायेगा और 15 से 18 वर्ष की आयु की सभी किशोरियों को पोषण सेवा प्रदान की जायेगी।

इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो कंडीशन मैटरनिटी बैनेफिट स्कीम है। मैंने कहा कि गर्भवती महिला को सशक्त किया जाये। वह कांम करती है और प्रीगनैंसी के दौरान, और उसकी डिलीवरी के बाद उसे छुट्टी लेना जरूरी है जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। जो प्राईवेट अनऑरगनाईज्ड सैक्टर्स हैं, उसमें वह सोचती है कि मैं जल्दी से काम पर जाऊं और मुझे नुकसान न हो, उसे पूरा करने के लिये हम इस योजना के अंतर्गत सीधा कैश डिलीवर करते हैं जिससे कि वह बच्चे के

साथ रह सके, अपना दूध पिला सके और उसे यह दर्द भी नहीं हो कि मैं काम छोड़कर बैठी हूं और मुझे इनकम नहीं होगी। इस स्कीम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण के सुधार के लिये 52 जिलों में, प्रायोगिक आधार पर, बेहतर एवं अनुकूल परिवेश की व्यवस्था की जायेगी। शिशु को जन्म देने के बाद स्तनपान शुरु कराने और पहले 6 महीने तक स्तनपान कराने के लिए माताओं को सहायता प्रदान की जायेगी। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में (रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हैल्थ प्रोग्राम) में हम शामिल करते हैं (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) जननी सुरक्षा योजना जिसमें संस्थाओं में प्रसव, प्रतिरक्षण, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी के निवारण के लिये आय़रन एवं फोलिकएसिड अनुपूरक जैसे विशिष्ठ कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है। आयोडीन की कमी होने से होने वाले रोगों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में आयोडिन की कमी के निवारण के लिये आयोडिनयुक्त नमक के उपयोग पर जोर दिया जाता है। जैसा सदस्य जानते हैं कि भारत की पोषण चुनौतियों के समाधान के विषय के लिये कार्यनीतिक नोट महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ तैयार किया है जिस पर विभिन्न पक्षों के साथ आयोजित किये गये कार्यक्रम में विचार-विमर्श किया है। संसदीय परामर्शदात्री समिति में इस विषय पर विचार किया गया। इस संसद के युवा सासंदों ने एक कमेटी बैठायी है और इनकी भी अच्छी रिपोर्ट आयी। इन्होंने मुझ से बात की है और कहा कि हमारे अंदर ऑयरन की कमी है। आज हमें पालक से आयरन मिलता है पर स्थिति यह है कि पहले 100 ग्राम पालक खाने से जितनी मिलिग्राम ऑयरन मिलता था, उतना आज एक किलो पालक में भी आयरन नहीं मिलता है। उतनी शक्ति आज पृथ्वी में नहीं रही है। उसको पूरा करने के लिये हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है, जगह की कमी है, उतनी उपज हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो उसमें उतनी शक्ति नहीं रहती है कि हमें पूरी तरह से खाद्य मिल सके। इसके लिये हमने हैल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कार्यक्रम किये हैं, योजना आयोग ने भारत की पोषण चुनौतियों के समाधान के विषय पर विभिन्न पक्षों की चिन्तन बैठक का आयोजन 7-8 अगस्त, 2010 को किया, जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों के विभाग, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न सुझाव प्राप्त हुये जिन पर भारत की पोषण चुनौतियों से संबंधित प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय परिषद् में विचार-विमर्श किय़ा गया। परिषद् ने निम्नलिखित विशेष निर्णय निर्देश दिये हैं।

i) गर्भवती महिलायें, अपने शिशुओं को अपना दूध पिलाने वाली माताओं तथा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर ध्यान देते हुये आईसीडीएस में सुधार एवं पुनर्गठन करते हुये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ इसका सुदृढ़ संस्थागत संकेन्द्रन सुनिश्चित किया जाये।

ii) माताओं में, बच्चों में कुपोषण से अत्यधिक प्रभावित चुनिंदा 200 जिलों में, जिससे माता और बच्चे कुपोषण से अत्यधिक प्रभावित है, उस समस्या का समाधान करने के लिये .योजना आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श से बहुक्षेत्री कार्यक्रम तैयार किया जाये। ये बहुत सारे सुझाव आये जिन्हें हम समय समय पर अपने युवा सासंदों के साथ, एनजीओं के साथ और दूसरे राज्यों के मंत्रियों के साथ, जो हमारी यूनियन टैरोटरीज हैं, उनके साथ परामर्श किया गया है।

iii) कुपोषण के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा, एवं संचार का शुभारंभ किया जाये।

iv) स्वास्थ्य, पेयजल, आपूर्ति, साफ सफाई, स्कूली शिक्षा, कृषि एवं खाद्य एवं सार्वजिनक वितरण जैसे विषयों से संबंधित कार्यक्रमों में पोषण पर पूरा जोर दिया जाये। भारत की पोषण चुनौतियों से संबंधित प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय परिषद् की दिनांक 24 नवम्बर को आयोजित बैठक के बाद ,

मेरे मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों, विकास भागीदारों, संस्थाओं आदि के साथ कई बैठकें और परामर्श किये। इस विचार-परामर्श-विमर्श कार्यक्रम में आयोजित किये गये दिशा-निर्देश के पहलुओं पर संकल्पनात्मक ढांचा तैयार किया जा रहा है। जो बात अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने बिल में कही कि ये-ये चीजें होनी चाहिएं, सरकार पहले से ही हर मुद्दे पर, हर प्वाइंट पर उन बातों को लेकर चल रही है।

शिशुओं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के विशिष्ठ मुद्दे पर आते हुए मैं कहना चाहूंगी कि इन मामलों के कारणों को दूर करने के प्रयास प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी किये जाते हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए नियोजित विकास के प्रारंभिक चरणों से ही किये जा रहे निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर वर्ष 1990 में 80 प्रति हजार जीवित प्रसव थी, जो कम होकर वर्ष 2008 में 53 प्रति हजार जीवित प्रसव पर रह गयी है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी वर्ष 1992-93 में 109 प्रति हजार से कम होकर वर्ष 2008 में केवल 69 रही है। पूरे देश के राज्यों में काम करने वाले जो हमारे मंत्री और जो दूसरे साथी हैं, उनके सहयोग से इसे और कम किया जा सकता है और हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे शत-प्रतिशत सुरक्षित हैं। मात्र एक वर्ष पूर्व शुरू किया गया नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम नवजात शिशुओं और बच्चों को होने वाले रोगों की सुविधा आधारित समेकित उपचार इत्यादि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनका उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना है। मेरे मंत्रालय के साथ-साथ जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, वह भी साथ-साथ उसका सहयोग कर रहा है।

मेरे अन्य विद्वान साथियों ने भी ठीक कहा कि अच्छी शिक्षा प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा एक से पांच तक 25.5 प्रतिशत बच्चे तथा कक्षा एक से आठ तक 43.3 प्रतिशत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह

प्रतिशत अभी भी बहुत ज्यादा है। हाल ही में अधिनियमित किये गये बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन, सभी बच्चों की गुणवत्ता सुलभ शिक्षा प्रदान कराने की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम हैं। मैं जानती हूं कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है, उससे इस बात को लाभ मिलेगा कि हम शिक्षित होंगे कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें शिक्षा मिलेगी और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है कि, जनगणना एवं आपदा राहत संबंधी कार्यों को छोड़कर, अन्य गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों की सेवाएं न ली जायें, जो टीचर्स हैं, उन्हें न लगाया जाये। इस उपाय से कक्षाओं में अध्यापकों की उपस्थिति बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी उपबन्ध है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड न दिया जाये और न ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जाये।

मेरे विद्वान साथियों ने यह बात भी सामने लायी है कि विभिन्न कारणों से किया जाने वाला बच्चों का अनैतिक व्यापार हमारे सामने मौजूद एक बड़ी समस्या है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मानवों, विशेषकर, महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के अधिकार सहित, मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत को देश के भीतर और सीमा पार से अनैतिक व्यापार की दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार के लिए यह चिंता का विषय है और जहां तक व्यावसायिक यौन शोषण का सवाल है, सरकार बहुउद्देश्यीय कार्यान्वयन नीति द्वारा अनैतिक व्यापार की रोकथाम करने के लिए प्रयास कर रही है। The Immoral Traffic Prevention Act, 1956 supplemented by the IPC prohibits trafficking in human beings, including children, for prostitution and lays down penalties for trafficking.

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : महोदय, पांच मिनट और लेंगे।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : मंत्रालय द्वारा अनैतिक व्यापार पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए 'महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के निवारण' की राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 1998 में तैयार की गयी थी।

हमारे मंत्रालय की जो 'उज्ज्वला' स्कीम है, वह भी इस अनैतिक व्यापार को रोकने में कार्य कर रही है और इन गृहों में पीड़ितों को आश्रय, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा संबंधी देखभाल, कानूनी सहायता,

शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त मेरे मंत्रालय में अनैतिक व्यापार के निवारण के लिए समर्थन, जागरूकता, परिशिक्षण एवं क्षमता विकास के साथ-साथ सचेतना कार्यक्रम का भी निरंतर आयोजन किया जाता है। इसके लिए अवेयरनैस करना भी बहुत ज़रूरी है। यह स्वीकारते हुए कि अनैतिक व्यापार एक संगठित अपराध है और विश्व भर में फैली हुई दुष्प्रवृत्ति है, भारत सरकार ने व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों, के अनैतिक व्यापार के निवारण, दमन एवं इन्हें दंडित करने से संबंधित नवाचार सहित तीन नवाचारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कनवैन्शन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस वर्ष सरकार ने इस कनवैन्शन और इसके नवाचारों का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया है।

मैं जानती हूँ, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि कम होता महिला-पुरुष अनुपात भी चिन्ता का विषय है। उन्होंने फीमेल फीटीसाइड पर बात की है। इसके लिए भी पूरे देश भर में जागरूकता अभियान है और 24 जनवरी को हमने गर्ल चाइल्ड डे डिक्लेयर किया है। मैं समझती हूँ कि इसके लिए हर एनजीओ को, समाज में हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि बच्चियों का अनुपात बच्चों के बराबर हो, हम सबको इसके लिए जागरूक होना ज़रूरी है। इसलिए अनेक योजनाएँ हमने शुरू की हैं। इसमें जैसे धनलक्ष्मी योजना है कि बच्ची के पैदा होने पर धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत ग्रांट शुरू की जाती है। इसके साथ साथ दिल्ली, में तथा अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग योजनाएँ भी हैं। दिल्ली में लाडली योजना है। जब बच्ची पैदा होती है तो उसे हम कैश देते हैं, जिससे उसकी आने वाली शिक्षा के लिए, तथा उसके खान-पान के लिए, घर वालों को उतनी तकलीफ़ नहीं होती। उन्हें लगता है कि अगर बच्ची पैदा हो तो उसे लक्ष्मी का रूप समझकर सींचा जाए तो भारत में जिसको हम माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी और बहन के रूप में देखते हैं, उसके साथ ही वह बच्ची एक शक्ति का रूप भी है। बच्ची देवी का रूप भी है। हम हमेशा से देवी की शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। हिन्दू नवरात्रों में खास तौर से कन्या के रूप में भी बच्ची पूजी जाती है। तो फिर क्यों हम ऐसा सोचते हैं? मुझे लगता है कि कहीं परिवारों के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएँ या कुरीतियाँ हैं जिसको देखकर उन्हें डर लगता है कि बच्ची पैदा हुई तो उसका रखरखाव कैसे होगा, उसकी परवरिश में चिन्ता होती है, उसकी शादी में दहेज देना होगा। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए कानून है और उस कानून को लागू करना हमारे समाज और सरकार दोनों का काम है। समाज को भी आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और जो हमारे एनजीओ हैं, उन्हें भी इस दिशा में काम करना चाहिए।

महोदय, अधीर रंजन चौधरी जी ने बहुत सी बातों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि कम आयु में विवाह न हो, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी कुपोषण को रोकने का एक अच्छा साधन हो

सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में 18 वर्ष से कम की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह निषिद्ध किया गया है तथा इस अधिनियम में ऐसे उपबंध हैं जिसके द्वारा बच्चे का विवाह कराने वाले को प्रोत्साहन देने वाले तथा ऐसे विवाह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को भी दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान इसमें है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारों ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं, जिनका काम इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करना है। इस अधिनियम में यह उपबंध है कि विवाह के समय बच्चे रहे वर-वधू के वयस्क हो जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार जी अभी यहां नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक अडॉप्शन की बात कही थी। उस अडॉप्शन को ठीक करने के लिए, उसको पारदर्शी करने के लिए, हमने केन्द्रीय वैब आधारित प्रणाली *'केयरिंग'* की शुरूआत 14.2.2011 को की है जिसमें वैब पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं कि कहाँ बच्चे हैं, जो अडॉप्ट करना चाहते हैं वह बच्चों को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे उन बच्चों की परवरिश अच्छे घरानों में हो सके।

आज विचाराधीन बाल-कल्याण विधेयक पर आते हुए मैं यह कहना चाहूँगी कि मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि बाल कल्याण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि सरकार इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। देश में किशोर न्याय बालकों की देख-रेख और संरक्षण अधिनियम - जुविनाईल जस्टिस एक्ट है - *'केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2000।'*

2006 का जो एमेंडेमेंट एक्ट है, इसमें बहुत सारे नये प्रावधान किये गये हैं, मैं उनको पाइंटवाइज़ पढ़ूंगी। गृहों के अनिवार्य पंजीकरण आदि के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसको कारगर बनाने के लिए 2006 में इसे संशोधित किया गया है। कामकाजी बच्चों, बेघर बच्चों, भीख मांगते हुए पाये गये बच्चों को शामिल करने के लिए इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया है। अब जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, बैगर्स हैं, Abondoned हैं, Orphans हैं, सरैण्डर्ड हैं, वे बच्चे इस स्कीम, जो जे.जे. एक्ट के तहत है, जिसे हमारे कुछ एन.जी.ओज़. चलाते हैं, कुछ राज्य सरकारें चलाती हैं, इसके अन्तर्गत इनको रखा जाता है और उसमें केन्द्र सरकार ने जो-जो अभी ज्यादा लाभ दिये हैं, मैं इनका आगे आपको विवरण दूंगी।

किशोर न्याय अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कंवेंशनों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम में ऐसे बच्चों की विकास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने और उनके सर्वोत्तम हित में उनसे सम्बन्धित मामलों में उनके अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर इन बच्चों की समुचित देखभाल, संरक्षण एवं उपचार की व्यवस्था की गई है।

किशोर न्याय अधिनियम के मद्देनज़र राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और प्रशासनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं या गैरसरकारी संगठनों के सहयोग से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में बालगृहों की स्थापना करें और उनका रख-रखाव अच्छी तरह करें, ताकि बच्चों की देखभाल, उपचार, प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास ठीक तरह से किया जा सके। संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को प्राप्त करने एवं उन्हें अस्थाई आवास उपलब्ध कराने हेतु आश्रय गृह यानि शैल्टर होम दिये जायें। 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल हेतु चिल्ड्रन होम हों। अपराध करने के आरोपी बच्चों को मुकदमों के दौरान प्राप्त करने एवं अस्थाई आश्रय प्रदान करने वाले जो हमारे ऑब्जर्वेशन होम हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशन होम हों। अपराधी सिद्ध होने के बाद किशोरों हेतु स्पेशल होम रखे जायें, जिनमें बच्चों की पूरी तरह से देखभाल हो, उनका खाना-पीना, रहना ठीक से किया जाये। 27 राज्यों ने 75 हजार बच्चों को आवास प्रदान करने वाले ऐसे 1396 गृह स्थापित किये हैं, जो मेरे पास अभी आंकड़े हैं, जिनके लिए वे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से लागत भागीदारी आधर पर अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इसके अलावा बच्चों को बालगृहों को छोड़ने के पश्चात उनको रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए तैयारी करने हेतु बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, वोकेशनल ट्रेनिंग केन्द्रों एवं गैरसरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, he has to reply to the debate.

श्रीमती कृष्णा तीरथ: दो मिनट। अभी टाइम खत्म नहीं हुआ।

यदि कोई बालक 17-18 वर्ष की आयु तक रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता है तो वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित देखभाल गृहों में 20 वर्ष तक की आयु तक रह सकता है।

हमारे यहां जो अभी एक नई स्कीम शुरू की गई है, वह इंटीग्रेटिड चाइल्ड प्रोटैक्शन स्कीम है। इसके अन्तर्गत बहुत सारे लाभ बच्चों को दिये जाते हैं। अधिनियम के क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रो की सहायता करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2009-10 में इंटीग्रेटिड चाइल्ड प्रोटैक्शन स्कीम की शुरूआत की है। इस स्कीम में बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे नई अवसंरचना तैयार कर सकें, मौजूदा सुविधाओं में सुधार कर सकें, गुमशुदा बच्चों को तलाशने की प्रणाली स्थापित कर सकें और चाइल्ड हैल्पलाइन के माध्यम से तत्काल सहायता प्रदान कर सकें।

साथ ही साथ इस स्कीम में प्रायोजन, लालन-पालन एवं एडॉप्शन के माध्यम से परिवार आधारित गैर-सरकारी संस्थागत देखभाल को प्रोत्साहन दिया गया है। मेरे मंत्रालय की आई.सी.पी.एस. स्कीम को

आकर्षक बनाया गया है। अब इस स्कीम के अन्तर्गत प्रावधान इस प्रकार किये गये हैं कि पहले गृहों के निर्माण में 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से हम पैसा देते थे, जिसको बढ़ाकर अब 600 रुपये प्रति स्क्वायर फीट किया गया है और प्रतिमाह बच्चों को जो 500 रुपये दिया जाता था, अब वह 750 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। बढ़े हुए वेतन के साथ कर्मचारियों के लिए प्रावधान 1.1 लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये किया गया है, ताकि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ है, उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाये। लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, परिवहन सुविधा, मनोरंजन हेतु अतिरिक्त निधियां दी जाती हैं। केन्द्र सरकार ने 50 प्रतिशत के व्यय के पिछले मानक की तुलना में अब 75 प्रतिशत पैसा खुद देना शुरू किया है।

पच्चीस पर्सेंट राज्य को देना होता है, जो पहले 50-50 का रेश्यो था, लेकिन अब केंद्र ने आईसीपीएस स्कीम के अंतर्गत 75 प्रतिशत राशि देना शुरू किया है। इस समेकित विकास स्कीम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर, जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान को छोड़कर, 33 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। मैं यह बताना चाहती हूं जैसा कि हमारे सदस्य ने कहा है कि इसमें और भी बहुत सी चीजें दी हैं, जैसे उनके खेलने के लिए अलग से जगह होनी चाहिए, इंडोर गेम हो, सात बच्चों पर एक शौचालय हो, दस बच्चों पर एक स्नानाघर हो। इस तरह के प्रोवीजन करके हमने उनको पूरी सुविधायें देने की बात की है। इन गृहों में रहने वाले बच्चों को सभी सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

मैं अब बाल श्रम मुद्दों के बारे में आती हूं, जो बाल श्रम की बात की गयी है, जिसे हमारी लेबर मिनिस्ट्री करती है, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगी कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग (क) में निर्धारित जोखिमपूर्ण 16 व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में तथा भाग (ख) में निर्धारित 65 प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार का प्रतिषेध करता है। ऐसे व्यवसायों में कालीन बुनाई, माचिस बनाना, जिसके बारे में अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, कालीन बुनाई, माचिस बनाना, विस्फोटक एवं पटाखे, कीटनाशक, विषैले पदार्थों का निर्माण अथवा उनका रख-रखाव आदि शामिल है। हाल ही में घरेलू नौकरों के रूप में बालकों के रोजगार तथा ढाबों, रेस्तरां, होटल, मोटलों और चाय की दुकानों, रिसोर्ट, स्पा तथा मनोरंजन के अन्य केंद्रों पर भी बालकों के रोजगार का निषेध किया गया है। इसके अलावा किशोर न्यायाधिनियम में यह उपबंध है कि किसी भी जोखिमपूर्ण रोजगार में बालक को नहीं लगाया जा सकता है। अगर उसके माता-पिता भी बालक को रोजगार के लिए कार्य पर लगाएं तो उसके लिए मां-बाप के प्रति भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के श्रम विभागों

द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि गत दस वर्षों के दौरान 31.5 लाख निरीक्षण किए गए। अतिक्रमण में 21.5 लाख मामले पाए गए, जिनमें 89 हजार अभियोजन शुरू किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 23 हजार लोग दोषी सिद्ध किए गए। बच्चों को इससे लाभ मिला है। मजदूरी से छुटाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु श्रम मंत्रालय ने 20 राज्यों के 271 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्रियान्वयन किया है। इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे 8,710 विशेष स्कूलों के माध्यम से लगभग 3.39 लाख बच्चों को लाभ मिला है। जो बच्चे छुड़ाये जाते हैं, उनको एक ब्रिज एजुकेशन देते हैं। तीन साल की उस ब्रिज एजुकेशन के बाद बच्चे को सिक्स्थ क्लास में मेन स्ट्रीम में दूसरे स्कूलों में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने के लिए भेजा जाता है।

माननीय सदस्य ने किशोर गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रस्ताव किया है। मैं माननीय सदस्य की इस चिंता को समझती हूं कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद बच्चों के रोजगार सुनिश्चित करने के संबंध में जो उन्होंने कही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान मे सरकार की नीति शिक्षा एवं व्यवसाय प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को आवश्यक कोर्सों से युक्त करना है, ताकि वे उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें तथा समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल हो सके। तमिलनाडु सरकार ने पिछड़े वर्ग की सूची में अनाथ और निराश्रित बच्चों को शामिल कर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभायी है। मैं चाहती हूं कि बाकी राज्य भी इसका अनुसरण करें और उन बच्चों को जो उनका रिजर्वेशन है, उस कैटेगरी में लेकर आएं।

अतः मैं सदन को बताना चाहूंगी कि विधेयक में प्रस्तावित अनुबंध पहले से ही पर्याप्त रूप से मौजूद हैं, तथा सरकार के विधानों एवं स्कीम कार्यक्रमों में शामिल हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए।

MR. CHAIRMAN : Mr. Adhir Chowdhury, in view of the exhaustive reply given by the hon. Minister, would you still like to speak?

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Yes, Sir, but I would be very brief because my colleague Shri Baijayat Panda is fervently waiting for initiating the discussion on his Bill and so in a short while I will leave the floor to him.

Sir, I must first convey my warm gratitude to the hon. Minister and all the Members who have participated in this important discussion.

Not only that, they have offered a number of important suggestions, which will enrich the legislative and administrative parts involved in this area.

I must subscribe to the view, as has been elucidated by our hon. Minister, that there is no dearth of programmes, of laws, and of Acts, but the crux of the problem lies in implementation because it is incumbent upon the respective States to implement the programmes that have been earmarked for the children of our country.

मैं कह सकता हूं कि आज की दुनिया हमारी है, बच्चों की भी है, लेकिन दावे के साथ यह भी जरूर कहना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिन सिर्फ बच्चों के हैं, हमारे नहीं। अगर आज हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन हम पर सवालिया उंगली उठाएगी कि इन्होंने कुछ नहीं किया।

I beg to differ on a few arguments, as has been made by the hon. Minister. Sir, if you see the Annual Report 2009-10, the Ministry of Woman and Child Development, Government of India notified the model rules 2007 framed under the amended Juvenile Justice Act in the Gazette of India on 26 October 2007, and State Governments and Union Territories were requested to adopt the model rules and effectively implement the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000, as amended in 2006.

May I like to know how many States have so far notified the Gazette and how many States have so far taken initiatives to implement the tone and tenor of this Act? Yes, hon. Minister has referred in regard to ICPS, Integrated Child Protection Scheme. This scheme is implemented mainly through the State Government, UT administration. During the Eleventh Plan period, the signing of Memorandum of Understanding between the Government of India and the respective State Governments, UT administration is prerequisite for implementation of this scheme. As on 25th January 2010, only 13 States have signed the MoU with the Ministry of Woman and Child Development, Government of India.

Sir, further more, a sum of Rs.1076 crore has been allotted for implementation of this scheme during the Eleventh Plan period. The budget

allocation under this scheme for the current financial year 2009 is Rs.60 crore only, out of which Rs.22.20 crore has been released to the State Governments for implementing the scheme. That is why, I during my discussion, tried to draw the attention of the concerned Minister that 'yes' schemes are in galore, but what we require is adequate fund and adequate administrative and legal measures.

In so far as child marriage is concerned, according to the Annual Report of this Ministry, child marriage is a blatant violation of child rights. According to the National Family Health Survey, it is estimated that around 47 per cent of women aged 20 to 24 years were married by the age of 18 years. That is why, we are simply confined in letters of our legislation, but we are not able to implement the spirit of our legislation.

Sir, I shall be very brief. The hon. Minister just referred to Dhanalakshmi Conditional Cash Transfer for Girl Child with insurance cover. Sir, you will be astonished to know that the scheme is being implemented in 11 blocks only across seven States. An outlay of Rs.10 crore is provided in Annual Plan 2009-10. This is a meagre amount.

Not even that, even the Standing Committee of the concerned Ministry has also recommended; I would like to read a few lines:

> "The Committee notes with concern that complete information is not available with the Ministry regarding the number of observation homes, special homes for juveniles in conflict with law, and children homes, shelter homes for juveniles in need of care and protection set up by the States across the country. Only five States, Karnataka, Himachal Pradesh, Haryana, Mizoram, and Delhi have constituted Inspection Committee for inspecting the children homes. The Committee further notes that though the Act provides for facilities and various types of services in the special homes, shelter homes, many of the homes are lacking in basic facilities like sanitation and recreation facilities. The Committee, however, is of the view that monitoring of the implementation of this Act is the responsibility of the Central Government and hence the Ministry should ensure that the provisions of the Act are implemented effectively."

India is a country which is called the youngest country in the world. Sir, 80 per cent of street children of our country consume drug to cope with the pangs of hunger, fear, loneliness and despondency often involves in survival sex. Can you imagine, Sir?… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : While moving the Bill, you have already stated this.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: Sir, some of the points we need to discuss here.

Sir, it is reported that 10,000 pedophiles visit the coastal States in India every year and sexually exploit our children. India's West coast cities like Mumbai, Goa, joined Sri Lanka and Thailand on the pedophiles map. It is a humiliation for our country.

Sir, 53 per cent, of an estimated 420 million children had undergone some form of sexual victimization. Sir, can you imagine it?

MR. CHAIRMAN: Are you willing to withdraw the Bill?

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Yes, Sir. Kindly listen to me.

Sir, rape is one of the fastest growing crimes in our country; 9.5 per cent of the rapes are reported of those who are under 15 years of age; 15.2 per cent of

those raped children are under 18 years of age. However, I must appreciate that the Ministry is striving hard to get all the Acts together so as to save our future generation who are the asset of our country. Therefore, with the firm belief, I think that the stigma that we are facing now will be erased by the endeavour of the concerned Ministry and the concerned Government. With these words, I am concluding my speech.

I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for the welfare of children and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to withdraw the Bill to provide for the welfare of children and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I withdraw the Bill.

17.54 hrs.

ILLEGAL IMMIGRANTS AND OVERSTAYING FOREIGN NATIONALS (IDENTIFICATION AND DEPORTATION) BILL, 2009

MR. CHAIRMAN: Now, Item 53; Shri Baijayant Panda.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I beg to move:

> "That the Bill to provide for identification of illegal immigrants and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas and for their deportation to the countries of their origin and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Sir, the subject matter of this Bill is of grave importance to our national security and to the development of our country. The fact is, even though we are a very large country, only the second country in the whole world to have more than a billion population, we are still a developing country.

We still have a constraint on resources. Sir, only very recently, a few months ago, when the U.S. President Barack Obama was here, he announced that India is no longer a developing country and it is a developed country. While such sentiments may be a matter of pride for us, the fact remains that we are somewhere in between. We are not a fully developed country because we have hundreds of millions of our citizens who are deprived of basic necessities. We do have to take pride in that aspect of our country, which is world-class, which is first world, which is admired by the rest of the world. That part of our economy can compete with any other country in the world. But the fact remains that we have hundreds of millions of Indians who are deprived of basic necessities. And this fact is what is compromised when we do not take illegal immigration seriously.

Sir, illegal immigration and people from other countries who may have originally come to our country legally but have stayed on illegally has an insidious effect on our nation's development because it strains the resources that I have just been talking about.

Sir, just now, before I introduced my Bill, this House has had a very deep and long discussion on the matter of child labour and the various facilities that are being provided, and in the conclusion we were just coming to the point about how much more still needs to be done. Sir, when we talk about much more need to be done for the children of India and for other deprived citizens of India, we have to give priority to citizens of India.

We can have a big heart for people who are suffering in other countries, and we do have a big heart. Even though we are still a developing country, even though we are transitioning into a country which can take pride in becoming a developed country, we have contributed to other countries and to the citizens of other countries who have gone through difficulties.

Sir, I remember, a few years ago, when the Tsunami hits South East Asia, when countries like Indonesia, when countries like Sri Lanka, when countries in this part of the world got hit very badly, India was one of the first countries to respond, to contribute financially and to contribute other resources to help out unfortunate citizens of other countries.

Sir, only a couple of years ago, when there was a major earthquake in Pakistan, India was one of the first to offer and offer substantial amount of money and other help to citizens of Pakistan who were affected by this natural disaster. We have done more than that.

Six or seven years ago, when Hurricane Katrina devastated the southern part of the United States, which is the most developed country in the world, India was one of the first countries to offer help to the citizens of New Orleans, the citizens of Luciana and the United States because we have compassion. We have compassion for people of the world, for the citizens of the world wherever they are but when it comes to running our own country, when it comes to giving priority to the citizens of our own country, inside our own country, we sometimes forget that we must give priority to the citizens of India over those who are in this country illegally.

Sir, the illegal immigration problem is widespread. Official and semi-official estimates state that there are at least 20 million illegal immigrants in this country.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you may continue your speech next time.

SHRI BAIJAYANT PANDA : Okay, Sir. Thank you.

———

17.59 hrs.

PRIVATE MEMBER'S BILLS- INTRODUCED….Contd

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up Item no. 42 – Shri P.L. Punia ji. You can introduce your Bill now.

17.59 ½ hrs.

(xxviii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010[*]

(Insertion of new article 30A)

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

18.00 hrs.

(xxix) RENEWABLE ENERGY RESOURCES COMMISSION BILL, 2010*

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the setting up of a Commission to exploit renewable energy resources in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a Commission to exploit renewable energy resources in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

---

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section – 2, dated 25.02.11.

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

18.0¼ hrs

(xxx) SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) AMENDMENT BILL,2010* (Amendment of Section 3, etc.)

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989."

The motion was adopted.

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

18.0½ hrs

(xxxi) MICRO FINANCE INSTITUTIONS (REGULATION OF MONEY LENDING) BILL, 2010*

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to protect the women Self Help Groups from exploitation by the Micro Finance Institutions in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to protect the women Self Help Groups from exploitation by the Micro Finance Institutions in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section – 2, dated 25.02.11.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up *Zero Hour*.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir, I am raising a very sensitive matter of urgent public importance. It is regarding violent incidents that occurred in the Garo Hills of Meghaylaya from 1st January and continued unabated for 10 days. During the violence, houses and properties of Rabha Tribe people, who are the minority population in Garo Hills, were burnt down. A total of 16 villages were gutted. Their properties were looted. It is said that nearly 10 people were killed and 31,000 Rabha Tribe people fled to Assam. Those people are still reluctant to go back because they are afraid of their security.

Sir, a few delegations comprising of different sections of people met the State Home Minister and requested him that proper security arrangements may be made for those minority Rabha Tribe people, who were living in the Garo Hills.

Therefore, Sir, I would urge upon the hon. Home Minister to take immediate steps to rehabilitate all those uprooted Rabha Tribe people and to bring back normalcy in the Garo Hills. People of all sections had been living there peacefully for ages together. We want that peace and normalcy be restored there so that those Rabha Tribe people may go back to their respective homes in Garo Hills, Meghayalaya instead of living in the camps in Assam.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आदिवासी जातियों का बाहुल्य है। पिछले 60 सालों से वहां के लोगों की मांग रही है कि मुंडा, औराव, खड़िया, हरिया, लुहार जातियों को आदिवासी दर्जा मिले। इसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनुसूचित जाति के लोग भी हैं। ये लोग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, केरल और उत्तर प्रदेश, बंगलादेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से लोग लाए गए और कुछ लोग आए हैं तथा वहीं बस गए हैं, लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया है। सन् 2011 में भारत में जनगणना का काम शुरू है। जनगणना के लिए जो फार्म है, उसमें क्वेश्चन नम्बर 8 में अनुसूचित जाति, जनजाति का कोई व्यक्ति होने पर कोड संख्या एक और 2 डाला जाना था। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 9 फरवरी को जनगणना शुरू हुई। प्रशासन की तरफ एक चिट या पर्ची दी गई। उस पर्ची में न तो कोई आर्डर नम्बर है, न रेफरेंस नम्बर है, न कोई तारीख है, न किसी का सिग्नेचर है और न ही कोई सील है।

जो लोग लोगों के घरों में जनगणना करने के लिए जा रहे हैं उन्हें लिखकर दिया गया कि आदिवासी कौन हैं? आदिवासी में दिया गया प्रीमिटिव ट्राइब्स, जारवाज, ओन्जीज, अंडमानीज, सेंटिनलीज. निकोबारीज। बाकी जो मुंडा और खड़िया हैं, उनको फार्म के क्वैश्चन नम्बर 8 में आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए एन्युमोरेटर ने मुंडा, उराव, खरिया आदिवासी होते हुए भी प्रश्न 8 कालम में एसटी नहीं लिख रहा है । उसी तरह जो लोग एससी है, उनको भी नहीं लिखा जा रहा है और चिट पकड़ा दिया है, जिसमें इंग्लिश में लिखा गया है कि "No SCs in Island" अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में शैड्यूल्ड कास्ट नहीं है। इस पर्ची को लेकर जो लोग घरों में जा रहे हैं फार्म भरने के लिए, उसको सेंसस में फार्म नहीं भर रहे हैं। मैं पूछने के लिए गया था कि सेंसस क्या है? सेंसस भारत के लोगों को भविष्य में क्या अधिकार मिलने हैं, क्या उनका बनना है, इस बात को सेंसस में आना चाहिए। हम जो रेस्पोंडेंट हैं, हम जो बोलते हैं उन्हें लिखना चाहिए था, हमने एससीएसटी का अधिकार नहीं मांगा है। मैं शैड्यूल्ड कास्ट हूं तो उन्हें शैड्यूल्ड कास्ट लिखना चाहिए, मैं शैड्यूल्ड ट्राइब्स हूं तो उन्हें शैड्यूल्ड ट्राइब्स लिखना चाहिए। मैंने इसे लेकर प्रशासन को पत्र लिखा है लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है। हाल ही में एससी एसटी स्टेंडिंग कमेटी वहां का दौरा करने गयी थी। उसने भी बोला कि जो आदमी अपना एससी एसटी लिखाना चाहता है वह आदिवासी लिखे, शैड्यूल्ड कास्ट लिखे, उसे अपने फार्म में लिखने दो, उन्हें अधिकार लेने दो, लेकिन प्रशासन इस ओर काम नहीं कर रहा है। हमारे बीच में प्रधान मंत्री के एमओएस नरायण स्वामी जी बैठे हैं, हमारे अंडमान निकोबार के पड़ोसी हैं,जो पुदुचेरी से आते हैं। मैं उनसे अनुरोध करुगा कि हमारे द्वीपसमूह में जो सेंसस का कार्य चल रहा है उसमें एससीएसटी के जो लोग हैं उनके मुताबिक फार्म भरा जाए, सेंसस के लोग कोई धोखाधड़ी न करें, इस माग के लिए मैं यहां खड़ा हूं।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet on Monday, the 28th February, 2011 at 11 a.m.

18.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February, 28, 2011/Phalguna 9, 1932 (Saka).